खण्ड–500, अंक–7
बुधवार, 21 आषाढ़, शक संवत् 1939
(12 जुलाई, 2017 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

—: 0 :—

(अधिकृत विवरण)

(सत्रहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2017)

(खण्ड 500 में 10 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2017

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थित सदस्य	1–8
प्रश्नोत्तर	9–60
उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यों के निधन पर शोकोद्‌गार	60–61
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	61–64
नियम–301 के अन्तर्गत सूचनायें	64–65
जनपद मेरठ के विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत आवासीय कालोनी, श्रद्धापुरी फेज–1 में सीवर लाइन की समस्या के निस्तारण के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	66
जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पस्तौर खडौना एवं नदौसी को शहरी फीडर से जोड़ने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	66–67
जनपद मथुरा के फरहा के पास एन0एच0–2 महुवन टोल टैक्स के आस–पास स्थानीय ग्रामीणों से टोल टैक्स लेने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	67
लखनऊ नगर निगम सीमा के अन्तर्गत शहर के आवासीय कालोनियों के बीच में चल रही डेरियों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	67–68
सीतापुर जनपद की तहसील महमूदाबाद के अन्तर्गत ग्राम शेखपुर बिलौली से समसाबाद को जाने वाली डामर सड़क के बीच में अलायपुर ड्रेन पर पुलिया निर्माण के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	68
जनपद गाजीपुर के ब्लाक करण्डा के कतिपय मार्गों के गंगा कटान में आने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	68
जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सैदपुर के अन्तर्गत सरकारी इन्जीनियरिंग कालेज के नवनिर्माण के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	68–69
जनपद सहारनपुर के चिलकाना मार्ग पर ग्राम हेलालपुर स्थित भाउपुर साधन सहकारी समिति की पुलिया के निर्माण के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	69
जनपद मेरठ में राजकीय गर्ल्स इण्टर कालेज हापुड़ रोड में अतिरिक्त कक्षों के निर्माण के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	69
जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड छानबे के अन्तर्गत असिंचित भूमि पर सिंचाई की सुविधा मुहैया कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301	69–70

विषय	पृष्ठ–संख्या
के अन्तर्गत सूचना	
जनपद महोबा के विधान सभा क्षेत्र चरखारी के अनघौरा ग्राम में ब्रम्हानंद बांध के किनारे राठ सड़क पर पुल को ऊंचा कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	70
खड्डा विधान सभा क्षेत्र, कुशीनगर में विद्युत व्यवस्था की बदहाल स्थिति और जिम्मेदार अधिकारियों की उदासीनता के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	70
उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में डाक्टरों की कमी एवं पर्याप्त सुविधाएं न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	71
जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र गैसड़ी में कतिपय मार्गों के निर्माण/मरम्मत के सम्बन्ध में नियम–301 के अर्न्तगत सूचना ...	71–72
जनपद मिर्जापुर में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित सड़क सिन्धौरा घाट से जय हिन्दी पहाड़ी मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	72
औचित्य के प्रश्न की सूचना	72
विधान सभा के गठन को लगभग 4 माह पूर्ण हो जाने एवं अध्यक्ष का निर्वाचन व अधिष्ठातागण मण्डल का गठन हो जाने के बावजूद भी उपाध्यक्ष का निर्वाचन की प्रक्रिया अभी तक प्रारम्भ न होने से उत्पन्न स्थिति में औचित्य का प्रश्न	72–76
कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	76–94
नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं	94–95

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सत्रहवीं विधान सभा

बुधवार, दिनांक 12 जुलाई, 2017 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री हृदय नारायण दीक्षित की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य–378

1. अक्षयवर लाल गोंड, श्री बहराइच
2. अगयश राम सरन वर्मा, श्री पीलीभीत
3. अजय कुमार, डॉ0 इलाहाबाद
4. अजय कुमार लल्लू, श्री कुशीनगर
5. अजय प्रताप सिंह, ''लल्ला भइया'', कुंवर गोण्डा
6. अजीत कुमार उर्फ राजू यादव, श्री सम्भल
7. अजीत पाल त्यागी, श्री गाजियाबाद
8. अतुल गर्ग, श्री गाजियाबाद
9. अदिति सिंह, सुश्री रायबरेली
10. अनिल कुमार दोहरे, श्री कन्नौज
11. अनिल कुमार मौर्य, श्री सोनभद्र
12. अनिल पाराशर, श्री अलीगढ़
13. अनिल सिंह, श्री उन्नाव
14. अनीता, श्रीमती अम्बेडकर नगर
15. अनीता लोधी राजपूत,डॉ0 बुलन्दशहर
16. अनुपमा जायसवाल, श्रीमती बहराइच
17. अनुराग सिंह, श्री मिर्जापुर
18. अनूप प्रधान, श्री अलीगढ़
19. अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा, श्री प्रतापगढ़
20. अभिजीत सिंह सांगा,श्री कानपुर नगर
21. अमन मणि त्रिपाठी, श्री महाराजगंज
22. अमर सिंह, श्री फर्रुखाबाद
23. अमर सिंह चौधरी, श्री सिद्धार्थनगर
24. अमिताभ बाजपेई, श्री कानपुर नगर
25. अम्बरीश सिंह पुष्कर एडवोकेट, श्री लखनऊ
26. अरविन्द गिरि, श्री खीरी
27. अरूण कुमार, डॉ0 बरेली
28. अरूण कुमार यादव, श्री आजमगढ़
29. अलका राय, श्रीमती गाजीपुर
30. अवतार सिंह भडाना, श्रीमुजफ्फरनगर
31. अवधेश सिंह, श्री वाराणसी
32. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री खीरी
33. अविनाश त्रिवेदी, श्री लखनऊ
34. अशोक कुमार राणा, श्री बिजनौर
35. अशोक कुमार सिंह चन्देल,श्री हमीरपुर
36. असलम अली, श्री हापुड़
37. आजाद अरिमर्दन, श्री आजमगढ़
38. आनन्द स्वरूप शुक्ल, श्री बलिया
39. आर0 के0 सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
40. आराधना मिश्रा 'मोना', श्रीमती प्रतापगढ़
41. आलमबदी, श्री आजमगढ़
42. आशीष कुमार सिंह ''आशू'', श्री हरदोई

43. आशुतोष उपाध्याय, श्री देवरिया
44. आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी'', श्री लखनऊ
45. इकबाल महमूद, श्री सम्भल
46. इकराम कुरैशी, हाजी मुरादाबाद
47. इरफान सोलंकी, हाजी कानपुर नगर
48. उज्जवल रमण सिंह, श्री इलाहाबाद
49. उदयभान सिंह, चौ0 आगरा
50. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
51. उपेन्द्र सिंह, श्री बाराबंकी
52. उमाशंकर सिंह, श्री बलिया
53. उमेश मलिक, श्री मुजफ्फरनगर
54. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
55. ओमकुमार, श्री बिजनौर
56. ओम प्रकाश राजभर, श्री गाजीपुर
57. कपिल देव अग्रवाल, श्री मुजफ्फरनगर
58. कमल रानी, श्रीमती कानपुर नगर
59. कमल सिंह मलिक, श्री हापुड़
60. कमलेश शुक्ल, श्री देवरिया
61. कमलेश सैनी, श्रीमती बिजनौर
62. करण सिंह पटेल, श्री फतेहपुर
63. कल्पनाथ पासवान, श्री आजमगढ़
64. कारिन्दा सिंह, श्री मथुरा
65. काली प्रसाद, श्री देवरिया
66. किशन लाल राजपूत, श्री पीलीभीत
67. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
68. कुशाग्र सागर, श्री बदायूं
69. कृष्णपाल मलिक, श्री बागपत
70. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
71. केसर सिंह, श्री बरेली
72. कैलाश नाथ शुक्ल, श्री बलरामपुर
73. कैलाश नाथ सोनकर, श्री वाराणसी
74. कैलाश सिंह राजपूत, श्री कन्नौज
75. गरिमा सिंह, श्रीमती अमेठी
76. जी0 एस0 धर्मेश, डॉ0 आगरा
77. गुलाब देवी, श्रीमती सम्भल
78. गौरी शंकर, श्री जालौन
79. चन्द्रपाल कुशवाहा, श्री बांदा
80. चन्द्र प्रकाश उर्फ सीए चन्द्र प्रकाश शुक्ल, श्री बस्ती
81. चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय, श्री चित्रकूट
82. चेतन चौहान, श्री अमरोहा
83. चेतराम, श्री शाहजहांपुर
84. छत्रपाल सिंह गंगवार, श्री बरेली
85. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
86. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
87. जटाशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
88. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
89. जमुना प्रसाद सरोज, डॉ0 इलाहाबाद
90. जय कुमार सिंह (जैकी), श्री फतेहपुर
91. जय देवी, श्रीमती लखनऊ
92. जयमंगल, श्री महाराजगंज
93. जवाहर लाल राजपूत, श्री झांसी
94. जितेन्द्र पाल सिंह उर्फ बिल्लू, श्री मेरठ
95. जितेन्द्र वर्मा, श्री आगरा
96. ज्ञान तिवारी, श्री सीतापुर
97. ज्ञानेन्द्र, श्री महाराजगंज
98. डी0 सी0 वर्मा, डॉ0 बरेली
99. तसलीम अहमद, श्री बिजनौर
100. तेजपाल सिंह नागर, श्री गौतमबुद्ध नगर
101. तेजेन्द्र निर्वाल, श्री शामली
102. त्रिवेणी राम, श्री गाजीपुर
103. दयाराम चौधरी, श्री बस्ती
104. दल बहादुर, श्री रायबरेली

105. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
106. दारा सिंह चौहान, श्री मऊ
107. दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे, श्री सन्तकबीर नगर
108. दिनेश खटीक, श्री मेरठ
109. दिनेश चौधरी, श्री जौनपुर
110. दीनानाथ भाष्कर, श्री भदोही
111. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
112. देवमणि द्विवेदी, श्री सुल्तानपुर
113. देवेन्द्र कुमार निम, श्री सहारनपुर
114. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री कासगंज
115. देवेन्द्र सिंह राजपूत, श्री कासगंज
116. देवेन्द्र सिंह लोधी एडवोकेट, श्री बुलन्दशहर
117. धनन्जय कन्नौजिया, श्री बलिया
118. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
119. धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव, श्री बाराबंकी
120. धर्म सिंह सैनी, डॉ0 सहारनपुर
121. धर्मेन्द्र कुमार सिंह शाक्य ''पप्पू भइया'', श्री बदायूं
122. धीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री रायबरेली
123. धीरेन्द्र सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
124. नन्द किशोर, श्री गाजियाबाद
125. नफीस अहमद, श्री आजमगढ़
126. नरेन्द्र पाल सिंह, कुँ0 जालौन
127. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
128. नरेश सैनी, श्री सहारनपुर
129. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
130. नसीर अहमद खाँ श्री रामपुर
131. नागेन्द्र सिंह राठौर, श्री फर्रुखाबाद
132. नाहिद हसन, श्री शामली
133. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
134. निर्मला संखवार, श्रीमती कानपुर देहात
135. नीरज बोरा, डॉ0 लखनऊ
136. नीलकण्ठ तिवारी, डॉ0 वाराणसी
137. नीलम करवरिया, श्रीमती इलाहाबाद
138. नील रतन सिंह पटेल 'नीलू', श्री वाराणसी
139. नीलिमा कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
140. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
141. पंकज सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
142. पक्षालिका सिंह, रानी आगरा
143. पवन कुमार, श्री कुशीनगर
144. पल्टूराम, श्री बलरामपुर
145. पारसनाथ यादव, श्री जौनपुर
146. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
147. प्रकाश चन्द्र द्विवेदी, श्री बांदा
148. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
149. प्रतीक भूषण सिंह, श्री गोण्डा
150. प्रदीप कुमार, श्री सहारनपुर
151. प्रभात कुमार वर्मा, श्री गोण्डा
152. प्रभाष कुमार, श्री हरदोई
153. प्रभुनारायण सिंह यादव, श्री चन्दौली
154. प्रमोद उटवाल, श्री मुजफ्फरनगर
155. प्रवीण पटेल, श्री इलाहाबाद
156. प्रेम नारायण पाण्डेय, श्री गोण्डा
157. प्रेमसागर पटेल, श्री महाराजगंज
158. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
159. फागू चौहान, श्री मऊ
160. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महाराजगंज
161. बन्दना सिंह, श्रीमती आजमगढ़
162. बम्बा लाल, श्री उन्नाव
163. बहोरन लाल मौर्य, श्री बरेली
164. बाबा गोरखनाथ, श्री फैजाबाद

165. बाबू राम पासवान, श्री पीलीभीत
166. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमतीबुलन्दशहर
167. बिहारीलाल आर्य, श्री झांसी
168. बीरेन्द्र सिंह राणा, श्री हाथरस
169. बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया, श्री महोबा
170. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
171. बृजेश कुमार, श्री उन्नाव
172. बृजेश कुमार प्रजापति, श्री बांदा
173. बैजनाथ रावत, श्री बाराबंकी
174. ब्रजेश पाठक, श्री लखनऊ
175. ब्रिजेश, श्री सहारनपुर
176. भगवती प्रसाद सागर, श्रीकानपुर नगर
177. भूपेश चौबे, श्री सोनभद्र
178. मंजू त्यागी, श्रीमती खीरी
179. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
180. मनीषा अनुरागी, श्रीमती हमीरपुर
181. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
182. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
183. मनोहर लाल, श्री ललितपुर
184. मन्जू शिवाज, डॉ0 गाजियाबाद
185. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
186. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
187. मसूद अखतर, श्री सहारनपुर
188. महबूब अली, श्री अमरोहा
189. महेन्द्र पाल सिंह, श्री गोरखपुर
190. महेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सीतापुर
191. महेन्द्र सिंह खडगवंशी, श्री अमरोहा
192. महेश कुमार गोयल, श्री आगरा
193. महेश चन्द्र, श्री कानपुर नगर
194. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूं
195. माधवेन्द्र प्रताप, कुंवर हरदोई
196. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
197. मानवेन्द्र सिंह, श्री शाहजहांपुर
198. मुकुट बिहारी, श्री बहराइच
199. मुकेश चन्द्र वर्मा, श्री फिरोजाबाद
200. मुख्तार अन्सारी, श्री मऊ
201. मूलचन्द्र सिंह, श्री जालौन
202. मो0 मुजतबा सिद्दीकी, श्रीइलाहाबाद
203. मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट), श्री श्रावस्ती
204. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
205. मौ0 फईम, श्री मुरादाबाद
206. मौहम्मद अब्दुल्ला आजम खां, श्री रामपुर
207. यासर शाह, श्री बहराइच
208. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
209. योगेश धामा, श्री बागपत
210. योगेश वर्मा, श्री खीरी
211. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
212. रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, श्रीकुशीनगर
213. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
214. रत्नाकर मिश्र, श्री मिर्जापुर
215. रफीक अन्सारी, श्री मेरठ
216. रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
217. रमाशंकर सिंह, श्री मिर्जापुर
218. रमेश चन्द्र दिवाकर, श्री औरैया
219. रमेश चन्द्र मिश्र, श्री जौनपुर
220. रवि कुमार सोनकर, श्री बस्ती
221. रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री भदोही
222. रवि शर्मा, श्री झांसी
223. रवेन्द्रपाल सिंह, श्री अलीगढ़
224. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
225. आर0 के0 वर्मा, डॉ0 प्रतापगढ़

226. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
227. राकेश सिंह, श्री रायबरेली
228. राकेश सिंह बघेल,श्री सन्तकबीर नगर
229. राघवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
230. राज करन कबीर, श्री बांदा
231. राजकुमार अग्रवाल उर्फ राजिया, श्री हरदोई
232. राजबाला, श्रीमती रामपुर
233. राजमणि कोल, श्री इलाहाबाद
234. राजवीर दिलेर, श्री अलीगढ़
235. राजीव तरारा, श्री अमरोहा
236. राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया, श्री बदायूं
237. राजीव सिंह ''पारीछा'', श्री झांसी
238. राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती, श्री प्रतापगढ़
239. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
240. राजेश कुमार मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल, श्री बरेली
241. राजेश कुमार सिंह (चुन्नू), श्री मुरादाबाद
242. राजेश गौतम, श्री सुल्तानपुर
243. राधा कृषण शर्मा, पं0 बदायूं
244. राधा मोहन दास अग्रवाल, डॉ0 गोरखपुर
245. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकर नगर
246. रामकुमार वर्मा, पटेल, श्री खीरी
247. राम कृष्ण भार्गव, श्री सीतापुर
248. रामगोपाल पप्पू लोधी, श्री फिरोजाबाद
249. राम गोविन्द चौधरी, श्री बलिया
250. राम चन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
251. राम नरेश अग्निहोत्री, श्री मैनपुरी
252. राम नरेश रावत, श्री रायबरेली
253. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
254. राम प्रताप सिंह, श्री आगरा
255. राम प्रताप उर्फ शशिकांत वर्मा, श्री बलरामपुर
256. राम फेरन पाण्डेय, श्री श्रावस्ती
257. रामरतन कुशवाहा, श्री ललितपुर
258. रामानन्द बौद्ध, श्री कुशीनगर
259. राहुल प्रकाश, श्री मिर्जापुर
260. रितेश कुमार गुप्ता, श्री मुरादाबाद
261. रितेश पाण्डेय, श्री अम्बेडकर नगर
262. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
263. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
264. लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
265. लाखन सिंह, श्री औरैया
266. लाल जी वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
267. लाल बहादुर, श्री कौशाम्बी
268. लीना तिवारी, श्रीमती जौनपुर
269. लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री खीरी
270. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
271. विकास गुप्ता, श्री फतेहपुर
272. विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
273. विक्रम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
274. विक्रमाजीत मौर्य, श्री इलाहाबाद
275. विजय कुमार कश्यप,श्री मुजफ्फरनगर
276. विजय पाल (आढती), श्री हापुड़
277. विजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
278. विनय कुमार द्विवेदी, श्री गोण्डा
279. विनय शंकर तिवारी, श्री गोरखपुर
280. विनय शाक्य, श्री औरैया
281. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
282. विनोद कुमार कटियार, श्री कानपुर देहात

283. विपिन कुमार 'डेविड', श्री एटा
284. विपिन सिंह, श्री गोरखपुर
285. विमलेश पासवान, डा0 गोरखपुर
286. विरेन्द्र कुमार यादव, श्री गाजीपुर
287. वीर विक्रम सिंह, प्रिंस शाहजहांपुर
288. वीरेन्द्र, श्री एटा
289. वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री बुलन्दशहर
290. वेद प्रकाश गुप्ता, श्री फैजाबाद
291. शरद कुमार अवस्थी, श्री बाराबंकी
292. शरदवीर सिंह, श्री शाहजहांपुर
293. शशांक त्रिवेदी, श्री सीतापुर
294. शारदा प्रसाद, श्री चन्दौली
295. शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा
296. शीतल पाण्डेय, श्री गोरखपुर
297. शीतला प्रसाद, श्री कौशाम्बी
298. शुचिस्मिता मौर्या, श्रीमती मिर्जापुर
299. शैलेन्द्र यादव ललई, श्री जौनपुर
300. शैलेश कुमार सिंह ''शैलू'', श्री बलरामपुर
301. शोभा सिंह चौहान, श्रीमती फैजाबाद
302. श्याम धनी, श्री सिद्धार्थनगर
303. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
304. श्याम बिहारी लाल, डॉ0 बरेली
305. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
306. श्रीकान्त शर्मा, श्री मथुरा
307. श्री राम चौहान, श्री सन्तकबीर नगर
308. श्रीराम सोनकर, श्री मऊ
309. संगम लाल गुप्ता, श्री प्रतापगढ़
310. संग्राम यादव, डॉ0 आजमगढ़
311. संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
312. संगीता, श्रीमती गाजीपुर
313. संगीता यादव, श्रीमती गोरखपुर
314. संजय, श्री बुलन्दशहर
315. संजय कुमार, श्री कौशाम्बी
316. संजय गर्ग, श्री सहारनपुर
317. संजय प्रताप जायसवाल, श्री बस्ती
318. संजय यादव, श्री बलिया
319. संजय सिंह गंगवार, श्री पीलीभीत
320. संजीव कुमार, श्री सोनभद्र
321. संजीव कुमार दिवाकर, श्री एटा
322. संजीव राजा, श्री अलीगढ़
323. संजू देवी, श्रीमती अम्बेडकर नगर
324. संदीप कुमार सिंह, श्री अलीगढ़
325. सतीश चन्द्र शर्मा, श्री बाराबंकी
326. सतीश चन्द्र द्विवेदी, डॉ0 सिद्धार्थनगर
327. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
328. सत्यपाल सिंह बघेल, श्री फिरोजाबाद
329. सत्यपाल सिंह राठौर, श्री कासगंज
330. सत्य प्रकाश अग्रवाल ''कैलाश डेरी वाले'', श्री मेरठ
331. सत्यवीर त्यागी, श्री मेरठ
332. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
333. सरिता भदौरिया, श्रीमती इटावा
334. सहेन्द्र सिंह रमाला, श्री बागपत
335. साकेन्द्र प्रताप वर्मा, श्री बाराबंकी
336. साधना सिंह, श्रीमती चन्दौली
337. सावित्री कठेरिया, श्रीमती इटावा
338. सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्री इलाहाबाद
339. सीताराम वर्मा, श्री सुल्तानपुर
340. सुखदेव राजभर, श्री आजमगढ़
341. सुनीता, श्रीमती गाजीपुर
342. सुनील कुमार शर्मा, श्री गाजियाबाद
343. सुनील दत्त द्विवेदी, मेजर फर्रुखाबाद
344. सुनील वर्मा, श्री सीतापुर

345. सुभाष त्रिपाठी ऐडवोकेट,श्री बहराइच
346. सुभाष पासी, श्री गाजीपुर
347. सुरेन्द्र, श्री बलिया
348. सुरेन्द्र नारायण सिंह, श्री वाराणसी
349. सुरेश कुमार, श्री शामली
350. सुरेश कुमार, श्री अमेठी
351. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
352. सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री लखनऊ
353. सुरेश तिवारी, श्री देवरिया
354. सुरेश राही, श्री सीतापुर
355. सुरेश्वर सिंह, श्री बहराइच
356. सुशान्त कुमार सिंह, कुँ0 बिजनौर
357. सुशील कुमार शाक्य, श्री फर्रुखाबाद
358. सुशील सिंह, कुँ0 चन्दौली
359. सुषमा पटेल, श्रीमती जौनपुर
360. सूर्य प्रताप शाही, श्री देवरिया
361. सूर्यभान सिंह, श्री सुल्तानपुर
362. सोमेन्द्र तोमर, डॉ0 मेरठ
363. सोवरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
364. सोहिल अख्तर अंसारी, श्री कानपुर नगर
365. सौरभ श्रीवास्तव, श्री वाराणसी
366. सौरभ सिंह, श्री खीरी
367. स्वाती सिंह, श्रीमती लखनऊ
368. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
369. हरगोविन्द भार्गव, डॉ0 सीतापुर
370. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री खीरी
371. हरिओउम यादव, श्री फिरोजाबाद
372. हरिशंकर माहौर, श्री हाथरस
373. हरीराम, श्री सोनभद्र
374. हरेन्द्र प्रसाद सिंह, डॉ0 जौनपुर
375. हर्षवर्धन बाजपेयी, श्री इलाहाबाद
376. हाकिम लाल बिन्द, श्री इलाहाबाद
377. हेमलता दिवाकर कुशवाहा, श्रीमती आगरा
378. हृदय नारायण दीक्षित, श्री उन्नाव

नोट :–मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ), उप मुख्य मंत्री (श्री केशव प्रसाद मौर्य), पंचायती राज, लोक निर्माण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी) तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मुलिस्म वक्फ, हज राज्य मंत्री (श्री मोहसिन रजा) भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर
नत्थी (क)
तारांकित प्रश्न

ख्उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम–29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न,

प्रदेश में पर्यावरण संतुलन बनाये रखने हेतु पालिथीन बैगों की बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध लगाने विषयक जानकारी

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'–

'(1) क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पर्यावरणीय संतुलन बनाये रखने के लिये पालिथिन बैगों का निर्माण एवं बिक्री पूर्णतया प्रतिबन्धित होने के बाद भी हर दुकान में इसका प्रयोग हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनसामान्य एवं पशुओं सहित पर्यावरण संरक्षण के दृष्टि से उक्त प्रतिबन्ध का कड़ाई से पालन करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन एवं पर्यावरण मन्त्री (श्री दारा सिंह चौहान)–

पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा–5 के अन्तर्गत प्रदेश में पालिथीन कैरी बैग्स के विनिर्माण, भण्डारण, परिवहन, आयात हथालन, क्रय–विक्रय एवं प्रयोग को पूर्णतया प्रतिबन्धित करने हेतु अधिसूचना दिनांक 22–12–2015 द्वारा अधिसूचित किया गया, जो दिनांक 21–01–2016 से प्रभावी है।

सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से उक्त प्रतिबन्ध का कड़ाई से अनुपालन कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'–

मान्यवर वैसे तो असली गौ पालक हम हैं। सबसे ज्यादा गायों का पालने का, उनकी सेवा करने का काम हम करते हैं लेकिन इस चुनाव में लपक लिया यह काम किसी और ने। मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी हमारे पुराने साथी हैं। मैं सिर्फ दो–तीन सवाल करना चाहता हूं। पहला यह है कि सरकार द्वारा अब तक कितनी फैक्ट्रियों को किस आधार पर बंद किया गया ? कितने निर्माताओं पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है और विशेषकर शहरों में, गांवों में, नगरों में गलियों के अंदर पालिथिन में कूड़े को डालकर लोग घर से बाहर फेंक देते हैं जिसके कारण जानवर, गाय विशेष रूप से उसको खाकर बीमार हो रही हैं और मैं समझता हूं जो लोग यह कहते हैं कि गायों की कटान हो रही है, गायों की हत्या की जा रही है उससे ज्यादा उ0प्र0 में गाय पालिथिन को खाने से मर रही है। मान्यवर, यह बहुत गम्भीर सवाल है।

मान्यवर, गायों से मेरा आत्म लगाव है और भी विशेष लगाव है इसलिये मैं चाहता हूं कि इस तरह से पालिथिन खाकर किसी जानवर की ओर विशेष रूप से गायों की मौत न हो। मान्यवर, इस पर सख्ती से रोक करनी चाहिये तो क्या सरकार के पास कोई आंकड़ा है कि जितने भी पशु इस तरह से पालिथिन खाकर मरे हैं उनकी रोकथाम पर

वह क्या कार्यवाही कर रही है और चौथा एक और चाय की दुकानों पर प्लास्टिक गिलासों का धड़ल्ले से प्रयोग हो रहा है जिसके कारण कैंसर जैसी गम्भीर बीमारी हो रही है। मान्यवर, इसको रोकने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

श्री दारा सिंह चौहान–

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य जी, का कहना है कि गौपालक पर आपका पूरक अधिकार है, आपसे तो यह अधिकार कोई छीन नहीं सकता, लेकिन इसके बावजूद देश के जो सेंटीमेंट्स हैं, उससे जुड़ी हुई बात है, लेकिन आपका जो सवाल है कि कितने लोगों पर कार्यवाही की गयी है ? मा0 अध्यक्ष जी, यह तो पूरी तरह से हाईकोर्ट के निर्देश पर पूर्व की सरकार ने 22–12–2015 को अधिसूचित किया था, जो 21–01–2016 से प्रभावी है, क्योंकि एक साल का समय आपके पास भी था इसको पूरी तरह से प्रतिबंधित करने का। मान्यवर, हमारी सरकार को अभी मुश्किल से साढ़े तीन महीने हुये हैं। इसके बावजूद जितनी प्रभावी कार्यवाही हमारी सरकार कर सकती है, उसे पूरी तरह से किया है और आज तक हमने जो लखनऊ है जिसमें प्रतिबंधित जो तेरह इकाईयाँ थीं इसमें हमने पांच को बंदी का आदेश कर दिया है और 08 इकाईयाँ स्वतः बंद हो गयी हैं। कानपुर में भी इसकी चार इकाईयाँ थीं। इन चारों इकाइयों को बंद किये जाने के लिये उनको नोटिस दिया गया है। गोरखपुर में तीन इकाईयाँ थीं उसके लिये भी हमने आदेश जारी कर दिया है। मा0 अध्यक्ष, जी मुझे खुशी है कि आज पूरे पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिये इस पक्ष और उस पक्ष के लोग तो पूरी तरीके से समर्पित हैं और भारत सरकार और हमारी सरकार के मुखिया आदरणीय योगी जी ने भी पूरी तरीके से इस प्रदेश में पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित बनाये रखने के लिये पालिथीन को पूरी तरह से प्रतिबंधिति करने का जो निर्णय लिया है, हम पूरी तरीके से कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

मा0 संजय प्रताप जायसवाल जी। उनका भी इसमें नाम है।

श्री उमा शंकर सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मा0 मंत्री जी से अनुपूरक प्रश्न पूछने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। यह महत्वपूर्ण विभाग है और मुझे लगता है कि मा0 मंत्री जी के पास पर्याप्त अनुभव भी है। लोक सभा से लेकर राज्य सभा तक और आज विधान सभा में उपस्थित हैं। मा0 मंत्री जी भी इस बात से पूरी तरह से सहमत होंगे कि पूर्ववर्ती सरकार ने 22–12–2015 को मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में शासनादेश जारी कर दिया। जो 21–01–2016 से उत्तर प्रदेश में प्रभावी रूप से लागू हुआ। मा0 मंत्री जी भी गांव से आते हैं इनको भी बाईरोड यात्रा करते हुए देखा गया है।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न कर लें।

श्री उमाशंकर सिंह–

मान्यवर, मैं उसी पर आ रहा हूं। आज जो विषम परिस्थिति बनी हुयी है। यह शासनादेश लागू होने से इसका प्रभाव न चाय की दुकान पर पड़ा है न किसी भी व्यापारी की दुकान पर पड़ा है। जहां तक हमारे मा0 सदस्य ने कहा कि पालिथीन खाने से गाय मर रही है। दुकानदारों के यहां से पालिथीन में सामान जाता है लोग उस सामान को निकाल लेते हैं और फिर उसमें कूड़ा रखकर सड़क में फेंक देते हैं। मेरा इसमें कहना यह है कि जो लोग पालिथीन का यूज कर रहे हैं उन्हें एक साथ बंद कर पाना तो संभव नहीं है। लेकिन मा0 मंत्री जी क्या यह सुनिश्चित करेंगे कि जहां से यह पालिथीन निर्माण हो रहा है। वह इकाईयाँ जरूर रजिस्टर्ड होंगी। क्या ऐसी फैक्ट्रियों को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जायेगा जो पालिथीन का निर्माण कर रही हैं। दूसरा सवाल मेरा यह है कि जो प्लास्टिक से हमारे यहां ग्लास, प्लेट बनती है जो शादी समारोह में बड़ी मात्रा में यूज की जाती है। जो पहले मिट्टी के बर्तन बनते थे जिसमें हम चाय पीते थे उनका तो इससे रोजगार चला गया।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न पूछें।

श्री उमाशंकर सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जो पालिथीन के ग्लास और प्लेट यूज हो रहे हैं क्या इसको प्रतिबंधित करेंगे ? और जो पहले मिट्टी का चाय का गिलास यूज होता था क्या इसके लिए मंत्री जी ने कोई ठोस रणनीति बनायी है ?

श्री दारा सिंह चौहान–

मा0 अध्यक्ष जी, इस सरकार के बनने के बाद ही जब मा0 मुख्य मंत्री जी ने तमाम विभागों का प्रेजेंटेशन उन्होंने लिया था तो उनका पहला आदेश था कि प्रदेश में जो 20 माइक्रोन की पॉलिथीन है जिसकी चर्चा श्री उमाशंकर जी कर रहे थे जो पालिथिन सब्जी आदि के लिए इस्तेमाल होती है और फिर वही कूड़ा–कचरा के लिए इस्तेमाल होती है तभी से हमारे विभाग ने प्रदेश में इसको प्रतिबंधित करने का आदेश दे दिया है। लेकिन जो कूड़ा–कचरा अधिनियम है और उसमें अभी संशोधन होना संभावित है उसके लिए हम नगर विकास विभाग से भी सम्पर्क में हैं । क्योंकि हम मानीटर करने का काम करते हैं। पूरी तरीके से लागू करने का अधिकार इस विभाग को है। उसके बावजूद हम पूरे प्रदेश में इसको तो प्रतिबंधित कर ही रहे हैं और जो दूसरे प्रदेश में प्रोडक्शन हो रहा है, जिसका आगमन हमारे प्रदेश में चोरी छिपे हो रहा है, वाणिज्य कर मंत्रालय से भी सम्पर्क स्थापित करके उसको भी पूरी तरीके से प्रतिबन्धित करने का सरकार ने मन बनाया है।

श्री अध्यक्ष–

अब तो बहुत सुन्दर उत्तर आ गया कि बाहर से भी जो चोरी–छिपे आ रहा है, उसको भी प्रतिबन्धित करेंगे।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया, पहली बात तो मंत्रि–मण्डल का सामूहिक दायित्व होता है, उत्तर देते समय अलग–अलग विभाग के अलग–अलग मंत्रियों पर दायित्व डालना मैं समझता हूं, उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

नहीं, उन्होंने दायित्व नहीं डाला, उन्होंने कहा कि हम उनके सम्पर्क में हैं।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'–

मान्यवर, मंत्री जी ने कहीं नगर विकास विभाग की बात कही और कहीं वाणिज्य कर विभाग की बात कही, अगर सामूहिक उत्तरदायित्व न बनता तो कल वित्त मंत्री जी के अधूरे बजट भाषण को मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी न पढ़ पाते। सामूहिक उत्तरदायित्व के कारण ही वित्त मंत्री जी के बजट भाषण को मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने पढ़ा, जो नियमों के अनुसार था।

श्री अध्यक्ष–

यह विषयान्तर है, आप सवाल कर लीजिए।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'–

मान्यवर, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इसमें सामूहिक उत्तरदायित्व बनता है, माननीय मंत्री जी यह कह कर नहीं बच सकते कि यह नगर विकास विभाग का मामला है या वाणिज्य कर विभाग का मामला है।

श्री अध्यक्ष–

नहीं, उन्होंने यह नहीं कहा कि यह नगर विकास का मामला है। उन्होंने यह नहीं कहा कि हम दूसरे विभागों पर टाल रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम उन विभागों के सम्पर्क में हैं। आपके सम्पर्क में भी हो सकते हैं।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'–

मान्यवर, मेरे सम्पर्क में 30 साल से हैं। (हँसी)

श्री दारा सिंह चौहान–

मान्यवर, हर जगह पर्यावरण है, पेड़ में है, पौधे में है और इसको पूरी तरीके से सुरक्षित करने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध और प्रतिबद्ध है।

श्री उमा शंकर सिंह–

मान्यवर, जिस तरह से माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि 21–01–2016 से यह प्रभावी है और मा0 मंत्री जी भी इस बात को महसूस कर रहे होंगे कि वह कितना प्रभावी है। क्या उसी रूप में यह आगे भी प्रभावी रहेगा जिस रूप में यह 21–01–2016 से प्रभावी है या उसमें कुछ परिवर्तन दिखेगा ?

श्री दारा सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पहले ही बता दिया कि 22–12–15 से जो अधिसूचित किया गया था, 21–01–2016 को तब से 01 साल का पूर्व की सरकार को वक्त मिला था, पूरी तरीके से प्रतिबन्धित करने का, हमें तो अभी साढ़े तीन महीने ही हुआ है सरकार

में आए हुए, हम सदन को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जिस तरीके से हमारी सरकार ने पूरे प्रदेश में पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित करने का मन बनाया है, आने वाले कुछ दिनों में पूरी तरीके से इसको प्रतिबन्धित करेंगे।

नत्थी (ख)

तारांकित प्रश्न

प्रदेश के बाढ़ प्रभावी क्षेत्रों में संवेदनशील बन्धों को चिन्हित कर मरम्मतीकरण एवं बाढ़ से बचाव के उपाय विषयक जानकारी

'01–श्री अजय कुमार 'लल्लू',

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्रत्येक वर्ष बाढ़ से होने वाली भारी जन–धन की हानि के दृष्टिगत आगामी मानसून से पहले बाढ़ से होने वाले नुकसान से बचाव की सरकार की क्या योजना है ? क्या सरकार प्रदेश के अति संवेदनशील बंधों का चिन्हीकरण करते हुए वित्तीय प्राविधान कर बंधों के बचाव का कोई ठोस उपाय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बाढ़ नियंत्रण, मातृ एवं शिशु कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्रीमती स्वाती सिंह)–

प्रदेश में प्रत्येक वर्ष बाढ़ से होने वाली भारी जन–धन की हानि के दृष्टिगत आगामी मानसून से पहले बाढ़ से होने वाले नुकसान से बचाव हेतु नदियों पर निर्मित तटबन्धों व कटान निरोधक कार्यों की पुनर्स्थापना की योजनाएं एवं इनके रख–रखाव व मरम्मत तथा समुचित जल निकास हेतु ड्रेनों का अनुरक्षण कार्य कराने की योजना है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे तारांकित प्रश्न पर प्रश्न पूछने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद। महोदय, आज प्रदेश में लगभग 40 जनपद बाढ़ से ग्रसित हैं और जिसमें से 23 जनपदों में नदियां खतरे से ऊपर बह रही हैं। अगर महोदय, आप देखें, माननीय मंत्री जी बड़े उत्सुक हैं, अगर आपको देखना है तो एल्गिन, चरसड़ी को देखिए।

श्री अध्यक्ष–

अजय जी, आप बताइये नहीं, पूछिए।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

महोदय, आज जो हालात हैं, आपको जानकारी नहीं होगी तो यह जवाब कैसे बता पायेंगे। महोदय, लखीमपुर, पीलीभीत, श्रावस्ती, बहराइच, गोण्डा, बलरामपुर, फैजाबाद, सीतापुर, कुशीनगर, बलिया, बाराबंकी और महराजगंज आज बाढ़ की चपेट में हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप सूचित कर रहे हैं, प्रश्न नहीं कर रहे हैं, कृपया प्रश्न करिए।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

महोदय, पिछले समय जब मैंने सदन में इस सवाल को उठाया था, तो मा0 मुख्य मंत्री जी ने यह कहा था, एल्गिन चरसड़ी बंधे के टूटने के सन्दर्भ में कि वहां काम बहुत जोरो–सोरो से हो रहा है और मानसून से पहले उस बंधे का निर्माण करके उसे सुरक्षित कर लिया जायेगा, लेकिन महोदय बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है।

श्री अध्यक्ष–

मा0 अजय जी आप बहुत योग्य विधायक हैं, तीन मिनट से आप केवल सूचना दे रहे हैं, प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

अध्यक्ष महोदय, अगर विपक्ष को इस तरह आपका संरक्षण प्राप्त नहीं होगा तो हम कैसे सवाल कर पायेंगे। महोदय, मैं एक प्रदेश की पार्टी का नेता सदन हूं और अगर मैं यहां विपक्ष के रूप में अपनी और पूरे प्रदेश की भावनाओं को न अवगत करा पाऊं और यहां इन लोगों से जवाब न ले पाऊं।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न करिये।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

महोदय, अभी मैंने एल्गिन चरसड़ी बंधे के बारे में आपसे बताया, उस बंधे के टूटने के नाते 32 गांव जलमग्न हो चुके हैं और यही स्थिति लगभग कमोवेश एपी तटबंध की है, एपी तटबंध पर लगातार दबाव बनने से लगभग वहां किमी0 2.3, 9.20 बारखस और 9.40 में डाऊन स्ट्रीम पर यह लगातार दबाव बनाये हुए है और नदी बंधे को कभी भी काट सकती है। महोदय, पूर्व समयों में मैंने इसी सदन में मा0 मुख्य मंत्री से इस बात को बड़ी मजबूती के साथ कहा था कि अगर बंधों का निर्माण सही समय पर नहीं होगा, तो बंधे कटने से भारी तबाही होगी और बहुत सारे गांव जलमग्न हो जायेंगे।

श्री अध्यक्ष–

हमारा सादर अनुरोध है कि आप प्रश्न पूछें।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

महोदय, आपके माध्यम से मैं मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

बड़ी कृपा हो जाय, अगर आप जानने की बात करें।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

महोदय, जिन बंधों के टूटने से भारी जन–हानि हुई और खासकर जिन बंधों पर रिवेटमेण्ट, बोल्डर, पीचिंग और जिन परियोजनाओं पर अब तक धन स्वीकृत नहीं हुआ है जिसके नाते वह बंधे निर्मित नहीं हो पाये हैं, क्या मा0 मंत्री जी सदन को यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन बन्धों के निर्माण के लिए अभी भी स्पर, स्टड या किसी परियोजना पर धन आवंटन कर के उन बंधों के निर्माण कार्य को कराये जाने की जरूरत है, वह कराने का काम करेंगे। दूसरा सवाल लास्ट में जब आपकी अनुमति होगी, तब पूछेंगे।

श्री अध्यक्ष–

लेकिन अबकी विस्तार से न बोलियेगा, बड़ी कृपा रहेगी सबके ऊपर।

श्रीमती स्वाती सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने सदस्यगण को यह बताना चाहूंगी कि जिस पिछले सत्र में सवाल की यह बात कर रहे हैं, मा0 मुख्य मंत्री जी ने कहा था मरम्मत की बात हुई थी, जिस एल्गिन चरसड़ी बांध की यह बात कर रहे हैं, अभी चार दिन पहले मैं जाकर देख कर आयी हूं, उसमें बचाव के लिए सारा कार्य हो चुका है। एक किमी0 बांध टूट चुका था, क्योंकि वह टेक्निकली गलत बना था, वह इस समय तुरन्त नहीं बन सकता है, उसमें समय लगेगा और मा0 मुख्य मंत्री जी ने पिछली बार मा0 सदस्यगण से यह भी कहा था कि अच्छा होगा अगर आप वहां जाकर एक बार देख लें और मैं भी उनको यह कहना चाहती हूं कि अच्छा होगा अगर आप वहां जाकर के देख लें कि किस तरीके से वहां पर बांध के बचाव के लिए सारे कार्य पूरी तरीके से पूर्ण हो चुके हैं कोई अधूरा कार्य नहीं है, क्योंकि बांध टूट गया है, इसलिए कुछ गांवों में कुछ घरों में पानी आ गया है, अगर पानी आ जाय तो किस तरीके से बचाव कार्य होगा, किस तरीके से लोगों में खाने का किट बटेगा, उनकी जो आवश्यक सामग्री है, किस तरीके से उनको दिया जायेगा, मा0 मुख्य मंत्री जी ने बहुत पहले इसकी बैठक ले ली है और जिस दिन मैं वहां पर गई थी, वहां पर गांवों के जितने भी लोग जिनके घरों में पानी घुसा था, उनको किट मेरे सामने दिया गया, मैंने भी वितरित किया था। तो मैं कहना चाहती हूं कि अगर आपने मा0 मुख्य मंत्री जी के ऊपर जो सवाल खड़े किये हैं, यह उचित नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष–

नहीं, उनके ऊपर उन्होंने सवाल नहीं खड़े किये हैं।

श्रीमती स्वाती सिंह–

दूसरा, मैं आपको यह जानकारी देना चाहूंगी, जिस पूर्वान्चल की आप बात कर रहे हैं या जिन परियोजनाओं की आप बात कर रहे हैं, हमारी कुल नई 17 परियोजनाओं में 85 करोड़ 41 लाख रुपये राज्य आकस्मिकता निधि से आवंटित हुआ है, जिसमें से जनपद कुशीनगर गंण्डक नदी की परियोजनाएं, आठ एपी बांध की और एक नरवा जो पिपराघाट की परियोजना शामिल है, उनमें कुल 33 करोड़ 71 लाख रुपया आवंटित हुआ है, 80 चालू परियोजनायें हैं जिनमें वित्तीय वर्ष 2017–2018 में बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी के अन्तर्गत लेखानुदान द्वारा 83.95 करोड़ आवंटित किया जा चुका है। इस प्रकार बाढ़ की चलित एवं नई परियोजनाओं हेतु कुल रुपये 169.3 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति एवं आवंटन किया जा चुका है। सभी तटबंध सुरक्षित हैं। खतरे की कोई बात नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जब इस प्रदेश की बागडोर को संभाला था मात्र 10 दिन के अंदर उन्होंने मीटिंग बुलाई थी और उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया था कि हर बांध पर मरम्मत का कार्य हो जाना चाहिए किसी भी तरह के जनधन की हानि नहीं होनी चाहिए और मैं आश्वस्त कर रही हूं माननीय मुख्य मंत्री जी

की जो चिंता थी वह चिंता अब दूर हो गई है, किसी भी तरह की जन–धन की हानि नहीं होगी।

(माननीय सदस्य श्री अजय कुमार लल्लू के बोलने के प्रयास पर)

श्री सुखदेव राजभर–

यहां भी बाढ़ ला देंगे।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

बाढ़ तो पूरे प्रदेश में है।

श्री सुखदेव राजभर–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से प्रश्न के अंश दो पर कि क्या सरकार प्रदेश के अति संवेदनशील बंधों का चिन्हीकरण करते हुए वित्तीय प्राविधान कर बंधों के बचाव का कोई ठोस उपाय करेगी ? आपने उत्तर दिया जी हां। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन तटबंधों को चिन्हित किया है, उनकी सूची आपके पास है और इनके बचाव के लिए आपने इस वित्तीय वर्ष में कितने धन का प्राविधान किया है।

श्री अध्यक्ष–

सूची न हो तो धन का प्राविधान बता दीजिए।

श्रीमती स्वाती सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से माननीय सदस्यगण को बताना चाहूंगी कि अभी–अभी मैंने इसका उल्लेख किया था कि 80 चालू परियोजनाओं में लेखानुदान द्वारा दिया गया है और 17 नई परियोजनाओं में धन दिया गया है। अगर आपको सूची चाहिए तो वह भी मैं आपके कार्यालय में उपलब्ध करवा दूंगी।

श्री सुखदेव राजभर–

बंधों का चिन्हीकरण किया गया है तो उसमें आपने कहा कि 'हां'। जब आप चिन्हित कर रहे हैं तो सूची तो आपके पास होगी ही और जहां तक लेखानुदान का उल्लेख कर रही हैं। चलिए मैं आपका पूरा सहयोग कर रहा हूं, आप पूरा बताइये।

श्रीमती स्वाती सिंह–

ये इतनी लंबी सूची है आप कहिए तो पूरी सूची पढ़ दें।

श्री अध्यक्ष–

इस सूची को पढ़ने में सदन का समय जायेगा। माननीय एक प्रति माननीय सदस्य को और एक प्रति हमारे सचिवालय को भिजवा दीजिएगा। एक प्रति माननीय प्रश्नकर्ता को और एक हमारे सचिवालय को भिजवां दें। अब आप बैठिए।

श्रीमती स्वाती सिंह–

जी, मैं भिजवा दूंगी।

श्री अध्यक्ष–

अब क्या रह गया है ?

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, कितने कुल बंधे चिन्हित किये गए हैं। जितने चिन्हित किये गए हैं उनकी कुल संख्या तो बता दें। कितने बंधे चिन्हित किये गए हैं, वह बताने में समय लगेगा लेकिन संख्या तो बता दें।

श्रीमती स्वाती सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, यह बताना चाहूंगी कि 189 जो पुरानी परियोजनाएं थीं, उन पर कार्य हो रहा है और उन्हीं में से 80 परियोजनाओं में माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा लेखानुदान से धन का आवंटन हुआ है बाकी 17 और नई परियोजनाएं हैं जो मैं बार–बार कह रही हूं कि उन 17 और नई परियोजनाओं में धन का आवंटन हो चुका है। माननीय सदस्यगण को जिनको भी सूची चाहिए, वह सूची उपलब्ध करा दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

नेता विरोधी दल (श्री रामगोविन्द चौधरी)–

माननीय अध्यक्ष जी, यह बाढ़ वाला मामला, कटान वाला मामला बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें प्रदेश में जब जुलाई के बाद बाढ़ का समय आता है तो बड़ी कठिनाई पैदा हो जाती है। अब हम लोग क्योंकि नदी के किनारे के हैं। अब भाषण मैं नहीं दे रहा हूं केवल एक मिनट लूंगा। एक सबसे बड़ी कठिनाई जो हम लोगों के सामने आई है। माननीय मुख्य मंत्री जी भी यहां पर हैं अब ये न कहें कि आपकी सरकार थी तो आपने क्या किया तो अब सरकार आपकी है। जो सबसे बड़ी समस्या है वह यह है कि ये जो हमारे बाढ़ विभाग के अधिकारी हैं। हमारे यहां जैसे कि बंधे बने होते हैं मैं बलिया का उदाहरण देता हूं कि घाघरा के किनारे एक बंधा बना है और गंगा के किनारे एक बंधा बना हुआ है। ये जो बाढ़ के अधिकारी हैं यह कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी केवल बंधे को बचाने की है। बंधे के बाद में जो गांव हैं, वह गांव गिर जाए, लोग मर जाएं उसकी मेरी जिम्मेदारी नहीं है और न ही शासन से उसके लिए कोई धन आवंटित होता है। ये बात भी सही है। जब यह बन्धे बने थे, हो सकता है कि 40–50 वर्ष पहले बने हो। उस समय लोग अनभिज्ञ थे, पढ़े–लिखे नहीं थे, गांव गीरावॅ के लोग थे, दियारे में रहने वाले लोग थे और कुछ पता नहीं था उन्हें कुछ पता नहीं था कि हमें बांध से उधर बस जाना चाहिए या उसी समय जो सरकार थी उसको सबको बांध के अंदर ले आना चाहिए था ये कुछ हुआ नहीं और अधिकारियों के सामने यह कठिनाई होती है कि हम धन कहां से ले आएं, जो इंजीनियर हैं इत्यादि मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह आग्रह करना चाहता हूं कि अगर ऐसा कोई प्रतिबंध है तो उस प्रतिबंध को तोड़ा जाए और गांव को और गांव की जनता को बचाया जाए। गांव न गिरे जैसे मेरे पुराने क्षेत्र में 15 बड़े–बड़े गांव मेरे देखते–देखते नदी में विलीन हो गए। मैंने बहुत कोशिश किया बचाने की, तो यह झार–फूंक के लिए पैसा होता है बाढ़ विभाग में, 10 बोरियां डाल दिया पेड़ काट के पैटा डाल दिया। कोई ठोस उनको काम करने के लिए स्लीपर बनाने के

लिए कोई उनको अनुमति नहीं है क्योंकि शासन उसके लिए पैसा वह प्रतिबंध संभवतः है कि बांध के नीचे को हम क्यों यह बंधा बचाएंगे। इस पर आप गंभीरता से विचार करें और गांव को बचाने के लिए जैसे मेरे क्षेत्र में 4 गांव हैं यह बिल्कुल एक बार ठोरकी से गिरे तो घर गिर जाए। गोलाउली, कक्करघट्टा और नौकाखेर, हिलासील, वह बिल्कुल गिरने ही वाले हैं। अधिकारी कहते हैं कि साहब हम लोग क्या करें, हम लोगों के पास पैसा ही नहीं है, तो कुछ व्यवस्था करिए कि गांव बच जाएं फिर आगे जैसे नियम बनायेंगे वैसा किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सिंचाई मंत्री जी।

सिंचाई एवं सिंचाई यांत्रिक मंत्री (श्री धर्मपाल सिंह)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा पूरे प्रदेश को बाढ़ से सावधान करने के लिए केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष लखनऊ में बनाया गया है जो रोज 2 बजे के बाद बुलेटिन जारी करेगा और नदियों की जो स्थिति इस समय है जो एलगिन चरसड़ी बांध की जो स्थिति माननीय सदस्य ने कही थी अभी एक नदी शारदा नदी मात्र 22 से0मी0 खतरे से ऊपर लखीमपुर खीरी में है। उत्तर प्रदेश की और कोई भी नदी खतरे से ऊपर नहीं है। बाढ़ नियंत्रण कक्ष बना है और हर रोज 2 बजे के बाद सूचना जारी होती है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने सारे जिलाधिकारियों को कह रखा है जो फ्लड जोन में लोग बसे हैं, टी0आर027 से उनको सहायता पहुंचाने के लिए जिलाधिकारी तैनात हैं। मान्यवर, कहीं भी, किसी भी तरीके की उत्तर प्रदेश में न जनहानि होने दी जाएगी, न धन–हानि होने दी जाएगी।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, जो बंधे के अंदर गांव हैं, जो नदी के कटान से बिल्कुल कटने वाले हैं उन गांवों को बचाने के लिए सरकार के पास कोई योजना है ?

श्री अध्यक्ष–

इसका प्रश्न से संबंध नहीं है।

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)–

मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष की चिंता जायज है लेकिन प्रदेश की समस्या यही है कि इन्होंने केवल प्रदेश को चिंता ही दी है। हम लोग पहले ही इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दे चुके हैं। तटबंध के बाहर के गांवों को ही नहीं बल्कि तटबंध और नदी के बीच के गांवों को भी प्राथमिकता के आधार पर बचाव करने की आवश्यकता है। इसके लिए तात्कालिक दृष्टि से नदी की धार को मोड़ने की दिशा में एक प्रयास उनके स्तर पर होना चाहिए जो बाढ़ नियंत्रण से जुड़ी हुई एजेंसियां हैं, साथ ही आवश्यकता पड़ने पर समय पर उन्हें अपना प्रोजेक्ट प्रस्तुत करना चाहिए जिससे बार्डर से पीचिंग करके, ठोकर बना करके नदी की धारा को गांवों को बचाने के उद्देश्य से किया जा सके। एक समस्या और है कि बहुत सारे ऐसे गांव है जो तटबंध और नदी

के बीच में हैं। एक बड़ी आबादी है लेकिन अक्सर सिंचाई विभाग भी और बाढ़ कार्य से जुड़ी हुई एजेंसियां यह कहकर अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाती थी कि यह तो तटबंध और नदी के बीच में है इसलिए यह हमारी जिम्मेदारी का हिस्सा नहीं है लेकिन हम लोगों ने इस बारे में स्पष्ट कह दिया है कि उन गांवों में ही बचाव के कार्य किए जाने चाहिए। आवश्यकता पड़ती है तो सरकार के पास अपना प्रस्ताव भेजकर के आप स्वीकृति की प्रत्याशा में कार्य प्रारंभ करवा दें। जन–धन की हानि न हो इस बात को ध्यान में रखें और आवश्यकता पड़ती है तो टी0आर0–27 से धन का भी उपयोग करें लेकिन किसी भी स्थिति में कोई भेदभाव न हो और प्रदेश के अंदर बाढ़ बचाव के उपाय प्रभावी ढंग से किए जाये और इसीलिए हम लोगों ने हर जिले में भी कंट्रोल रूम बनाया है। साथ–साथ प्रदेश में भी कंट्रोल रूम बनाया गया है जो प्रदेश के अन्दर बाढ़ से जुड़ी हुई हर घटना की रिपोर्ट लेकर के सभी संबंधित को अवगत करा रहा है जिससे समय आने पर आवश्यक राहत कार्य भी प्रारंभ किये जा सकें इसलिए आपकी चिंता जायज है लेकिन मैं समझता हूं कि इस चिंता से आप सबको भी, इस बात के लिए भी तय करना चाहिए कि यह गांव एक दिन में नदी के अन्दर नहीं आएं हैं। यह वर्षों से जुड़ी हुई समस्या है और हम उसका बचाव अवश्य करेंगे। धन्यवाद।

प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज तथा गोदाम की स्थापना के सम्बन्ध में जानकारी

'02–श्री नितिन अग्रवाल–

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज की कमी के कारण हर वर्ष फल–सब्जी एवं अनाज सड़ जाने के कारण कृषकों को बहुत नुकसान होता है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने ब्लाक स्तर पर कोल्ड स्टोरेज स्थापित करने की कोई योजना बनायी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान–

जी नहीं।

प्रदेश में 1708 निजी कोल्ड स्टोरेज हैं, जिनकी भण्डारण क्षमता 130.26 लाख मीट्रिक टन है जो प्रदेश के आलू उत्पादन का लगभग 84 प्रतिशत है। वर्ष 2017 में सर्वाधिक 120.29 लाख मीट्रिक टन आलू का भण्डारण हुआ है, जो कुल भण्डारण क्षमता का 92 प्रतिशत है। अवशेष रिक्त स्थान में अल्प अवधि के लिए सेब, सन्तरा, अनानास, गाजर, मटर आदि फल एवं सब्जियां तथा मसालों का भी भण्डारण किया जाता है। भण्डारण सुविधा के अभाव में फल एवं सब्जियों के सड़ने की सूचना प्रदेश में कहीं से नहीं है।

जनपद में आलू एवं अन्य फल शाकभाजी उत्पादन एवं भण्डारण की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए नये शीतगृहों की स्थापना पुराने शीतगृहों का आधुनिकीकरण/विस्तारीकरण कराये जाने पर 5000 मीट्रिक टन क्षमता के लिए इकाई लागत का 35 प्रतिशत अधिकतम रुपया 140 लाख के अनुदान की सुविधा उपलब्ध है।

आवश्यकता नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

(तारांकित प्रश्न संख्या–2 पुकारे जाने पर)

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

मान्यवर, मेरा एक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें, अब माननीय मुख्य मंत्री जी का उत्तर आ गया है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी के बाद कोई सवाल रह नहीं गया है।

श्री अजय कुमार लल्लू–

मान्यवर, यह अतिक्रमण है आपका संरक्षण मुझे मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठे, कृपया बैठे। आप बहुत समझदार विधायक हैं आप योग्य हैं कृपया बैठें। मैंने माननीय उद्यान मंत्री को बुला लिया है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

अगर सब ठीक होता तो सरकार के विधायक सुरेन्द्र सिंह को बलिया में धरने पर नहीं बैठना पड़ता।

श्री अध्यक्ष–

आपसे सादर अनुरोध है कि आप बैठ जायें आपके तीन सवाल हो चुके हैं। आपसे सादर अनुरोध है कि आप आसन ग्रहण करें। आपसे सादर अनुरोध है कृपया बैठें।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

मान्यवर, मुझे प्रश्न नहीं पूछने दिया जा रहा है मैं इसके विरोध में अपने दल के साथ सदन से बर्हिगमन करता हूं।

(श्री अजय कुमार लल्लू अपने दल के साथ सदन का बर्हिगमन कर चले गये)

श्री दारा सिंह चौहान–

मान्यवर, संख्या इतनी कम है कि कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि वाकआउट कर गये या बैठें हैं।

श्री नितिन अग्रवाल–

मान्यवर, सरकार के जवाब से यह स्पष्ट है कि सरकार कितनी गम्भीर है किसानों के लिए और पिछले 4 महीने से करीब–करीब 4 महीने का कार्यकाल होने जा रहा है सरकार का, मान्यवर, हर मौके पर सरकार ने बताने की कोशिश करी कि वह किसानों की बहुत हिमायती है आज सरकार की गलत नीतियो के कारण आलू किसान आत्महत्या करने को मजबूर है (शोर)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न हो जाने दें।

श्री नितिन अग्रवाल–

सरकार ने अपने उत्तर में स्पष्ट कहा कि निजी कोल्डस्टोरेज में, मान्यवर, कल के बजट की आप स्पीच देखें, मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूं इसमें जवाब में भी है यह सरकार ने कहा कि एक करोड़ 20 लाख मीट्रिक टन निजी कोल्ड स्टोरेज में आलू

है और सरकार ने कितनी खरीद की है 1293 टन, जो केवल .1 प्रतिशत से भी कम है। सरकार यह बता दें, अगर सरकार आलू किसानों की बहुत हिमायती है कि क्या मंत्री जी आज आप इस सदन में घोषणा करेंगे कि जितना भी आलू निजी कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ है एक करोड़ 30 लाख मीट्रिक टन, वह सारा आलू सरकार खरीदने का काम करेगी ।

श्री दारा सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, यह सही है कि इस बार माननीय योगी जी सरकार के आने की आहट से ही इस प्रदेश में आलू का रिकार्ड उत्पादन हुआ है और उस उत्पादन को 130 लाख, जो 1708 हमारे निजी और सरकारी कोल्डस्टोरेज थे, उसमें हमने उनका भंडारण किया और उसके बाद भी यह पहली सरकार है जिसने किसानों के आलू के अधिक उत्पादन को देखते हुये पूरे प्रदेश में एक किलो आलू भी कहीं सड़ने नहीं दिया और कहीं आलू सड़कों पर दिखाई नहीं दिया। इसके लिये पहली बार माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक मंत्रि–मण्डलीय समूह का गठन किया है जिसमें तीन सदस्य बनाये गये। किसानों का आलू उत्पादन नुकसान न हो, इसलिये पूरी तरीके से 487 रुपया प्रति क्विंटल उसको खरीदने का मन बनाया तो इससे अपने आप किसानों के आलू का रेट बढ़ा और खुलेआम वह मार्केट में अपना आलू बेचने लगे। हमारी सरकार ने यह भी व्यवस्था की, कि भारत सरकार के कृषि मंत्री जब यहां पर आये थे तो जो कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल प्रदेश है, जहां आलू का उत्पादन कम होता है क्योंकि उत्तर प्रदेश, देश का अकेला ऐसा प्रदेश है जहां सबसे अधिक 30–35 प्रतिशत अकेले आलू का उत्पादन होता है और कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल जहां इसका उत्पादन कम होता है, वहां का रेट ज्यादा है, इसलिये हमने सम्पर्क करके वहां पर भी आलू भिजवाने का काम किया है।

श्री नितिन अग्रवाल–

मान्यवर, हमें लगता है कि माननीय मंत्री जी ने मार्च में आलू की बुवाई की है। जो सवाल मेरा था उसका उत्तर तो आया नहीं और मंत्री जी ने भाषण दे दिया। मैंने सवाल यह किया था कि यह सरकार यहां पर यह घोषणा करेगी कि जितना भी किसान का आलू कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ है, वह क्या सरकार खरीदने का काम करेगी इसका जवाब नहीं दिया।

श्री दारा सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, जो हमारा आलू उत्पादन होता है उसमें 75 लाख मीट्रिक टन लोगों के खाने में खर्च हो जाता है, 7 लाख मीट्रिक टन प्रसंस्करण में खर्च होता है, 20 लाख मीट्रिक टन का उपयोग हम बीज में करते हैं बाकी आलू का हम कहीं भी नुकसान नहीं होने देंगे जो भी आलू होगा उसको योगी सरकार खरीदेगी।

दुग्ध विकास, धर्मार्थ कार्य मंत्री (श्री लक्ष्मी नारायण)–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे यहां आलू बहुत होता है, सबसे ज्यादा आलू आगरा मण्डल में ही होता है। मैं माननीय सदस्य से जानना चाहता हूं क्योंकि इनके पिताजी भी

हमारे साथ विधायक रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या इन्हें मालूम है कि आलू गन्ने के पेड़ पर लगता है कि सेब के पेड़ पर लगता है कि पपीते के पेड़ पर लगता है ?

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'–

मा0 अध्यक्ष जी, मैं उत्तर दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

क्यों दे रहे हैं, इसका उत्तर देने की जरूरत नहीं है।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, क्वेश्चन किया है इसलिए जवाब दे रहे हैं तो इनको सुन लीजिए।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'–

मान्यवर, मैंने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलते हुए यह कहा था कि जो 325 विधायकों का बहुमत है उसमें से 200 गैर भाजपाई लोग हैं। ये 200 लोग महाराज के प्रति अपनी निष्ठा साबित करने के लिए क्या उलूल–जुलूल बोल रहे हैं, जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है।

एक सदस्य, सत्तापक्ष–

इसमें आपको सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'–

आप बैठ जाओ, आपको बोलने का हक नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठ जाएं, कृपया प्रश्नकाल होने दें अन्यथा अग्रवाल जी का प्रश्न चला जायेगा।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'–

मान्यवर, मा0 मंत्री जी 2007 से 2012 तक यहां जहां राजेश अग्रवाल जी बैठे हैं, बैठा करते थे और मान्यवर, आप कार्यवाही निकलवा करके देख लीजिए जब भी मा0 मंत्री जी खड़े होते थे तो कोई भी उत्तर देने से पहले कहते थे कि उत्तर प्रदेश की बहन जी सुश्री मायावती जी की सरकार ने इतना अच्छा काम किया है। यही मंत्री हैं और आज ये पूछ रहे हैं कि गन्ना कहां पैदा होता है, आलू कहां पैदा होता है, मैं मा0 उद्यान मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आलू किस महीने में बोया जाता है, मा0 उद्यान मंत्री जी इसे बताने का कष्ट करें।

श्री लक्ष्मी नारायण–

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपसे क्षमा चाहते हुए कहना चाहता हूं कि–

श्री अध्यक्ष–

मा0 मंत्री जी बैठ जाएं, इस प्रकार से प्रश्नों का समय बेकार जा रहा है। आप सभी लोगों से मैं सादर, सविनय अनुरोध कर रहा हूं कि कृपया प्रश्न होने दीजिए। इन सब बातों पर हम लोग अलग से बात कर लेंगे, कृपया प्रश्नों के समय को खराब न कीजिए।

आपने बहुत समय ले लिया, अब मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं। नितिन जी अब बैठ जाएं सभी लोग घर के हैं इतना मनोरंजन हो गया है।

प्रदेश में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन के अन्तर्गत राज्य स्तरीय कमेटी का गठन करके राज्य के प्रकोष्ठ आधारित उद्योगों के संरक्षण के सम्बन्ध में जानकारी

'03–श्री संजय गर्ग–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी संकल्प–पत्र दिनांक 11–11–2016 व गजट संख्या–2693 भारत सरकार दिनांक 16–11–2016 के दिशा–निर्देशों को लागू करने हेतु राज्य स्तरीय कमेटी का गठन करके राज्य के प्रकोष्ठ आधारित उद्योगों के संरक्षण हेतु नियमावली बना ली है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान–

भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा काष्ठ आधारित उद्योग (स्थापना एवं विनियमन) से सम्बन्धित दिशा–निर्देश दिनांक 11–11–2016 के क्रम में वन एवं वन्यजीव विभाग के शासनादेश दिनांक 17–05–2017 द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0 प्र0 लखनऊ की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति का गठन हुआ है।

भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (सर्वेक्षण एवं उपयोग प्रभाग), नई दिल्ली द्वारा दिनांक 11 नवम्बर, 2016 को काष्ठ आधारित उद्योग (स्थापना एवं विनियमन) दिशा–निर्देश, 2016 एवं गजट नोटीफिकेशन संख्या–2693 दिनांक 16–11–2016 के अनुरूप उ0प्र0 काष्ठ आधारित उद्योगों के लिए नई नियमावली का प्रारूप बनाने हेतु विभाग स्तर पर एक समिति का गठन किया गया है। समिति ने नई नियमावली तैयार किये जाने के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों में कतिपय ऐसे बिन्दुओं को चिन्हित किया है, जिसमें भारत सरकार के स्तर से संशोधन/परिवर्तनों के उपरान्त प्रदेश की काष्ठ आधारित उद्योगों की नई नियमावली अधिक उपयुक्त एवं प्रभावी हो सकेगी। उ0 प्र0 सरकार द्वारा चिन्हित बिन्दुओं के संशोधनों के क्रम में उक्त प्रकरण में भारत सरकार के स्तर से अनुमोदन प्रतीक्षित है।

लागू नहीं।

लागू नहीं।

श्री संजय गर्ग–

माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत ही गम्भीर प्रश्न है और मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो नियमावली अब तक बन जानी चाहिए थी, 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने डि–फॉरेस्टेशन को दिमाग में रखते हुए आरा मशीनों के लाइसेंस उत्तर प्रदेश में बैन कर दिये थे। परन्तु अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, 2016 के आधार पर केन्द्र सरकार ने संकल्प पत्र जारी कर सारे प्रदेशों को एक एडवाइजरी जारी की जिसके आधार पर एस0एल0सी0 (स्टेट लेबिल कमेटी) का गठन हुआ, जिसे अपने यहां कितना प्रकाष्ठ का भंडार है और कितनी निर्गत आरा मशीनों के लाइसेंस की कैपासिटी है,

उसके बीच की दूरी को दूर करते हुए अधिकार दिया गया कि वह अपने आरा मशीनों के नये लाइसेंस जारी करने हैं, उसके आधार पर जारी करने का काम करें। मेरी विधान सभा क्षेत्र जो सीमान्त जनपद है, सहारनपुर से 10 हजार टन लकड़ी रोजाना फॉरेस्ट सेस देकर पड़ोस के प्रदेश हरियाणा में जाती है, जहां लगभग 400–500 वीनियर प्लाईवुड इण्डस्ट्रीज हैं। नये लाइसेंस न मिल पाने के कारण कैश क्राप पैदा करने वाले पापुलर और यूकेलिप्टस के उस किसान को भारी नुकसान हो रहा है। वो लकड़ी जो 1100, 1200, 1300 रुपये क्विंटल बिकती थी आज मात्र 400 से 500 रुपये क्विंटल किसान को उसका दाम मिल रहा है। अगर इस एडवाइजरी के बाद हम आरा मशीनों के लाइसेंस निर्गत कर दें, हरियाणा ने सैकड़ों नये लाइसेंस जारी करने का काम कर दिया। हमें राजस्व का नुकसान भी हो रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, जैसा इस कमेटी ने जिन बिन्दुओं को चिन्हित किया जिसके आधार पर भारत सरकार से संशोधन और परिवर्तनों के उपरान्त यह नियमावली को जारी करेंगे उस दिशा–निर्देश में ऐसे बिन्दु क्या हैं ? दूसरा प्रश्न, मेरा है उत्तर प्रदेश में जितना प्रकाष्ठ है क्या उस प्रकाष्ठ को प्रॉसेस करने के लिए जो निर्गत आरा मशीन के लाइसेंस हैं क्या यह सर्वे प्रदेश सरकार ने करा लिया है और प्रदेश सरकार के द्वारा किये गये सर्वे में मौजूदा पूरे प्रदेश की प्रकाष्ठ के आयतन के अनुरूप उसे प्रॉसेस करने के लिए निर्गत किये गये आरा मशीनों की क्षमता मैच करती है या नये आरा मशीनों की जरूरत महसूस करते हैं और उस बात को भी दिमाग में रखते हुए सहारनपुर में क्या प्लाईवुड इण्डस्ट्री का हब बनाने पर यह सरकार विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष–

यह तीसरा प्रश्न तो आपके मूल प्रश्न में नहीं है, आरा मशीन भी नहीं है।

श्री संजय गर्ग–

माननीय अध्यक्ष जी, आरा मशीन का लाइसेंस अगर मिलेगा तो ही प्लाईवुड इण्डस्ट्री लगेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी भी मौजूद हैं लाइसेंस न मिलने से प्रदेश के राजस्व का भी नुकसान हो रहा है, किसानों का भी नुकसान हो रहा है, नये इण्टरप्रिन्योरशिप का भी नुकसान हो रहा है और हमारा रॉ–मैटेरियल पड़ोस के प्रदेश में जा रहा है।

श्री दारा सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, वैसे भी मा0 सदस्य के जिले में करीब 14 वीनियर फैक्ट्री है और आरा मशीन तो बहुत है। लेकिन सरकार बनने के बाद हमारी सरकार ने पूरी तरीके से जो निर्णय लिया कि जो छोटे–छोटे उद्योग, जिसकी चिंता मा0 गर्ग साहब को है उस चिंता से हम और हमारी पूरी सरकार चिंतित है। जो छोटे–छोटे कुटीर उद्योग हैं उनको किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए और इसके लिए हमारा जो फॉरेस्ट सर्वे आफ इण्डिया है जिसके लिए हम लोगों ने उसको धन भी प्रदान किया है, उनका सर्वे रिपोर्ट आ जाने के बाद, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे लगता है कि कुछ महीने में ही चूंकि कितनी लकड़ी की उपलब्धता इस प्रदेश में है उसके सापेक्ष कितने इण्डस्ट्री की जरूरत

है, माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी इस पर निर्देश दिया है कि जल्दी से जल्दी रिपोर्ट मंगा करके जितनी जल्दी हो सकता है जो लकड़ी आपकी चिन्ता है कि हरियाणा में चली जाती है जहां उनकी मोनोपॉली होने के नाते जो कम रेट पर लकड़ी खरीदते हैं वह सही है कि अगर वह सर्वे रिपोर्ट हमको जल्दी मिल जायेगी तो निश्चित रूप से उस आधार पर जो लकड़ी की हमारी उपलब्धता है, उस आधार पर जितनी भी संख्या बनती है चाहे सहारनपुर हो, बिजनौर हो, पीलीभीत हो, पूर्वांचल, पश्चिम कहीं भी उस लकड़ी की उपलब्धता के आधार पर हम उस प्लाईवुड विनयर फैक्ट्री का निश्चित रूप से निर्माण कराने के लिये हम निर्देश जारी करेंगे हमारी समिति है और जहां तक आपने सवाल पूछा है जो संशोधन के लिये क्योंकि बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जैसे हाई–वे करीब हैं जहां इन्डस्ट्रियल कलस्टर वगैरह हैं, नगर पालिका के करीब हैं, जहां इन्डस्ट्री हम लगा सकते हैं हमने यह छूट मांगी है भारत सरकार की जो गाइड लाइन्स है, कि इसमें हमको छूट दिया जाय। अगर नगर पालिका के करीब भी है अगर इन्डस्ट्रियल हब वहां पर है जहां इन्डस्ट्री हम लगा सकते हैं और चला सकते हैं और किसानों को हम उनका फायदा दिला सकते हैं ऐसे बिन्दुओं पर हम लोगों ने वहां से निर्देश मांगे हैं। भारत सरकार को हमने संशोधन के लिये दिया है। अगर वह हमको स्वीकृति दे देते हैं तो जो हमारी समिति का गठन हमारे प्रदेश में हमारी सरकार ने किया है, उस आधार पर बैठ करके हम सारे लोगों से तय करेंगे कि उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है वनांछादन की, जो हमें उपलब्धता है लकड़ी की, किस तरीके से कुछ सुविधा दे करके क्योंकि अलग–अलग स्टेट की अलग–अलग स्थितियां हैं। हमारे उत्तर प्रदेश की अलग स्थिति है। हम बैठ करके पूरी सरकार के साथ उसमें एक नीति बनायेंगे जो गर्ग साहब की चिन्ता है, वह वाजिब है। हमारी सरकार भी उस चिन्ता को ध्यान में रखकर चाहती है कि किस तरीके से छोटे–छोटे कुटीर उद्योग को हमको आगे बढ़ाना है। इस दिशा में हमारी सरकार पूरी तरीके से गम्भीर है। अगर आप कहेंगें तो मैं बता दूंगा कि किस–किस प्वाइंट पर हमने क्वैरी किया है, भारत सरकार को अपना निवेदन दिया है। वन विभाग द्वारा विधायी प्रपत्र काष्ठ आधारित उद्योग का फर्नीचर हैंडीक्राफ्ट, लकड़ी की नक्काशी करने वाली सूचनाएं संशोधित करेंगे। सड़क किनारे और रेलवे लाइन के 10 किमी0 की सीमा में छूट का प्राविधान हमने मांगा है। काष्ठ पर आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु नगर पालिका सीमा में वन क्षेत्र से 10 किमी0 की दूरी के प्राविधान से छोड़ दिया जाना चाहिए। औद्योगिक क्षेत्र जो कलस्टर में स्थापित किये जाने वाले अथवा स्थापित काष्ठ आधारित उद्योगों हेतु वन क्षेत्र से 10 किमी0 की सीमा से छूट का प्राविधान दिया जाना चाहिए। काष्ठ आधारित उद्योग पर लाइसेंसधारी की स्वेच्छानुसार लाइसेंस का नवीनीकरण है जो उन्होंने 5 साल का किया था एक बार में हमने जो क्वैरी किया है कि बहुत अच्छे ऐसे छोटे–छोटे उद्योग हैं, जिनको हो सकता है उसको उद्योग चलाने में भविष्य में फायदा न होने की संभावना बनती है, तो एक साल का ही रिन्यूवल करा लेंगें, दो साल का करा लेंगे, उनको यह छूट होगी, इस बारे में हम बैठकर वहां से डायरेक्शन आने के बाद इस नीति पर विचार करेंगे। काष्ठ आधारित उद्योग का नवीनीकरण

संबंधित प्रभागवार क्लस्टर पर जो सेन्ट्रलाइज कर दिया गया पूरी तरीके से कि लखनऊ में किया जायेगा उसको हम प्रभाग स्तर पर उसको छूट देंगे, डिसेन्ट्रलाइज करेंगे कि यहां के जो काष्ठ उद्योग के लोग हैं उनको कोई परेशानी न हो। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

अब तो आश्वासन आ गया आपका।

श्री संजय गर्ग–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक जानकारी करना चाह रहा था। सहारनपुर में लकड़ी की नक्काशी में कई लाख लोग लगे हैं। प्रदेश सरकार के आपके इसी हाउस में तीन हार्सपावर तक की मशीनों के लाइसेंस को उन्होंने मुक्त करने का काम किया है आपके द्वारा। वन विभाग के अधिकारी रोज उनका शोषण करते हैं। वुड कार्विंग में छोटी–छोटी मशीनें जो गोल लकड़ी काटने का काम नहीं करते। चिरे हुए लकड़ी के टुकड़े काटकर अपने एक्सपोर्ट के हिसाब से अपने उस आइटम को बनाते हैं, उन मशीनों को सील कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं। क्या जब तक यह नियमावली नहीं बनती उस बात से उन्हें मानवीय आधार पर भी शासन को मुक्त करना चाहिए और अधिकारियों को निर्देश देने का काम करेंगे या नहीं करेंगे ? यह नियमावली कब तक यह बनाने की बात करेंगे, कितने दिनों में यह बन जायेगी।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य, अगर कोई सुनिश्चित शिकायत हो तो भिजवा दीजिये।

श्री दारा सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें कहीं भी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में जिस तरीके से पर्यावरण को क्षत्–विक्षत् करने के लिये पूर्व की सरकारों में पूरे मनमाने तरीके से अवैध कटान हो रहे थे। माननीय मुख्य मंत्री जी के निर्देश से हमने पूरे प्रदेश में अवैध कटान को बन्द किया है। (शोर) मेरी पूरी बात सुनिये। जो इल्लीगल था, मैं लीगल कहीं नहीं कह सकता। जो इल्लीगल आरा मशीनें थी, भारत सरकार ने जो परिभाषित किया है वह भी उसको आरा मशीन ही दिखाया है। इसीलिये हम संशोधन चाहते हैं कि वह आरा मशीन नहीं है। 30 सेंटीमीटर के डायमीटर पर जो प्रतिबन्ध लगा है उस पर छूट के लिये हमने आवेदन किया है।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है अगला प्रश्न माननीय विनय शंकर तिवारी जी का है।

जनपद गोरखपुर के अन्तर्गत गीडा में स्थापित औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले प्रदूषित जल की रोकथाम की मांग

'04–श्री विनय शंकर तिवारी–

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के अन्तर्गत गीडा में स्थापित औद्योगिक इकाइयों द्वारा प्रदूषित जल आमी नदी में गिराये जाने से व उक्त प्रदूषित पानी पीने से जलीय जन्तुओं तथा अन्य जानवरों की गम्भीर बीमारियों से मौतें हो

रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले प्रदूषित जल को शोधित/रोकथाम करने का कोई उपाय करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान–

जी नहीं।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य पालक, विकास अभिकरण, गोरखपुर ने पत्र दिनांक 20–05–2017 द्वारा अवगत कराया है कि गीडा में स्थापित औद्योगिक इकाइयों द्वारा प्रदूषित जल आमी नदी में गिराये जाने से एवं उक्त प्रदूषित पानी पीने से जलीय जन्तु व अन्य जानवरों की गम्भीर मौतों से सम्बन्धित कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुयी है।

मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, गोरखपुर ने पत्र दिनांक 18–05–2017 द्वारा अवगत कराया है कि आमी नदी के कैचमेन्ट एरिया में स्थित तहसील–बांसगांव, सहजनवां एवं खजनी के किसी भी पशु चिकित्सालय के क्षेत्र में आमी नदी के प्रदूषित जल से किसी भी पशु में संक्रामक बीमारी फैलने एवं पशुओं की मृत्यु होने की सूचना प्राप्त नहीं हुयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री विनय शंकर तिवारी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी बतायेंगे 2011 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जलरही कूड़ा बरत कट्टा गांव का रेण्डम चेकिंग किया था और उस पानी को पीने योग्य नहीं पाया था। उसको बन्द कर दिया था वहां की जनता आन्दोलित रही है, आमी नदी को लेकर वहां की जनता आन्दोलित रही है। काफी जन आन्दोलन हुए हैं उसके बाद भी मंत्री जी कह रहे हैं पानी ठीक है। आमी नदी एक ऐतिहासिक नदी है उसका अस्तित्व आज खतरे में है। आमी नदी से मान्यवर, राप्ती नदी का अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है क्योंकि जो राप्ती नदी है आमी नदी सोहगौरां में जाकर जुड़ जाती है सोहगौरां में आमी और राप्ती नदी का संगम होता है।

श्री अध्यक्ष–

आप जानना क्या चाहते हैं।

श्री विनय शंकर तिवारी–

जानना यह चाहते हैं माननीय मंत्री जी यह बतायें जो यह कह रहे हैं कि पानी सही है या पीने योग्य है जबकि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कहा है कि यह पानी पीने योग्य नहीं है। दूसरे एन0जी0पी0 ने यहां पर 18 लोगों को कन्टेम्प्ट की नोटिस भी दी है और एक तरफ मंत्री जी कह रहे हैं कि पूरा पानी ठीक है जबकि यह पूरी नदी प्रदूषित हो रही है। माननीय मुख्य मंत्री जी भी यहां बैठे हैं तो आज यह पूरी नदी

प्रदूषित हो रही है मुख्य मंत्री जी कभी आमी नदी की जो समस्या थी उससे जुड़े रहे हैं और माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी पार्लियामेंट में भी इस बात को उठाने का काम किया है।

श्री दारा सिंह चौहान–

आपने पानी पीने के संबंध में नहीं आपने सवाल किया था कि–''क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के अन्तर्गत गीडा में स्थापित औद्योगिक इकाइयों द्वारा प्रदूषित जल आमी नदी में गिराये जाने से व उक्त प्रदूषित पानी पीने से जलीय जन्तुओं तथा अन्य जानवरों की गम्भीर बीमारियों से मौतें हो रही हैं ?'' आपके सवाल का उत्तर दे रहा हूं आप पेयजल की बात कर रहे हैं।

श्री विनय शंकर तिवारी–

मान्यवर, जब पशु पानी नहीं पी पा रहा है आदमी पानी नहीं पी पा रहा है उसके आसपास के एरिया में जो सरकारी हैण्डपम्प हैं हैण्डपम्प से निकला हुआ पानी प्रदूषित है नदी कितनी प्रदूषित है कि उस रास्ते से आप चल नहीं सकते हैं। आज तो बाढ़ आ गई है आमी नदी के किनारे आप चल नहीं सकते हैं उससे राप्ती नदी भी प्रभावित हो रही है। यह आज की समस्या है और गम्भीर समस्या है वहां जनमानस में यह समस्या गम्भीर है और दोनों नदियां उससे प्रभावित हो रही हैं। एक तरफ सरकार की 'नमामि गंगे' योजना चल रही है उसमें कह रहे हैं हम गंगा को शुद्ध करेंगे और कूड़ा कचरा जा रहा है आप देखिए कितनी चीजें हैं गीडा में, उसके पीछे से भी है तमाम चीजें उसमें जाकर गिर रही हैं।

श्री दारा सिंह चौहान–

तिवारी जी, आपका जो सवाल है, हमारी सरकार पूरी तरह से गंगा को अविरल और निर्मल बनाये जाने के लिए पूरे प्रदेश को पर्यावरण से आच्छादित रखने के लिए प्रदूषण को खत्म करने के लिए अभी पांच तारीख को माननीय मुख्य मंत्री जी ने गढ़मुक्तेश्वर में वनमहोत्सव का जो शुभारम्भ किया उसी दिन पूरे प्रदेश के 27 जिलों में सारे हमारे प्रभारी मंत्री जाकर पर्यावरण को बचाए रखने के लिए पेड़ों को लगाने का काम किया। जिस आमी नदी की आप बात कर रहे हैं वहां कहीं जल श्राव का साधन नहीं है न ही इसका किसी ताल से कनेक्शन होने के कारण यह नदी बराबर सूखी रहती है और गीडा में जो 60 हमारे उद्योग चलते हैं छोटे बड़े सब मिलाकर उसमें जो ई0टी0पी0 स्थापित है 28 इसमें आठ अल्प प्रदूषण कारी जो स्वल्प पल्यूट पैदा करती है और 20 और ऐसे हैं 31 सब मिलाकर जहां ई0टी0पी0 स्थापित नहीं हैं उन सब के खिलाफ हमने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। माननीय मुख्य मंत्री जी भी इस आमी नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए पूरी तरह से चिन्तित हैं हमारे पूरे अधिकारियों की टीम वहां जाकर हमने कहा था जिन फैक्ट्रियों में ई0टी0पी0 लगने हैं अगर वह नहीं लगता है तो ऐसी फैक्ट्री या तो बन्द होगी या लगाएगी। हमने कारण बताओ नोटिस देकर प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी है ऐसे बहुत सारे उद्योगों को हमने बन्द भी कराया है अगर

नोटिस देने के बाद जांच होने के बाद उसमें कोई सुधार नहीं होता है तो आमी नदी को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए हम पूरी तरह से बन्दी लागू करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

अब तो सरकार की प्रतिबद्धता आ गई कि आमी नदी को प्रदूषण मुक्त बनाएंगे।

श्री विनय शंकर तिवारी–

यह ट्रीटमेंट प्लांट कहां–कहां लगाए जा रहे हैं। माननीय मंत्री जी के पास उसकी कोई सूची होगी जो ट्रीटमेंट प्लान्ट लगाए गए होंगे उसकी कोई सूची होगी।

श्री दारा सिंह चौहान–

यह बहुत बड़ा प्रदेश है देश का सबसे बड़ा सूबा है जो भी सूची है वह मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा।

प्रदेश में गर्मी के मौसम में सूख गये आदर्श जलाशयों/तालाबों/पोखरों में पुनः जलभराव की व्यवस्था कराने विषयक जानकारी।

'05–श्री संजय प्रताप जायसवाल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जल संचयन हेतु चयनित आदर्श जलाशयों/तालाबों/पोखरों को जो गर्मी के मौसम में सूख चुके हैं अथवा सूखने के कगार पर हैं, में क्या सरकार जल भरने की व्यवस्था सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी हां।

दिनांक 30–06–2017 तक 30,625 तालाबों/पोखरों को भरा जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री संजय प्रताप जायसवाल–

ठीक है। इस समय तो वैसे ही चारों तरफ जलमग्न है।

श्री उमाशंकर सिंह–

अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से केवल यह जानकारी चाहता हूं कि इन्होंने बताया है कि इनके द्वारा 30–6–2017 तक 30,625 तालाबों, पोखरों को भरा जा चुका है। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उसका तात्पर्य कुछ दूसरा था चूंकि वह सत्तापक्ष में है इसलिए प्रश्न नहीं करना चाहते हैं पहला तो माननीय मंत्री जी यह बता दें कि इन तालाबों को किस विधि द्वारा भरा गया दूसरा प्रश्न यह है कि यह गर्मी के दिनों में तालाबों में पानी सूख जाने की वजह से वाटर लेबिल इतना नीचे हो जाता है कि उन गांव के इलाकों में हैण्ड पम्प भी अपना पानी छोड़ देते हैं तो हम जनप्रतिनिधियों के पास लोग आते हैं कि आप अपनी निधि से हमें ट्रांसफार्मर दे दीजिए या हमें दो हार्सपावर की बोरिंग कराने के लिए अनुदान दिला दीजिए जिससे हम लोग तालाब के पास बोरिंग करके छोड़ दें जिससे तालाब पानी से भरता रहे तो मैं यह जानना चाह रहा हूं कि माननीय मंत्री जी कोई इस तरह की योजना बना रहे हैं कि

भविष्य में अभी तो बरसात के पानी से तालाब भर रहा है फिर जब गर्मी का दिन आएगा तो वह तालाब सूखे होंगे क्या इस तरह के जो तालाब चिन्हित हैं जहां गर्मी के दिनों में दिक्कत होती है उन्हें भरने की कोई स्कीम बना रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में इसकी व्यवस्था करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी ने तो सूचना दी है कि हमने बहुत बड़ी संख्या में तालाबों को भरा है।

श्री उमाशंकर सिंह–

आज की डेट में तो कह सकते हैं। लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि इनको किस विधि से भरा गया है।

श्री अध्यक्ष–

भरने की विधि जानकर आप क्या करेंगे।

श्री उमाशंकर सिंह–

हमारे प्रश्न का उत्तर आ जाएगा।

श्री धर्मपाल सिंह–

मान्यवर, 16,328 तालाब नहरों द्वारा लघुडाल नहरों द्वारा भरवा दिए गए और 14,297 तालाब राजकीय नलकूपों द्वारा भरवा दिए गए हैं और मा0 अध्यक्ष जी, हमें इस बात की चिंता है। तालाब हमारी भारतीय सभ्यता के प्रतीक हैं। भू–माफियाओं ने पूर्व की सरकारों का संरक्षण प्राप्त करके तालाबों पर कब्जे कर लिये हैं। तालाबों पर कब्जे खुलवाने के लिये कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष–

अब अगला प्रश्न लेते हैं।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मा0 मंत्री जी के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने अपने उत्तर के जवाब में इस बात को कहा कि जो अतिक्रमण है उसको हटाने की कार्यवाही की जायेगी। इसलिये मैं आज इस संबंध में निवेदन करना चाहूंगा और पूछना चाहूंगा चूंकि उन्होंने यह उत्तर दिया है तो इस परिप्रेक्ष्य में यह प्रश्न बनता है कि क्या इस तरह से जो अतिक्रमण तालाबों पर है, यह सुनिश्चित करेंगे कि एक महीने या दो महीने के अन्दर तालाबों पर से अतिक्रमण हटवा दिया जायेगा।

श्री धर्मपाल सिंह–

मान्यवर, हम जिलाधिकारियों से रिपोर्ट मंगवाकर कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

मा0 मंत्री जी ने कह दिया है कि कार्यवाही करेंगे।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मा0 सुषमा पटेल जी ने आज ही एक प्रश्न पूछा था जो अतारांकित है।

श्री अध्यक्ष–

उसका उत्तर तो आ गया है।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, उसमें जो जवाब आया है कि अतिक्रमण हटाने के लिये राजस्व संहिता 2006 की धारा 167 के अन्तर्गत बेदखली हेतु वाद दायर किया गया है यानी वाद दायर करने से ही इतिश्री हो जायेगी। जब तालाब पर अतिक्रमण है तो उसमें वाद दायर करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा यह अनुरोध है कि क्या मा0 मंत्री जी सुनिश्चित करेंगे कि तालाबों पर जितने भी अतिक्रमण हैं उनको एस0डी0एम0 की कमेटी बनाकर, फोर्स बनाकर हटाने की कार्यवाही की जायेगी ?

श्री अध्यक्ष–

हां, लेकिन विधि के अनुसार करेंगे ऐसा उन्होंने बताया है।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, विशेष रूप से तालाब पर अतिक्रमण जो सरकारी जमीन पर है उसके लिये क्या करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

उसका उन्होंने कह दिया कि हम अतिक्रमण हटवायेंगे।

श्री धर्मपाल सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी, जिन भू–माफियाओं ने तालाबों पर अतिक्रमण कर लिये हैं, मकान बनवा लिये हैं। नदियों के अन्दर भी बारात घर और मकान बनवाए। हम अब उनको फंसवाने की कार्यवाही करेंगे और उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करके उनको बेदखल किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, अब अगला प्रश्न लेते हैं।

राज्य के औद्योगिक शहरों में प्रदूषण जांच के लिए पर्याप्त स्टाफ एवं उपकरण उपलब्ध कराने विषयक जानकारी

'06–श्री पंकज सिंह–

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य के बड़े औद्योगिक शहरों में प्रदूषण जांच के लिए पर्याप्त स्टाफ एवं उपकरण आदि उपलब्ध हैं ? यदि हां, तो उनका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो सरकार इस दिशा में क्या कदम उठा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान–

जी हां।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदेश के 28 प्रमुख नगरों में क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना की गयी है, जिनमें से 21 क्षेत्रीय कार्यालयों में क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं भी स्थापित हैं तथा 01 केन्द्रीय प्रयोगशाला बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ में स्थापित की गई है। समस्त प्रयोगशालाओं में पर्याप्त स्टाफ एवं उपकरण उपलब्ध हैं। 19 प्रयोगशालाओं नामतः आगरा, कानपुर, इलाहाबाद वाराणसी, गाजियाबाद, नोएडा, अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बुलन्दशहर, रायबरेली, झांसी, मथुरा, सोनभद्र,

फैजाबाद एवं गोरखपुर में जलवायु एवं ध्वनि गुणता अनुश्रवण की सुविधा उपलब्ध है। 02 क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं नामतः उन्नाव एवं फिरोजाबाद में वायु एवं ध्वनि गुणता अनुश्रवण की सुविधा उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंयत्रण बोर्ड द्वारा स्थापित क्षेत्रीय कार्यालयों में क्षेत्रीय अधिकारी एवं अन्य अधिकारी/कार्मिकों की नियुक्ति की गई है।

समय–समय पर प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण एवं आवश्यकतानुसार स्टाफ इत्यादि की नियुक्ति एक सतत् प्रक्रिया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

(श्री दारा सिंह चौहान, मा0 मंत्री द्वारा उत्तर पढ़े जाने के उपरान्त)

(मा0 सदस्य, श्री पंकज सिंह द्वारा अनुपूरक प्रश्न न पूछे जाने पर)

श्री अध्यक्ष–

मा0 पंकज सिंह जी, आप संतुष्ट हैं ?

श्री पंकज सिंह–

मान्यवर, जी हां।

उ0प्र0 में संवर्धित नस्ल के आमों के संरक्षण, संवर्धन विषयक कार्य योजना

'07–श्री अमन मणि त्रिपाठी–

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विभिन्न नस्ल के आमों के संरक्षण, संवर्द्धन एवं निर्यात शोध विकास की सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान–

जी हां।

प्रदेश में आम की विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण एवं संवर्धन का कार्य प्रदेश में स्थित राज्य सरकार एवं भारत सरकार के अधीन केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान रहमानखेड़ा, लखनऊ के द्वारा किया जा रहा है। किस्मों के संवर्धन के लिए संस्थान एवं विभाग सतत् प्रयत्नशील है और उत्तर प्रदेश के ही नहीं, अपितु भारत के विभिन्न हिस्सों में इन किस्मों के कलमी आम पौधों को भेजा गया है। संस्थान फलों के अधिक समय तक भण्डारण तथा निर्यात में आने वाली समस्याओं पर भी शोध का कार्य करता है। संस्थान ने निर्यात हेतु उपयुक्त 'अंबिका' नामक आम की किस्म का विकास किया है। साथ ही साथ बहुत सी संकर किस्में विकसित की गयी हैं, जिनका मूल्यांकन किया जा रहा है और ये निर्यात हेतु उपयोगी सिद्ध होगी।

प्रदेश में आम की विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण हेतु उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0 प्र0 के अधीन औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र, बस्ती, सहारनपुर एवं मलिहाबाद, लखनऊ में स्थापित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

(श्री दारा सिंह चौहान, माननीय मंत्री, उद्यान विभाग द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या–7 का उत्तर पढ़ने के पश्चात श्री अमन मणि त्रिपाठी द्वारा अनुपूरक प्रश्न पूछने हेतु खड़े न होने पर)

प्रदेश के जिला मुख्यालयों को राजधानी से चार लेन के राज्य मार्गों से जोड़ने विषयक जानकारी

'08–श्री हर्षवर्धन बाजपेयी–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जिला मुख्यालयों को प्रदेश की राजधानी से चार लेन के राज्य मार्गों से जोड़ने की सरकार की कोई नीति है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जनपद इलाहाबाद को लखनऊ से जोड़ने वाले राजमार्ग को भी इसके अन्तर्गत शामिल किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप मुख्य मंत्री (श्री केशव प्रसाद मौर्य)–

जी नहीं। प्रदेश के जिला मुख्यालयों को प्रदेश की राजधानी से चार लेन के राजमार्गों से जोड़ने की सरकार की कोई नीति नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

श्री हर्षवर्धन बाजपेयी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जितने भी केवाल टाउन्स हैं जैसे कि इलाहाबाद है, जिसमें कुम्भ भी होने वाला है, उसको पूर्व की सरकार ने कोई कारण से क्योंकि बहुत रसूखदार नेता रायबरेली में थे। उन्होंने रायबरेली तक फोर लेनिंग करवा ली, लेकिन एशिया का सबसे बड़ा हाईकोर्ट इलाहाबाद में है, साथ में केन्द्रीय यूनिवर्सिटी है और अन्य बहुत सारे संस्थान वहां हैं, तो इतने इम्पोरटेन्ट, कल्चरल, पालीटिकल, इकोनामिकल और एजूकेशनल सिटी को, क्योंकि पूर्व की सरकार में रसूखदार नेताओं के दबाव में फोर लेनिंग के कार्य को रायबरेली पर रोक दिया था। तो क्या अब इलाहाबाद की जनता को न्याय मिलेगा।

श्री केशव प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो प्रश्न उठा रहे हैं, वह राज्य सरकार से जुड़ा हुआ प्रश्न नहीं है। भारत सरकार का राष्ट्रीय राजमार्ग जो लखनऊ से इलाहाबाद को जोड़ने का काम करता है और यहां मैं जरूर जानकारी देना चाहता हूं कि पिछली सरकार के समय में बहुत सारे ऐसे प्रस्ताव थे जिन्हें भारत सरकार को भेजे जाने के बाद शायद वह चार लेन की बनकर के, छह लेन की बन करके तैयार होते और इलाहाबाद से लखनऊ को जो जोड़ने वाला 24 बी राष्ट्रीय राजमार्ग है वह फोर लोन का जो प्रस्तावित है वह प्रकिया आगे बढ़ रही है। इसलिये मुख्यालय से वह जुड़ेगा ही और प्रदेश के अंदर 100 से जो अधिक और भी राजमार्ग जो हैं, जो जिला मार्ग हैं वह भी

राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में राज्य सरकार की ओर से प्रस्ताव दिया गया है और सैद्धान्तिक सहमति भारत सरकार ने उसमें दी है। आने वाले समय में हमें और भी ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में मुख्यालय, राज्य मुख्यालय से जोड़ने की सुविधा केन्द्र सरकार के माध्यम से प्राप्त होने की संभावना है। यह प्रश्न जो सदस्य के द्वारा उठाया गया है वह राज्य सरकार से जुड़ा नहीं था, लेकिन केन्द्र सरकार की योजना से चार लेन की रोड इलाहाबाद से लखनऊ की जल्दी कम्प्लीट हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष–

इस रोड से तो माननीय मौर्या जी को भी जाना रहता है। माननीय सदस्य, आप क्यों चिंतित हैं।

श्री हर्षवर्धन बाजपेयी–

मान्यवर, ठीक है।

श्री अमन मणि त्रिपाठी–

आदरणीय अध्यक्ष जी, कृपया हमारे हक को छीनने का काम न किया जाये। हमारा तारांकित प्रश्न संख्या–7 था, लेकिन हमको अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिए एक मिनट का भी मौका नहीं मिला। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं माननीय मंत्री जी से अनुपूरक प्रश्न पूछ लूं।

श्री अध्यक्ष–

आप अब अनुपूरक प्रश्न पूछ लीजिये। आप बिल्कुल पूछिये।

श्री अमन मणि त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी, आज सदन में पहली बार मुझको बोलने का मौका दिया गया जिसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, हमारे यहां पूर्वांचल में एक गवर्जीत आम होता है। अध्यक्ष जी यह मेरा प्रश्न है, जिसका उत्तर मेरे हाथ में है। मान्यवर, मुझे प्रश्न पूछने का मौका नहीं मिला। श्रीमन् आप मेरे हक और हुकूक को मत छीनिए।

श्री अध्यक्ष–

मा0 सदस्य आप किस प्रश्न पर बोल रहे है, किस नंबर पर आपका प्रश्न है ?

श्री अमन मणि त्रिपाठी–

मान्यवर, सातवें नम्बर पर मेरा प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

अब तो आठवां चल रहा है। आप सातवें नंबर पर खड़े क्यों नहीं हुए ?

श्री अमन मणि त्रिपाठी–

मान्यवर, हम खड़े हुए थे, लेकिन मुझे बैठा दिया गया था।

श्री अध्यक्ष–

अब सातवें प्रश्न पर कैसे चर्चा करें यह परिपाटी में नहीं है। अब हम आठवें नंबर पर आ गये हैं, आप कृपया बैठ जाइये। आपको जो कहना है मा0 मंत्री जी को लिखकर के दे दीजिए, मैं उस पर मा0 मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। आपको जो भी कहना है आप उन्हें लिखकर दे दीजिए।

श्री रघुराज प्रताप सिंह–

मान्यवर, 403 मा0 सदस्यों के इस सदन में मात्र गिनती के तीन निर्दलीय विधायक चुनकर आये हैं। मा0 सदस्य पहली बार जीतकर के आये हैं, इनको कुछ समय तो मिलना ही चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

आपकी बात ठीक है लेकिन हम आठवां प्रश्न पूरा कर चुके हैं।

प्रदेश में बन्द पड़ी चीनी मिलों को पुनः चालू करने तथा उनमें कार्यरत कर्मचारियों का बकाया वेतन भुगतान कराने के सम्बन्ध में जानकारी

'09–श्री सुभाष पासी–

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बन्द पड़ी चीनी मिलों को पुनः चालू करने तथा उक्त बन्द मिलों में कार्यरत कर्मचारियों के बकाया वेतन को भुगतान करने के लिए सरकार ने कोई कार्य योजना बनायी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गन्ना विकास, चीनी मिलें एवं औद्योगिक विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री सुरेश राणा)–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के चौमुखी विकास एवं कृषकों के हितों को ध्यान में रखते हुए उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम लि0 एवं उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0 के अधीन बन्द चीनी मिलों को पुनः संचालित करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रथम चरण में मात्र उन चीनी मिलों को चिन्हित किया गया है, जहां गन्ना विकास कार्य कराये जाने के पश्चात् मिलों की आवश्यकतानुसार पेराई हेतु आवश्यक गन्ना उपलब्ध होने की सम्भावना है तथा चीनी मिलों में मय–कोजन, मय–आसवनी हेतु अविवादित पर्याप्त भूमि उपलब्ध है।

इस क्रम में उ0प्र0 राज्य चीनी निगम की बन्द 10 चीनी मिलों यथा–पिपराइच (गोरखपुर), मुण्डेरवा (बस्ती), महोली (सीतापुर), छाता (मथुरा), बुढ़वल (बाराबंकी), नवाबगंज (गोण्डा), नन्दगंज (गाजीपुर), घाटमपुर (कानपुर), रामपुर (रामपुर) एवं मेरठ (मेरठ) में से पिपराइच (गोरखपुर) तथा मुण्डेरवा (बस्ती) चीनी मिल परिसर में नई चीनी मिल 3,500 टी0सी0डी0 क्षमता (5,000 टी0सी0डी0 तक विस्तार योग्य) मय कोजन एवं आसवनी स्थापित किये जाने की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान कर दी गई है। उक्त परियोजनाओं हेतु डी0पी0आर0 तैयार किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त चीनी निगम की 03 चीनी मिलों यथा–बुढ़वल, छाता एवं नन्दगंज में इन्ट्रीग्रेटेड शुगर काम्पलेक्स विकसित करने हेतु निजी निवेशक को दीर्घकालीन लीज पर दिये जाने की कार्यवाही गतिमान है। उपरोक्त 10 बन्द पड़ी चीनी मिलों में कुल कार्यरत 50 कर्मचारियों को प्रत्येक माह में नियमित रूप से वेतन का भुगतान किया जा रहा है तथा वर्तमान में वेतन के मद में कोई धनराशि बकाया नहीं है।

इसी प्रकार उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0 की 04 बन्द पड़ी यथा–रसड़ा (बलिया), मझोला (पीलीभीत), धुरियापार (गोरखपुर) तथा औराई (सन्त रविदास नगर) में से रसड़ा (बलिया) एवं मझोला (पीलीभीत) चीनी मिलों को दीर्घकालीन लीज पर दिये जाने की कार्यवाही गतिमान है। उक्त सहकारी चीनी मिल्स संघ की 04 बन्द पड़ी चीनी मिलों में कार्यरत 13 कर्मचारियों को प्रत्येक माह नियमित रूप से वेतन का भुगतान किया जा रहा है तथा वर्तमान में वेतन के मद में कोई धनराशि बकाया नहीं है।

जहां तक निजी क्षेत्र की चीनी मिलों का विषय है, के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि निजी क्षेत्र की चीनी मिलों का अपना प्रबन्ध–तंत्र होता है जिनके द्वारा मिल को चलाये जाने एवं कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने का निर्णय लिया जाता है।

श्री अध्यक्ष–

मा0 मंत्री जी इस उत्तर को पढ़ा हुआ मान लिया जायेगा। प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

प्रदेश में मीट एक्सपोर्ट को बन्द करने की कार्य योजना विषयक जानकारी

'10–श्री मनोज कुमार पारस–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अवैध बूचड़खाने सरकार ने बन्द कर दिये है ? यदि हां, तो क्या सरकार की सभी प्रकार के मीट के एक्सपोर्ट को बन्द करने की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

प्रदेश में अवैध रूप से संचालित पशुवधशालाओं को बन्द किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–760/नौ–8–2017–29ज/2017, दिनांक 22 मार्च, 2017 द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं तथा इसका प्रभावी अनुपालन किये जाने हेतु शासनादेश संख्या–3567/नौ–8–17–107ज/2017, दिनांक 29–06–2017 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों/पुलिस अधीक्षकों/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों तथा नगर आयुक्तों को मा0 उच्च न्यायालय/मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

मीट का एक्सपोर्ट किये जाने हेतु एपीडा (एग्रीकल्चरल एण्ड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेन्ट एथारिटी) भारत सरकार द्वारा अनापत्ति प्रदान की जाती है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

नत्थी (ख) के तारांकित प्रश्न संख्या–09 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

प्रदेश के नगर निगमों व नगर पालिकाओं के कचरों के निस्तारण हेतु आधुनिक संयंत्र लगाये जाने की जानकारी

'11–श्री रितेश पाण्डेय–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सभी नगर निगमों व नगरपालिकाओं में प्रतिदिन अनुमानतः कुल कितना कचरा निकलता है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त कचरे के निस्तारण हेतु प्रदेश की कितने नगर निगमों/नगरपालिकाओं में आधुनिक वेस्ट निस्तारण संयंत्र लगे हैं ? क्या सरकार की अवशेष नगर निगमों/नगरपालिकाओं में भी उक्त आधुनिक वेस्ट निस्तारण संयंत्र लगाये जाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

प्रदेश के नगर निगमों एवं नगर निकायों में अनुमानतः कुल 15,500 मीट्रिक टन कूड़ा प्रतिदिन उत्पादित होता है।

32 नगर निगमों/नगर पालिकाओं में आधुनिक वेस्ट निस्तारण संयंत्र का कार्य प्रगति पर है। 10 योजनायें क्रियाशील है।

शेष नगर निकायों को क्लस्टर में विभाजित कर 29 क्लस्टर चिन्हित किये गये हैं तथा समस्त क्लस्टरों हेतु भूमि व्यवस्था/आवंटन हेतु कार्य प्राथमिकता पर प्रचलित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के समस्त जिला सहकारी बैंकों के विकास के लिये प्रभावी नीति बनाने विषयक जानकारी

'12–**डा0 आर0के0 वर्मा–**

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जिला सहकारी बैंकों के विकास एवं उसकी व्यवहारिक उपयोगिता बढ़ाने के लिये सरकार कोई नई प्रभावी नीति बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता मंत्री (श्री मुकुट बिहारी वर्मा)–

प्रदेश के जिला सहकारी बैंकों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने व उनकी व्यवहारिक उपयोगिता बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा कई प्रभावी कदम उठाये गये हैं, जिसमें मुख्य रूप से कमजोर जिला सहकारी बैंकों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर उनकी व्यवसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देना एवं बैंकों में निक्षेप वृद्धि हेतु कार्य योजना तैयार करना, एन0पी0ए0 कम करना तथा प्रबन्धकीय व्यय को तर्कसंगत करना शामिल है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में जलवायु परिवर्तन तथा उसके दुष्प्रभाव को रोकने की कार्य योजना

'**13–सुश्री अदिति सिंह–**

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न दुष्प्रभावों को रोकने के लिए सरकार द्वारा कौन–कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं ? क्या सरकार प्रदेश में कार्बन उत्सर्जन में बढ़ोत्तरी होने के कारण हो रहे जलवायु परिवर्तन तथा उसके दुष्प्रभाव को रोकने के लिए कोई योजना बनाकर लागू करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान–

उ0प्र0 राज्य में जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न दुष्प्रभावों को रोकने के लिये पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की वित्तीय सहायता से राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के अनुरूप उत्तर प्रदेश द्वारा पर्यावरण, वन मंत्रालय, भारत सरकार की वित्तीय सहायतित योजना के अन्तर्गत जी0आई0जेड0 संस्था के सहयोग से राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजना तैयार की गई है जिसमें 07 मिशन यथा–सामरिक ज्ञान मिशन–पर्यावरण विभाग, संवर्धित ऊर्जा कुशलता मिशन ऊर्जा विभाग, पर्यावास मिशन–आवास विभाग, सतत् कृषि मिशन–कृषि विभाग, हरित यू0पी0 मिशन–वन विभाग, सौर मिशन–अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, जल मिशन–सिंचाई विभाग आदि की कार्य योजनाएं सम्मिलित की गई हैं। प्रत्येक मिशन हेतु राज्य सरकार द्वारा सम्बन्धित विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में विभागीय कोर ग्रुपों का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन की अध्यक्षता में जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के विरचन एवं मिशनों के कार्यवाही की समीक्षा हेतु एक शीर्ष समिति का गठन भी किया गया है।

पर्यावरण विभाग द्वारा तैयार की गई राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजना वर्ष 2015 से लागू है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

लखनऊ नगर में अवैध तरीके से अतिक्रमण करके बनाये गये धार्मिक स्थलों को हटवाये जाने विषयक जानकारी

01–मो0 असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर में कितने धार्मिक स्थल ऐसे हैं जो अपनी निजी भूमि पर बनवाये गये हैं एवं कितने ऐसे हैं, जो अवैध तरीके से भूमि अतिक्रमण करके बनाये गये हैं ? क्या सरकार अवैध तरीके से अतिक्रमण करके बनाये गये धार्मिक स्थलों को हटायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ–

लखनऊ जनपद में निजी भूमि पर बनाये गये धार्मिक स्थलों का सर्वे न होने के कारण सूची उपलब्ध नहीं है तथा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) संख्या–(एस) .8519/2006 यूनियन आफ इन्डिया बनाम गुजरात राज्य सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 29–09–2009 के अनुपालन में सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण कर बनाये गये धार्मिक स्थलों की संख्या–971 है।

मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित उक्त विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) संख्या–(एस) .8519/2006 यूनियन आफ इन्डिया बनाम गुजरात राज्य सरकार व अन्य सम्प्रति विचाराधीन है, जिसमें पारित किये जाने वाले अन्तिम निर्णय के अनुपालन में कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के ग्राम शिवदीन खेड़ा, पो0 हरौनी में सरकारी ट्यूबवेल लगाने विषयक जानकारी

श्री सुखदेव राजभर–

02–क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ की सरोजनीनगर विधान सभा क्षेत्र में स्थित ग्राम–शिवदीन खेड़ा में सरकारी ट्यूबवेल नहीं होने से खेतों की सिंचाई नहीं हो पा रही है, यदि हां, तो क्या सरकार ग्राम–शिवदीन खेड़ा, पो0 हरौनी, लखनऊ में सरकारी ट्यूबवेल लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

ग्राम–शिवदीन खेड़ा विधान सभा क्षेत्र–सरोजनीनगर, लखनऊ में राजकीय नलकूप लगाये जाने हेतु प्रस्ताव जिला नलकूप स्थल चयन समिति के समक्ष मार्च, 2017 में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया था, किन्तु चयनित नहीं हो सका। नवीन राजकीय नलकूपों के निर्माण की परियोजना के अन्तर्गत कार्य योजना स्वीकृत होने पर स्थल चयन का प्रस्ताव पुनः जिला नलकूप स्थल चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। समिति द्वारा स्थल चयन के अनुमोदनोंपरान्त राजकीय नलकूप लगाया जाना सम्भव है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा के तृतीय सत्र, 2016 के प्रथम बुधवार के अता0 प्रश्न संख्या–24 के दिये गये उत्तर के क्रम में वृन्दावन योजना, लखनऊ में आवास विकास परिषद् द्वारा अधिग्रहीत भूमि के समायोजन विषयक जानकारी

श्री संजय गर्ग–

03–विधान सभा के तृतीय सत्र, 2016 के प्रथम बुधवार के अता0 प्रश्न सं0–24 के उत्तर के क्रम में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वृन्दावन योजना, लखनऊ में उ0प्र0 आवास विकास परिषद् द्वारा अधिग्रहीत भूमि खाता संख्या–114, खसरा संख्या–154/1 के समायोजन हेतु परिषद् के पत्र दिनांक 23–11–2016 के क्रम में सम्बन्धित कास्तकार द्वारा वांछित औपचारिकतायें पूर्ण करने हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत कर देने के पश्चात् भी उक्त भूमि के समायोजन की कार्यवाही में हो रहे विलम्ब के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त का निराकरण कर उक्त सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ–

वृन्दावन योजना लखनऊ में अधिग्रहीत ग्राम बरौली खलीलाबाद के खाता संख्या–114, खसरा सं0–154/1, 1544मि0 पर स्थित निर्माण (30.00 मी0 चौड़ी पेरीफेरियल सड़क के द्वितीय लेन पर) के समायोजन हेतु परिषद् के पत्र दिनांक 23–11–2016 द्वारा सम्बन्धित काश्तकार को वांछित औपचारिकतायें पूर्ण करने/सहमति हेतु प्रेषित किया गया, जिसके क्रम में सम्बन्धित काश्तकार द्वारा वांछित औपचारिकतायें/सहमति खण्ड कार्यालय में प्रस्तुत करने के उपरान्त आवास आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित करते हुए दिनांक 19–12–2016 को प्रश्नगत प्रकरण में बैठक आहूत की गयी। समिति की संस्तुतियां प्राप्त होने के उपरान्त प्रकरण को परिषद्

के निदेशक मण्डल की 242वीं बैठक दिनांक 06 जुलाई, 2017 में प्रस्ताव निर्णय हेतु प्रस्तुत किया गया, जिसके क्रम में वृन्दावन योजना, लखनऊ–3 में समाविष्ट ग्राम बरौली खलीलाबाद के खसरा संख्या–1544मि0 में प्रस्तावित 30.00 मी0 चौड़ी सड़क पर बने अवैध निर्माण के समायोजन हेतु प्रस्ताव परिषद् द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

जी हां।

शीघ्र पूर्ण करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ में दुबग्गा से अवध हास्पिटल को जाने वाले मार्ग पर थाना के भवन को स्थानान्तरित कर सड़क निर्माण कराने विषयक जानकारी

श्री संजय गर्ग–

04–क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में दुबग्गा से अवध हास्पिटल को जाने वाले 4 लेन मार्ग पर गोकुल धाम योजना (बीबीखेड़ा) हेतु जाने वाले मोड़ पर पारा पुलिस थाना का भवन होने के कारण 2 लेन का निर्माण नहीं हो पाने के कारण जाम की स्थिति सदैव बनी रहने से सड़क दुर्घटनायें भी होती रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त थाना के भवन को अन्यत्र स्थानान्तरित कर सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य–

जी नहीं, इस स्थान पर तीन लेन चौड़ा मार्ग उपलब्ध है। एक लेन में आंशिक भाग में पुलिस चौकी स्थापित होने के कारण 80 मी0 लम्बाई में मार्ग निर्माण का कार्य बाधित है।

थाना भवन को अन्यत्र स्थापित करने की कार्यवाही गृह/पुलिस विभाग द्वारा की जानी है। मार्ग का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ नगर के वार्ड हैदरगंज–2 नरपतखेड़ा की गायत्री विहार कालोनी की सड़कों को मरम्मत कराने विषयक जानकारी

श्री संजय गर्ग–

05–क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर में वार्ड हैदरगंज–2, नरपतखेड़ा की गायत्री विहार कालोनी के मुख्य मार्ग से पहली गली की तरफ से पीछे वाली गली से होते हुए पांचवीं गली तक सड़क जर्जर होने के कारण आवागमन में कठिनाई होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पर पक्की सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

जी हां।

जी नहीं। प्रश्नगत मार्ग कच्चा है, प्राइवेट सोसाइटी/कालोनईजर्स द्वारा अवैध रूप से बसाया गया क्षेत्र है, जिसमें प्रश्नगत मार्ग कच्चा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ नगर के वार्ड हैदरगंज–2 नरपतखेड़ा की गायत्री विहार कालोनी की सड़कों पर लगे विद्युत पोलों पर लाइट लगाये जाने विषयक जानकारी

श्री संजय गर्ग–

06–क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के वार्ड हैदरगंज–2, नरपतखेड़ा की गायत्री विहार कालोनी के मुख्य मार्ग व पांचवीं गली में लगे विद्युत पोलों पर प्रकाश व्यवस्था न होने से रात में सड़कों पर अंधेरा रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पोलों पर सोडियम लाइट लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

जी हां। प्रश्नगत क्षेत्र में स्थापित एच0टी0 पोलों पर एल0टी0 विद्युत आपूर्ति न होने के कारण प्रकाश बिन्दु स्थापित नहीं है।

प्रश्नगत क्षेत्र में स्थापित 03 संख्या में पी0सी0सी0 पोलों पर ट्यूब फिटिंग स्थापित कराते हुए प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करा दी गयी है, जो कि वर्तमान में प्रकाशित है।

प्रश्नगत क्षेत्र में विद्युत वितरण खण्ड द्वारा एल0टी0 लाईन की व्यवस्था किये जाने के उपरान्त ही प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करायी जा सकती है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखनऊ के फैजाबाद रोड एवं देवा रोड पर यातायात कम करने के लिए रिंगरोड मुंशी पुलिया चौराहे से देवा रोड को जोड़ने हेतु पुरानी बन्द पड़ी सिंचाई नहर को पाटकर पक्का मार्ग बनाने विषयक जानकारी

श्री संजय गर्ग–

07–क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ में लखनऊ–फैजाबाद रोड एवं देवा रोड पर यातायात का बोझ कम करने के लिए रिंगरोड, मुंशी पुलिया चौराहा से देवा रोड को जोड़ने हेतु तकरोही एवं मटियारी (बाबा हास्पिटल) होकर पुरानी बन्द पड़ी नहर को पाटकर पक्का मार्ग बनाये जाने पर क्या सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

जी हां। अवगत कराना है कि प्रश्नगत को प्राइवेट कालोनाईजर एवं सोसाइटी द्वारा अनियोजित एवं अवैध रूप से विकसित किया गया है, जिसका कोई भी तलपट मानचित्र लखनऊ विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद् द्वारा स्वीकृत नहीं है।

उक्त अनाधिकृत रूप से बसी हुई कालोनी में विकास कार्य कराने का दायित्व नगर निगम का नहीं बनता है फिर भी चूंकि क्षेत्र नगर निगम सीमान्तर्गत है जहां समय–समय पर धन उपलब्धता के आधार पर विकास कार्य कराये जाते हैं। वर्तमान में नगर निगम की वित्तीय स्थिति ठीक न होने के कारण इतने बड़े कार्य को कराये जाने में कठिनाई है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बस्ती के गन्ना विकास समिति लि0 के द्वारा किसानों के पुराने गन्ने का भुगतान कराये जाने विषयक जानकारी

श्री संजय प्रताप जायसवाल–

8–क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिले मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना विकास समिति लि0, बस्ती के किसानों का गन्ना मूल्य का बकाया मूल्य 100.36 लाख रुपये का भुगतान क्या सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश राणा–

जी हां। सहकारी गन्ना विकास समिति, बस्ती के गन्ना किसानों के बकाया गन्ना मूल्य की धनराशि रु0 100.36 लाख के भुगतान हेतु सहकारी गन्ना विकास समिति लि0, बस्ती के बजट वर्ष 2017–18 में रु0 20.00 लाख का प्रावधान किया गया है। शेष गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु समिति के आगामी वर्षों के बजट में प्रतिवर्ष रु0 20.00 लाख की धनराशि प्राविधानित करते हुए भुगतान कराये जाने की कार्य योजना है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ के क्वार्सी चौराहा कमिश्नरी धौर्रामाफी बाईपास के सहारे बना खारिज नाले से अतिक्रमण हटाकर पुनः नाले की सफाई विषयक जानकारी

श्री दलवीर सिंह–

9–क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ के क्वार्सी चौराहा, कमिश्नरी, धौर्रामाफी बाईपास के सहारे बने खारिज नाले पर लोगों द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण करके बंद कर दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नाले पर से अतिक्रमण हटाकर पुनः नाला साफ करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

सिंचाई विभाग के स्वामित्व वाले प्रश्नगत नाले पर अतिक्रमण हटाये जाने में नगर निगम, अलीगढ़ द्वारा अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने विषयक जानकारी

श्री कृष्णपाल मलिक–

11–क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत में दिनांक 22–04–2017 को ओलावृष्टि के कारण कितने गांवों में गेहूं की फसलें बर्बाद हुई हैं ? क्या सरकार ओलावृष्टि से प्रभावित जनपद बागपत के किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ–

दिनांक 22–04–2017 को हुई ओलावृष्टि के कारण जनपद बागपत के 07 गांवों में गेहूं की फसल में क्षति हुई है।

ओलावृष्टि से प्रभावित जनपद बागपत के 1902 कृषकों के मध्य रु0 33,12,377/– की धनराशि का वितरण कराया जा चुका है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत में सहकारी चीनी मिल की प्रतिदिन की गन्ना पेराई की क्षमता बढ़ाने विषयक जानकारी

श्री कृष्णपाल मलिक–

12–क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिले मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत की बागपत सहकारी चीनी मिल लि0 तथा रमाला सहकारी चीनी मिल लि0 की प्रतिदिन की गन्ना पेराई क्षमता कितनी–कितनी है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त चीनी मिलों की वर्तमान पेराई क्षमता को बढ़ाने हेतु सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो इस कार्य योजना का कब तक क्रियान्वयन होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश राणा–

सहकारी चीनी मिल बागपत की पेराई क्षमता 2500 टन प्रतिदिन तथा रमाला की पेराई क्षमता 2750 टन प्रतिदिन है।

इस वर्ष केवल रमाला सहकारी चीनी मिल की पेराई क्षमता 2750 टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 5000 टन प्रतिदिन तक विस्तारीकरण किये जाने का सैद्धान्तिक निर्णय लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ की सहकारी चीनी मिल में नई मशीन लगवाने विषयक जानकारी

श्री दलवीर सिंह–

13–क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिले मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी चीनी मिल साथा, अलीगढ़ की मशीनें पुरानी व जर्जर हो चुकी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार किसान हित में उक्त मिल में नई मशीनें, डिस्टलरी यूनिट व विद्युत उत्पादन यूनिट संयुक्त रूप से लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश राणा–

जी हां।

उक्त मिल में नई मशीनें, डिस्टलरी यूनिट व विद्युत उत्पादन यूनिट संयुक्त रूप से लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

चीनी मिल साथा को गत पांच वर्षों में पेराई सत्र के दौरान अधिकतम 11.54 लाख कुन्टल गन्ना प्राप्त हुआ है जो कि उसके वर्तमान पेराई क्षमता 1250 टन प्रतिदिन के लिए वांछित गन्ने की मात्रा 18 से 20 लाख कुन्टल से काफी कम है। अतः पुरानी मशीनों के स्थान पर नई मशीनें, डिस्टलरी यूनिट, विद्युत उत्पादन यूनिट संयुक्त रूप से लगाया जाना लाभप्रद नहीं होगा।

कानपुर महानगर में सड़कों पर घूमने वाले आवारा पशुओं की रोकथाम विषयक जानकारी

श्री अभिताभ बाजपेयी–

14–क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर महानगर में सड़कों पर आवारा पशुओं के घूमने के कारण आवागमन में परेशानी होती है ? यदि हां, तो उक्त आवारा पशुओं को सड़कों से हटाने की कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

जी हां।

नगर निगम, कानपुर द्वारा उपलब्ध संसाधनों से नगर निगम सीमान्तर्गत सड़कों पर घूमते आवारा पशुओं को पकड़कर उन्हें जाजमऊ स्थित कांजी हाउस में निरूद्ध कर दिया जाता है और पशु पालकों से निर्धारित जुर्माना लेकर उन्हें छोड़ा जाता है। इसके अतिरिक्त आवारा साड़ों को पकड़कर नगर निगम सीमा के बाहर छोड़ दिया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर में सुगम यातायात में व्यवधान डालने वाले ठेला पटरी दुकानदारों को पुलिस द्वारा हटाये जाने विषयक जानकारी

श्री अभिताभ बाजपेयी–

15–क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ठेला–पटरी दुकानदार कानपुर नगर में पुलिस द्वारा उजाड़े जा रहे हैं ? यदि हां, तो इस संदर्भ में सरकार की क्या नीति है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

यातायात पुलिस द्वारा चौराहों को अतिक्रमित करके सुगम यातायात में व्यवधान डालने वाले अनधिकृत रूप से लगने वाले ठेला व दुकानदारों के विरूद्ध समय–समय पर अभियान चलाकर विधि के अनुरूप कार्यवाही की जाती है, जिससे यातायात सुचारू रूप से संचालित होता है। इसका उद्देश्य सिर्फ यातायात व्यवस्था को सुगम बनाये रखना है, न कि ठेला, पटरी दुकानदारों को उजाड़ना है। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में पारित किये गये आदेश/निर्णय तथा उसके अनुपालन में समय–समय पर जारी शासनादेश व दिशा–निर्देश के अनुरूप कार्यवाही की जाती है।

पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम–2014 की धारा–36 के अधीन नगरीय पथ विक्रेताओं के अधिकारों का संरक्षण करने और पथ विक्रय

क्रिया–कलापों का विनियमन करने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) नियमावली–2017 को अधिसूचना संख्या–111/नौ–9–2017–170ज/2016, दिनांक 10 मई, 2017 द्वारा लागू किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर के इटवा विधान सभा क्षेत्र इटवा और बिश्कोहर को नगर पंचायत बनाने विषयक जानकारी

डा0 सतीश चन्द्र द्विवेदी–

16–क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के इटवा विधान सभा क्षेत्र के इटवा और बिश्कोहर को गत सरकार द्वारा नगर पंचायत बनाने हेतु की गयी घोषणा के अनुसार क्या सरकार प्रदेश में आसन्न नगर निकाय चुनाव में उक्त नगर पंचायतों में भी चुनाव करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

जनपद सिद्धार्थनगर के इटवा विधान सभा के क्षेत्र इटवा और विश्कोहर के नगर पंचायत के रूप में गठन की कार्यवाही पूर्ण होने पर आसन्न नगर निकाय चुनाव में उक्त नगर पंचायतों में भी चुनाव कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ में ग्राम रामबाग में बाजना गौमत रोड पर मांट ब्रांच पर पुल का नवनिर्माण/चौड़ीकरण कराये जाने विषयक जानकारी

श्री दलवीर सिंह–

17–क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ के ग्राम रामबाग में बाजना गौमत रोड पर मांट ब्रांच पर बना पुल (3.5 मीटर) सड़क की चौड़ाई (7 मीटर) के अनुसार सकरा एवं क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुल का नवनिर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य–

वर्तमान में पुल सही स्थिति में है एवं यातायात सुचारू रूप से चल रहा है। पुल का नवनिर्माण/चौड़ीकरण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद अलीगढ़ में मान्यवर कांशीराम आवास योजना के अन्तर्गत बनाये गये कुल आवासों की संख्या तथा आवंटित आवासों की संख्या विषयक जानकारी

श्री दलवीर सिंह–

18–क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ में मान्यवर कांशीराम आवास योजना के अन्तर्गत कुल कितने आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कराकर आवंटन किया जा चुका है तथा कितने मकानों का निर्माण कार्य अधूरा है ? क्या सरकार अधूरे आवासों का निर्माण पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? क्या सरकार यह भी

बतायेगी कि इस योजना के अन्तर्गत पात्रों के चयन में धांधली की शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार अपात्रों को दिये गये आवास आवंटन की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ–

जनपद अलीगढ़ में प्रथम चरण में 1500 आवासों का निर्माण ग्राम एलमपुर तहसील कोल जिला–अलीगढ़ में किया गया, परन्तु उन आवासों के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय में वाद विचाराधीन होने के कारण आवंटन की कार्यवाही नहीं की जा सकी। द्वितीय चरण में ग्राम नौरथा तहसील अतरौली जिला अलीगढ़ में 576 आवासों का निर्माण कराया गया, जिसकी जांच गठित कमेटी द्वारा करा ली गयी है। नियमानुसार पात्रता के आधार पर आवंटन की कार्यवाही की जा रही है।

आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

वर्तमान में आवंटन की कार्यवाही चल रही है। इस दौरान धांधली की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

जनपद बागपत में डिवीजन लोवर ख0 पूर्वी नहर शामली को सिल्ट सफाई हेतु वर्ष 2015–16 में शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि विषयक जानकारी

श्री कृष्णपाल मलिक–

19–क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डिवीजन लोवर खण्ड पूर्वी यमुना नहर, शामली की सिल्ट सफाई हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में शासन द्वारा कितनी धनराशि अवमुक्त की गयी ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इस डिवीजन के अन्तर्गत आने वाले कितने जनपदों को पृथक–पृथक कितनी धनराशि का आवंटन किया गया तथा उसके सापेक्ष जनपदवार विभाग द्वारा कितनी–कितनी धनराशि खर्च की गयी ?

श्री धर्मपाल सिंह–

लोअर खण्ड पूर्वी यमुना नहर, शामली की नहरों की सिल्ट सफाई हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में शासन द्वारा धनराशि रु0 117.30 लाख अवमुक्त की गयी।

लोअर खण्ड पूर्वी यमुना नहर, शामली के अन्तर्गत आने वाले जनपदों की पृथक–पृथक धनराशि का आवंटन एवं उसके सापेक्ष जनपदवार खर्च की गयी धनराशि का विवरण निम्नवत् हैः–

(धनराशि लाख रु0 में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	आवंटित धनराशि	व्यय की गयी धनराशि
1	2	3	4
1	सहारनपुर	0.60	0.60
2	मुजफ्फरनगर	11.60	11.60
3	शामली	37.95	37.95

4	बागपत	67.15	67.15
5	गाजियाबाद	–	–
	योग	117.30	117.30

जनपद जौनपुर के मुंगराबादशाहपुर विधानसभा के अन्तर्गत सड़क कुन्दहा–सुजानगंज–मछलीशहर के सड़क को मरम्मत कराने विषयक जानकारी

श्रीमती सुषमा पटेल–

20–क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के मुंगराबादशाहपुर में कुन्दहा–सुजानगंज–मछलीशहर (27 किमी0) को जोड़ने वाला सम्पर्क मार्ग अत्यन्त जर्जर होने के कारण नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग के मरम्मत का कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य–

प्रश्नगत मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य शासनादेश संख्या–10/2016/1158/ 23–12–16–107–जी0आई0/16, दिनांक 02–08–16 द्वारा केन्द्रीय मार्ग निधि योजना के अन्तर्गत स्वीकृत है एवं कार्य प्रगति पर है।

जी हां, पाट होल्स भरकर पैच मरम्मत का कार्य करा दिया गया है। चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य प्रगति पर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के चीनी मिलों को चालू कराने की नीति तथा जनपद गोरखपुर के धुरियापार चीनी मिल को चालू कराने विषयक जानकारी

21–श्री विनय शंकर तिवारी–

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की बन्द चीनी मिलों को चालू किये जाने हेतु कोई नीति है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद–गोरखपुर धुरियापार चीनी मिल को चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश राणा–

जी नहीं।

चीनी मिल धुरियापार वर्ष 1997–98 में स्थापित हुई थी परन्तु गन्ने के अभाव में वर्ष 1999 में बन्द कर दी गयी थी। इस चीनी मिल को सत्र 2004–05 में पुनः चालू कर सत्र 2006–07 तक पेराई की गयी। उक्त अवधि में पेराई हेतु अधिकतम 82,000 कुन्टल गन्ना ही उपलब्ध हो सका जिसके कारण इस चीनी मिल को पुनः बन्द करना पड़ा। गन्ने के अभाव के कारण इस चीनी मिल का पुनः संचालन किया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद प्रतापगढ़ के किसानों को सिंचाई हेतु प्रतापगढ़ जल शाखा शीर्ष में पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने विषयक जानकारी

22—डा0 आर0 के0 वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में किसानों की सिंचाई हेतु मुख्य शाखा (प्रतापगढ़ जलशाखा शीर्ष) में विगत 5 वर्षों से सिर्फ 440 से 460 क्यूसेक पानी आता रहा है जबकि उक्त शाखा की क्षमता 1150 क्यूसेक की है ? यदि हां, तो क्या किसानों की सिंचाई हेतु 1150 क्यूसेक पानी आने वाली खरीफ फसलों की सिंचाई हेतु सरकार व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह—

जी हां।

प्रतापगढ़ जल शाखा की जल वहन क्षमता पुनर्स्थापित करने के उद्देश्य से प्रतापगढ़ जल शाखा के आन्तरिक सेक्शन सुधार की परियोजना बनायी गयी है। परियोजना के अन्तर्गत नहर की कुल लम्बाई कि0मी0 51.470 के सापेक्ष आन्तरिक सेक्शन सुधार का कार्य कुल 27.00 कि0मी0 में करा देने से जल वहन क्षमता में वृद्धि हुई है जिससे वर्तमान खरीफ में कृषकों हेतु पर्याप्त सिंचाई हो सकेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के सोरांव से कल्याणपुर वाया कटरा गुलाब सिंह मान्धाता प्रतापगढ़ मुख्यालय मार्ग को जोड़ने वाली सड़क को चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण कराने विषयक जानकारी

23—डा0 आर0 के0 वर्मा—

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यातायात घनत्व को देखते हुये जनपद इलाहाबाद के तहसील मुख्यालय सोरांव को सम्बद्ध करने वाली सोरांव से कल्याणपुर वाया कटरागुलाब सिंह मान्धाता प्रतापगढ़ मुख्यालय को जोड़ने वाली मार्ग 40 कि0मी0 का चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण कराने की सरकार की योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य—

सोरांव से कल्याणपुर वाया कटरा गुलाब सिंह मान्धाता प्रतापगढ़ मुख्यालय को जोड़ने वाले मार्ग में निम्नानुसार दो मार्ग हैं :—

कटरा मेदनीगंज से मान्धाता—कटरा गुलाब सिंह होते हुए सोरांव मार्ग (कल्याणपुर तक) का जो भाग जनपद प्रतापगढ़ के क्षेत्रान्तर्गत है, उसकी लम्बाई 30.00 कि0मी0 है, जो अन्य जिला श्रेणी का मार्ग है। इस मार्ग के प्रतापगढ़ की ओर प्रथम 8.00 कि0मी0 त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत शासनादेश सं0—85/2016/406/35—4—2016, दिनांक 17—03—2016 एवं शासनादेश सं0—255/ 2016/1008/35—4—2016, दिनांक 04 जुलाई, 2016 द्वारा स्वीकृत व कार्य प्रगति में है। शेष 22 कि0मी0 हेतु रु0 6490.00 लाख की धनराशि केन्द्रीय मार्ग निधि योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

2. कल्याणपुर सोरांव तक का भाग जनपद इलाहाबाद के क्षेत्रान्तर्गत आता है, जिसकी लम्बाई 19.00 कि0मी0 है, जो अन्य जिला श्रेणी का मार्ग है। उक्त मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु रु0 3240.00 लाख की धनराशि केन्द्रीय मार्ग निधि योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद इलाहाबाद में आलू शोध संस्थान की स्थापना विषयक जानकारी

24–डा0 आर0 के0 वर्मा–

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद की सोरांव तहसील में आलू की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार इलाहाबाद में आलू शोध संस्थान की स्थापना करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान–

जी नहीं।

आवश्यकता नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड लक्ष्मणपुर के हंडौर परमेश्वरपुर में लोनी नदी पर प्रस्तावित पुल के निर्माण की मांग

25–डा0 आर0 के0 वर्मा–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र विश्वनाथगंज के विकास खण्ड लक्ष्मणपुर के हंडौर परमेश्वरपुर (घूरीपुर) में लोनी नदी पर पूर्व में स्वीकृत पुल का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य–

जी नहीं।

पुल निर्माण का कार्य स्वीकृत नहीं है। वर्तमान में प्रश्नगत स्थल से डाउन स्ट्रीम में 02 किमी0 तथा अप स्ट्रीम में 05 किमी0 की दूरी पर पूर्व से पक्का सेतु निर्मित होने के कारण नये सेतुओं का निर्माण मानकों के अन्तर्गत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली के वि0स0क्षे0 बछरांवा में 30 अप्रैल 2017 तक चिन्हित की गयी सड़कों को गड्ढामुक्त कराने विषयक जानकारी

26–श्री राम नरेश रावत–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली में बछरावां विधान सभा क्षेत्र सहित कुल कितनी गड्ढायुक्त सड़कें दिनांक 30 अप्रैल, 2017 तक चिन्हित की गयी हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि चिन्हित उक्त सड़कों को कब तक गड्ढामुक्त करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य–

जनपद रायबरेली में बछरावां विधान सभा क्षेत्र सहित लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व की गड्ढायुक्त कुल 670 सड़कें चिन्हित की गयी हैं, जिसमें विधान सभा क्षेत्र बछरावां की 223 सड़कें सम्मिलित हैं।

चिन्हित की गयी सड़कों में से 577 सड़कों को गड्ढामुक्त किया जा चुका है, जिसमें विधान सभा क्षेत्र बछरावां की 182 सड़कें सम्मिलित हैं। शेष सड़कों की मरम्मत किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ में सीतापुर रोड पर मड़ियांव थाना से अन्दर जाने वाली गायत्रीनगर कालोनी नौबस्ती, हरिहर नगर कालोनी एवं बाल निकेतन विद्यालय, रतना देवी विद्यालय जाने वाली सड़क के निर्माण विषयक जानकारी

27–श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के अन्तर्गत सीतापुर रोड पर मड़ियांव थाना से गायत्रीनगर कालोनी नौबस्ती, हरिहर नगर कालोनी, बाल निकेतन विद्यालय तथा रतना देवी विद्यालय के आगे से शिवजी के मन्दिर तक जाने वाली सड़क जर्जर अवस्था में होने के कारण नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत/निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

जी हां। प्रश्नगत समस्त क्षेत्र अविकसित है, जिसमें प्राइवेट कालोनाईजर्स द्वारा छोटे–छोटे भू–खण्ड काट कर विक्रय किया गया है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

चन्दौली के सकलडीहा में वित्तीय वर्ष 2016–17 में अतिवृष्टि, आकाशीय बिजली, मकान गिरने से दबकर पशुओं की मृत्यु के सम्बन्ध में कार्यवाही विषयक जानकारी

28–श्री प्रभुनारायण सिंह यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली के सकलडीहा में वित्तीय वर्ष 2016–17 में अतिवृष्टि, आकाशीय बिजली, मकान गिरने से दब कर मृत पशुओं हेतु तथा गृह अनुदान के लिए आपदा प्रभावित लोगों को अनुग्रह मद से सहायता न मिलने के सम्बन्ध में दिनांक 01–05–2017 को पत्र जिलाधिकारी, चन्दौली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ–

जी हां।

जनपद चन्दौली की तहसील सकलडीहा में वर्ष 2016–17 में अतिवृष्टि/बाढ़ से प्रभावित 6871 व्यक्तियों के मध्य रु0 6,71,267/–की खाद्य सामग्री, 1754 व्यक्तियों को पशुचारा हेतु रु0 6,45,360/–, नाव किराया हेतु 122 नाविकों को रु0 7,27,400/–, आकाशीय बिजली से हुई 03 जनहानि, 01 घायल तथा 06 पशु हानि से प्रभावित 05 परिवारों को रु0 15,95,100/– की अनुग्रह सहायता तथा 960 आपदा प्रभावित व्यक्तियों को गृह अनुदान के रूप में रु0 33,54,373/– की धनराशि का वितरण तत्समय ही करा दिया गया था। वित्तीय वर्ष 2016–17 में जनपद चन्दौली में दैवी आपदा मद में कोई धनराशि अवशेष नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चन्दौली के सकलडीहा एवं धानापुर को नगर पंचायत बनाये जाने विषयक जानकारी

29–श्री प्रभुनारायण सिंह यादव–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली की तहसील सकलडीहा एवं धानापुर को नगर पंचायत बनाने हेतु जिलाधिकारी, चन्दौली द्वारा सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा गया है ? यदि हां, तो उक्त प्रकरण पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

जी हां।

जनपद चन्दौली की तहसील सकलडीहा एवं धानापुर को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

महराजगंज के नौतनवा में तिनमुहानी घाट से खालीगढ़ टेडी घाट/महाव नदी के तटबन्धा की मरम्मत/जीर्णोद्वार विषयक जानकारी

30–श्री अमन मणि त्रिपाठी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महाराजगंज के विधान सभा क्षेत्र नौतनवां में तिनमुहानी घाट से खालीगढ़–टेडी घाट तक एवं महाव नदी के पूर्वी तथा पश्चिमी तटबन्धों का मरम्मत एवं निर्माण कार्य वर्षा ऋतु से पूर्व कराने की सरकार की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ–

जी नहीं।

तिनमुहानी घाट खालीगढ़ तटबन्ध का निर्माण ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा निर्मित किया गया है। वर्तमान समय में यह तटबन्ध सुरक्षित है। महाव नाला पर कोई तटबन्ध निर्मित नहीं है।

जनपद महराजगंज की तहसील नौतनवां में छतिग्रस्त रोहिण नहर प्रणाली का पुनर्निर्माण आधुनिक बैराज निर्माण एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही का प्रकरण

31–श्री अमन मणि त्रिपाठी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महराजगंज की तहसील नौतनवां में रोहिण नहर प्रणाली अधोमानक निर्माण सामग्री के प्रयोग के कारण क्षतिग्रस्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी जांच कराकर उक्त रोहिण नहर प्रणाली का पुनः आधुनिक ढंग से बैराज निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

अधोमानक सामग्री के प्रयोग के कारण बैराज क्षतिगस्त नहीं हुआ बल्कि डिजाइनकर्ता एजेन्सी द्वारा उपलब्ध करायी गयी ड्राइंगों की डिजाइन, गणना, आई0एस0 कोड के अनुसार परीक्षण किये बगैर स्वीकृत कराने, आमंत्रित निविदा को खोलने के पश्चात् अनुबन्ध गठित करने हेतु आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण करने में अनावश्यक विलम्ब करने एवं त्रुटिपूर्ण ड्रांइग के आधार पर बैराज का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराने तथा रोहिन नदी में आयी बाढ़ के कारण निर्माणाधीन अवस्था में ही क्षतिग्रस्त हो गया।

बैराज के निर्माणाधीन अवस्था में क्षतिग्रस्त होने के कारण शासन के आदेश दिनांक 15–7–2011 द्वारा बैराज के निर्माण के समय कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ करने के आदेश दिये गये। प्रकरण में अन्तर्ग्रस्त कुल 13 अधिकारियों/कर्मचारियों में से 09 अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही सम्पन्न हो चुकी है तथा शेष 04 अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही गतिमान है। रोहिन बैराज का पुनर्निर्माण आधुनिक ढंग से कराने हेतु कार्यकारी ड्राइंग केन्द्रीय परिकल्प निदेशालय, लखनऊ से परिकल्पित करायी जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

भारत नेपाल सीमा पर रोड का निर्माण कार्य कराये जाने की जानकारी

32–श्री अमन मणि त्रिपाठी–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत नेपाल सीमा पर बार्डर रोड का वर्षों से निर्माण कार्य रुका हुआ है ? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त का निराकरण कराकर बार्डर रोड का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य–

भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 12 डी0पी0आर0 लम्बाई 257.00 कि0मी0 के अन्तर्गत 252.00 कि0मी0 लम्बाई के अनुबन्ध गठित किये जा चुके हैं। अनुबन्धित कार्यों पर वित्तीय वर्ष 2016–17 में दिनांक 31–3–2017 तक रु0 349.58 करोड़ का व्यय करते हुये 102.00 कि0मी0 लम्बाई में फार्मेशन स्तर तक एवं 57.98 कि0मी0 में लेपित स्तर तक के कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं। निर्माण कार्य प्रगति पर है।

जनपद कुशीनगर में राज्य योजना के अन्तर्गत कतिपय मार्गों पर चौड़ीकरण कराये जाने की मांग

33–श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–कुशीनगर में प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत तथा राज्य योजना के तहत चैनेज 150.3 से 174.1 गोड़रिया से तमकुहीराज तक बी0एम0सी0टी0 मार्ग के चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र पत्रांक–क–5 नं0 564814, दिनांक 29 मार्च, 2017 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य–

जी नहीं, प्रश्नगत विषय में प्रश्नकर्ता के पत्र संख्या–क–5 नं0 564814, दिनांक 29–3–2017 प्राप्त न होकर अपितु पत्र संख्या– क–5 नं0 564811, दिनांक 30 मार्च, 2017 प्राप्त हुआ है।

प्रश्न में उल्लिखित चैनेज 150.30 से 174.10 गोड़रिया से तमकुहीराज बस्ती–मेंहदावल– कम्पियरगंज–तमकुहीराज मार्ग (राज्य मार्ग संख्या–64) का भाग है। मार्ग के इस भाग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद कुशीनगर के वि0स0क्षे0 तमकुहीराज से होकर गुजरने वाली कुछ सड़कों को चौड़ीकरण/ सुदृढ़ीकरण कराने के सम्बन्ध में पत्र दिनांक 29–3–2017 पर कार्यवाही

34–श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–कुशीनगर के तमकुहीराज विधान सभा क्षेत्र से होकर गुजरने वाली लोक निर्माण विभाग के अधीन कतिपय सड़कों का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण कराये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र पत्रांक–क–5 नं0 564816, दिनांक 29 मार्च, 2017 उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य–

जी हां, परन्तु प्रश्नकर्ता के पत्रांक–क–5 नं0 564816, दिनांक 29 मार्च, 2017 के स्थान पर पत्रांक–क–5 नं0 564816, दिनांक 30 मार्च, 2017 प्राप्त हुआ है।

प्रश्नकर्ता के पत्र में वर्णित कुल 06 कार्यों में से 03 कार्यों (क्रम सं0–3, 4 एवं 6) का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य चौड़ीकरण मानकों से आच्छादित नहीं है तथा 03 मार्गों (क्रम सं0– 1, 2 एवं 5) का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गाजीपुर के जंगीपुर लावा मार्ग के क्षतिग्रस्त मार्ग की नवनिर्माण एवं मरम्मत कराने की मांग

35–श्री विरेन्द्र कुमार यादव–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर में लगभग 8 किमी0 लम्बा जंगीपुर लावा मार्ग जर्जर व क्षतिग्रस्त हो गया है ? यदि हां, तो क्या

सरकार उक्त मार्ग का नवनिर्माण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य–

जनपद गाजीपुर में जंगीपुर लावा मार्ग भारी वाहनों के आवागमन के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है। मार्ग का नवनिर्माण/मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद गाजीपुर के कठवा मोड़ पुल की मरम्मत डायवर्जन का कार्य पूर्ण करने की जानकारी

36–श्री विरेन्द्र कुमार यादव–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के कठवा मोड़ पुल जो बाढ़ के समय जर्जर हो गया था, पर भारी वाहनों का आवागमन अवरुद्ध है ? यदि हां, तो क्या उक्त पुराने पुल व सड़क की मरम्मत कराकर भारी वाहनों हेतु यातायात व्यवस्था सरकार पुनः बहाल करायेगी। यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य–

प्रश्नगत पुल पर वर्तमान में हल्के वाहनों का आवागमन हो रहा है, परन्तु भारी वाहनों के यातायात पर रोक है।

जनपद गाजीपुर के कठवा मोड़ पुल मार्ग को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन0एच0ए0आई0) द्वारा 04 लेन विकसित किये जाने हेतु डी0पी0आर0 के गठन की कार्यवाही प्रगति पर है। भारी वाहनों के आवागमन हेतु भारत सरकार के आदेश दिनांक 31–3–2017 द्वारा अस्थाई डायवर्जन निर्माण हेतु लागत रु0 195.54 लाख स्वीकृत है, जिसका निर्माण कार्य प्रगति पर है। आगामी माह सितम्बर, 2017 तक डायवर्जन का कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। तदोपरान्त उक्त डायवर्जन पर भारी वाहनों का यातायात प्रारम्भ हो सकेगा।

दिल्ली से अलीगढ़ के मध्य रोड का पुनर्निर्माण व चौड़ीकरण करने मे काटे गये वृक्षों की नीलामी

37–श्री दलवीर सिंह–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली से अलीगढ़ के मध्य तक एन0एच0–91 के पुनर्निर्माण व चौड़ीकरण के लिए कितने वृक्षों का कटान किया गया था तथा इससे सरकार को कितने राजस्व की प्राप्ति हुई है ? क्या सरकार के संज्ञान में है कि विभाग द्वारा नीलाम किये गये प्रति वृक्ष की औसत कीमत खुले बाजार भाव से काफी कम थी ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दारा सिंह चौहान–

उत्तर प्रदेश सीमा के अन्तर्गत एन0एच0–91 के पुनर्निर्माण और चौड़ीकरण के लिये दिल्ली से अलीगढ़ के मध्य 19283 वृक्षों का कटान किया गया। वन विभाग को

रायल्टी के रूप में रु0 2,44,81,533.00 (रु0 दो करोड़ चौवालिस लाख इक्यासी हजार पांच सौ तैंतीस मात्र) का राजस्व प्राप्त हुआ है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

पातित किये गये वृक्ष वन विभाग द्वारा निगम को आवंटित थे। वन निगम द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत सामान्य नीलाम, ई–नीलाम, समिति के माध्यम से नीलाम तथा विशेष नीलाम के माध्यम से पूर्ण प्रतिस्पर्धा के साथ वृक्षों की बिक्री की गयी। अतः कोई जांच कराने की आवश्यकता नहीं है।

जनपद अलीगढ़ की मकदूम नगर स्थित नगर निगम की पशु वधशाला के मलवे को नाले में डाले जाने की जानकारी

38–श्री दलवीर सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ में शहर के सीमा से लगे अलीगढ़ नाले में पशु वधशालाओं द्वारा बिना शोधित मल डालने के कारण सिल्ट व कट्टी मलवा एकत्रित होने से नाले का बहाव रुक गया है और आस–पास के क्षेत्र में दुर्गन्ध व्याप्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार बिना शोधित मलवे को नाले में डालने पर रोक लगाकर नाले को साफ करायेगी ? यदि हां ? तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मकदूम नगर स्थित नगर निगम की पशु वधशाला वर्तमान में बन्द है, जिससे किसी प्रकार की सिल्ट व मलवा अलीगढ़ नाले में नहीं डाला जा रहा है। अन्य पशु वधशालाओं द्वारा शुद्धविकृत के उपरान्त ही अलीगढ़ ड्रेन में पानी डाला जाता है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

अलीगढ़ शहर में प्रदर्शनी स्थल पर बालू बदरपुर व अन्य ठेकों से प्राप्त आय को सरकारी कोष में जमा कराने की जानकारी

39–श्री दलवीर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ शहर में प्रदर्शनी स्थल कुल कितना है तथा इसका स्वामित्व किस–किस के पास है ? क्या सरकार की जानकारी में है कि इस प्रदर्शिनी स्थल से प्राप्त आय को सरकारी कोष में जमा नहीं कराया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त आय को सरकारी कोष में जमा करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ–

अलीगढ़ शहर में प्रदर्शनी स्थल के गाटा सं0–954/1, 973, 955, 970 एवं 954/2 का 0.138, 2.847, 0.380, 13.682, 0.023 कुल क्षेत्रफल (रकबा) 17.250 हेक्टेयर है। राजकीय कृषि एवं औद्योगिक प्रदर्शनी, अलीगढ़ का राजस्व अभिलेखों में भूमि स्वामित्व है, जिसके अध्यक्ष/प्रबन्धक जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ है।

प्रदर्शनी का आयोजन किसी शासकीय विभाग द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि राजकीय औद्योगिक एवं कृषि प्रदर्शनी एक पंजीकृत संस्था है। प्रदर्शनी से प्राप्त आय प्रदर्शनी निधि के खाते, जो अध्यक्ष, राजकीय औद्योगिक एवं कृषि प्रदर्शनी, अलीगढ़ के नाम है, में जमा करायी जाती है।

जनपद जौनपुर के स्थित मछलीशहर तहसील रायपुर ग्राम सभा के तालाब व भीटे पर नगर पंचायत अध्यक्ष मुंगरा बादशाहपुर द्वारा कब्जा/अवैध निर्माण को ध्वस्तीकरण के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

40–श्रीमती सुषमा पटेल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर की तहसील मछलीशहर स्थित रायपुर ग्रामसभा के तालाब व भीटे पर नगर पंचायत अध्यक्ष मुंगरा बादशाहपुर द्वारा अवैध कब्जा कर निर्माण शुरू किये जाने विषयक जिलाधिकारी को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–12, दि0 10 अप्रैल, 2016 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ–

प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 12, दि0 10 अप्रैल, 2016 प्राप्त न होकर पत्र सं0–12, दि0 10 अप्रैल, 2017 प्राप्त हुआ है।

ग्राम रायपुर परगना मुंगरा, बादशाहपुर, तहसील मछलीशहर, जिला जौनपुर की गाटा सं0–128/1.214 हे0 श्री पुरुषोतम टण्डन महाविद्यालय रायपुर जरिये प्रबन्धक कपिलमुनि पुत्र पुरुषोतम टण्डन निवासी गुडहाई कस्बा मुंगरा बादशाहपरु के नाम जरिये बैनामा अभिलेख में संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। गाटा सं0– 126 भीटा न होकर गाटा सं0–127/0.910 हे0 भीटा है। गाटा सं0–127/0.910 हे0 में से 0.024 हे0 पर पुरुषोतम दास टण्डन महाविद्यालय रायपुर जरिये प्रबन्धक कपिलमुनि द्वारा नींव भरकर व खम्बा बनाकर कब्जा किया गया है। उक्त अतिक्रमण के विरुद्ध राजस्व संहिता– 2006 की धारा–167 के अन्तर्गत बेदखली हेतु वाद सं0–टी2017143658031224 तहसीलदार मछलीशहर के न्यायालय में दायर किया गया है।

प्रमुख सचिव नगर विकास को सम्बोधित पत्र सं0–ख–6–नं0–033577, दि0 28–04–2017 जो कि अवैध दूध डेरियों को कैटिल कालोनी में स्थानान्तरण से सम्बन्धित था, पर कार्यवाही विषयक जानकारी

41–श्री संजय गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख सचिव, नगर विकास को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या–ख–6 नं0–033577, दिनांक 28–04–2017 जो जय बिहार नियर तुलसी कार सेन्टर, इन्दिरा नगर, शिवाजीपुरम्, श्रुति बिहार, लखनऊ के आवासीय क्षेत्र से अवैध दूध डेरियों को कैटिल कालोनी में स्थानान्तरित करने विषयक था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

जी हां।

दूध डेरियों को कैटिल कालोनी में स्थानान्तरित किये जाने हेतु मा0 उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या–7151 (एम0बी0)/2012 अध्यक्ष, आल इण्डिया घोसी एसोसिएशन, लखनऊ बनाम प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन उ0प्र0 शासन व अन्य में दिनांक 22–11–2013 को पारित आदेश के अनुपालन में आवास विकास परिषद् एवं लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा पशु पालकों को इनके अनुरोध के अनुसार भू–खण्ड उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग को सम्बोधित पत्र सं0 ख–6–नं0–033579, दि0 25–04–2017 जो कि राजकीय निर्माण निगम लि0 के कर्मचारियों के वेतन आयोग के एरियर भुगतान से सम्बन्धित था, पर कार्यवाही विषयक जानकारी

42–श्री संजय गर्ग–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या–ख–नं0–033579, दिनांक 25–04–2017 जो उ0 प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 के कर्मियों को पंचम एवं छठा वेतन आयोग के अनुसार वेतन एरियर के भुगतान विषयक था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य–

जी हां।

मा0 सदस्य के पत्र दिनांक 25–04–2017 में तत्कालीन मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा दिनांक 19–11–2016 के अनुसार उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 के कर्मियों को पंचम वेतनमान का दिनांक 01–01–1996 से 31–03–2006 तक के अवशेष एरियर तथा छठे वेतनमान का दिनांक 01–01–2006 से 11–01–2010 तक के अवशेष एरियर के भुगतान करने के आदेश दिये जाने की अपेक्षा की गयी थी।

उक्त पत्र में उल्लिखित तत्कालीन मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा दिनांक 19–11–2016, मुख्यमंत्री कार्यालय के पत्र दिनांक 01–03–2017 द्वारा निरस्त की जा चुकी है।

लखनऊ स्थित उतरेठिया रक्षाखण्ड रायबरेली रोड न्यू अपार्टमेन्ट से शिव मन्दिर होते हुए रायबरेली रोड तक जर्जर सड़क की मरम्मत/निर्माण विषयक जानकारी

43–श्री संजय गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित उतरेठिया, रक्षाखण्ड, रायबरेली रोड लेक व्यू अपार्टमेन्ट से शिव मन्दिर होते हुये रायबरेली रोड तक लगभग 600 मीटर मार्ग क्षतिग्रस्त एवं गड्ढायुक्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत/निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

जी हां।

प्रश्नगत सड़क को बनाये जाने में अनुमानित लागत रु0 9.95 लाख की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

वि0 स0 क्षेत्र बछरांवा के किसानों को फसल की सिंचाई हेतु नियमित रूप से नहरों/अल्पिकाओं में पानी छोड़ने विषयक जानकारी

श्री राम नरेश रावत–

44–क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली में बछरांवा विधान सभा क्षेत्र में फसलों की सिंचाई हेतु नहरों/अल्पिकाओं में पानी नियमित रूप से नहीं छोड़ा जाता रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसान हित को देखते हुए उक्त क्षेत्र की नहरों/अल्पिकाओं में नियमित रूप से पानी छोड़े जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जनपद रायबरेली में बछरांवा विधान सभा क्षेत्र में फसलों की सिंचाई हेतु नहरों में रोस्टर/जल उपलब्धता के आधार पर नियमित रूप से पानी छोड़ा जाता रहा है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

बस्ती के वि0स0क्षे0 सल्टौआ गोपालपुर वि0खं0 नारायणपुर चिरैयाडाड़ को गड्ढा मुक्त कराने विषयक जानकारी

श्री संजय प्रताप जायसवाल–

45–क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के सल्टौवा गोपालपुर विकास खण्ड में नारायनपुर चिरैयाडाड़ मार्ग गड्ढा युक्त होने के कारण जनसामान्य को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का पुनर्निर्माण/मरम्मत कराकर गड्ढा मुक्त करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य–

मार्ग की मरम्मत करा दी गयी है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा में केन्ट रेलवे स्टेशन के पास मुस्तफा क्वार्टर एवं मुगला पुलिया के पास अण्डर पथ के चौड़ीकरण विषयक जानकारी

डा0 जी0 एस0 धर्मेश–

46–क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में कैन्ट रेलवे स्टेशन के पास मुस्तफा क्वार्टर एवं नगला पुलिया के मध्य अन्डर पास संकरा होने से चौपहिया वाहन न जा पाने के कारण लोगों को लगभग 4–5 कि0मी0 घूमकर आना

जाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उक्त अन्डर पास के चौड़ीकरण हेतु आगणन की धनराशि अवमुक्त करने विषयक जिलाधिकारी आगरा का पत्र सं0–3345/ओ0एस0डी0 दिनांक, 13 अप्रैल 2017, जो प्रमुख सचिव, नगर विकास उ0प्र0 शासन को सम्बोधित है उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

जी हां।

जी हां।

प्रायोजना की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

आगरा में जगनेर स्थित नरीपुरा कमला खां राधेवाली गली शिवनगर आदि बस्तियों में ड्रिनेज सिस्टम के अन्तर्गत जलभराव मुक्त करने विषयक कार्य योजना की मांग

47–डा0 जी0 एस0 धर्मेश–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में जगनेर स्थित नरीपुरा, कमाल खां, राधेवाली गली, शिवनगर सहित अन्य निकटवर्ती बस्तियों में आगरा कैंट रेलवे लाइन के सहारे जलभराव की समस्या के निदान के लिए स्वीकृत घनौली ड्रिनेज सिस्टम परियोजना को पूरा करने हेतु स्वीकृत रु0 45 करोड़ की धनराशि में से शेष रु0 30 करोड़ की धनराशि को सरकार अवमुक्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

आगरा में जगनेर स्थित नरीपुरा, कमाल खां, राधेवाली गली, शिवनगर सहित अन्य निकटवर्ती बस्तियों में आगरा कैंट रेलवे लाइन के सहारे जलभराव की समस्या के निदान के लिए 'धनौली ड्रिनेज सिस्टम' योजना की निर्धारित लागत रु0 3148.43 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ प्रथम किश्त के रूप में रु0 500.00 लाख की धनराशि शासनादेश दिनांक 12–08–2015 द्वारा अवमुक्त की गयी है। योजना की निर्धारित लागत के सापेक्ष अब तक रु0 1500.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। इस योजना के अन्तर्गत अभी तक 4300 मी0 आर0सी0सी0 ट्रंक नाले का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। योजना पर अवमुक्त रु0 1500.00 लाख के विरुद्ध रु0 1495.13 लाख का व्यय किया जा चुका है।

योजना की अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने हेतु उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा शहर में मेट्रो ट्रेन चलाने विषयक जानकारी

डा0 जी0 एस0 धर्मेश–

48–क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में यातायात की समस्या के दृष्टिगत क्या सरकार आगरा शहर में मैट्रो ट्रेन चलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्य नाथ–

राज्य सरकार द्वारा आगरा शहर में मेट्रो के संचालन के सम्बन्ध में डी0पी0आर0 बनाये जाने का निर्णय लिया जा चुका है। भारत सरकार की संस्था राईट्स लि0 को डी0पी0आर0 तैयार करने का कार्य सौंप दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

आगरा में यमुना नदी पर गंदे पानी का शोधन संयंत्र एवं बैराज निर्माण कराये जाने विषयक जानकारी

डा0 जी0 एस0 धर्मेश–

49–क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा नगर में जल संस्थान द्वारा आगरा शहर की जनता को आपूर्ति किये जाने वाले यमुना नदी के गन्दे पानी के शोधन एवं बैराज बनाने के सम्बन्ध में रूड़की यूनीवर्सिटी की तकनीकी फिजीविलिटी रिपोर्ट आ चुकी है ? यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

आगरा शहर में जनता को आपूर्ति किये जाने वाले यमुना नदी के जल को शोधन हेतु उच्च तकनीक पर आधारित 144एम0एल0डी0 क्षमता के जल शोधन संयंत्र का निर्माण पूर्ण कर मई, 2014 से क्रियाशील किया जा चुका है। उक्त संयंत्र मई, 2014 से क्रियाशील है। इस संयंत्र के माध्यम से यमुना नदी के गन्दे पानी को शोधित कर आगरा नगर के सिकन्दर, स्वामी बाग, अदन बाग, लायर्स कालोनी, आवास विकास कालोनी सिकन्दरा, बोदला, लोहामण्डी आदि क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति की जा रही है।

बैराज बनाने के सम्बन्ध में रूड़की यूनीवर्सिटी की कोई तकनीकी फिजीविलिटी रिपोर्ट जलकल विभाग, नगर निगम, आगरा/जल निगम, आगरा को प्राप्त नहीं हुई है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद एटा से अलीगढ़ में किसानों की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए मचुआ रजवाहा बम्बे में पानी छोड़े जाने विषयक जानकारी

50–श्री वीरेन्द्र–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मारहरा, जनपद–एटा और अलीगढ़ डिवीजन से माचुआ रजबाहा नाम से एक बम्बा जो एटा होते

हुए मैनपुरी तक जाता है, में 30 साल से पानी नहीं छोड़ा गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बम्बा में पानी छोड़े जाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

माचुआ राजवाहा अलीगढ़ खण्ड गंगा नहर, अलीगढ़ के नियंत्रणाधीन है जिसकी लम्बाई 76.00 कि0मी0 एवं डिस्चार्ज 307 क्यूसेक है। विगत वर्षों में रबी एवं खरीफ फसली में माचुआ राजवाहे में पानी छोड़ा गया है तथा विगत खरीफ 1424 फसली में 8051 हेक्टेयर एवं रबी 1424 फसली में 7969 हेक्टेयर क्षेत्र में सींच हुई है। इस वर्ष राजवाहा चालू खरीफ 1425 फसली में 01 अप्रैल से 9 मई, 2017 तक औसतन 200 क्यूसेक की उपलब्धता के सापेक्ष चलाया गया है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद एटा के ग्राम लालपुर और धार्मिक स्थल चौड़ेश्वर के सामने से दो पुलों का निर्माण कराने की मांग

51–श्री वीरेन्द्र–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 105 मारहरा विधान सभा क्षेत्र जनपद–एटा में बेवर बैराज नहर पर ग्राम लालपुर और धार्मिक स्थल चौड़ेश्वर में पुल न होने से किसानों को अपने खेत तक पहुंचने में काफी कठिनाई होती है ? यदि हां, तो सरकार ग्रा0–लालपुर और धार्मिक स्थल चौड़ेश्वर के सामने से दो छोटे पुलों का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

ग्राम लालपुर से 0.353 कि0मी0 ऊपर बेवर फीडर पर डी0आर0बी0 निर्मित है तथा धार्मिक स्थल चौड़ेश्वर से 0.590 कि0मी0 नीचे बेवर फीडर पर वी0आर0बी निर्मित है। इन निर्मित पुलों से ग्राम लालपुर व धार्मिक स्थल चौड़ेश्वर की दूरी 1.00 कि0मी0 से कम होने के कारण सिंचाई विभाग के मानकों के अनुसार पुल का निर्माण नियमानुकूल नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के अन्तर्गत सी0 38 से सी0 43 जे पार्क–1 महानगर के पास गन्दगी फैलाने वाले भैंस पालकों के विरूद्ध कार्यवाही विषयक जानकारी

52–श्री अमिताभ बाजपेयी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम, लखनऊ अन्तर्गत सी0 38 से सी0 43 जे पार्क–1, महानगर विस्तार, लखनऊ के आस–पास भैंस पालकों द्वारा गन्दगी फैलाने से स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है ? यदि

हां, तो क्या सरकार वहां से भैंस पालकों को हटायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

जी हां।

दिनांक 20–05–2017 को विशेष अभियान चलाकर थानाध्यक्ष, थाना–महानगर द्वारा उपलब्ध कराये गये पुलिस बल के सहयोग से प्रश्नगत क्षेत्र/स्थल पर अवैध रूप से संचालित दूध डेरी को हटा दिया गया।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के रतन खण्ड शारदानगर योजना के अन्तर्गत पार्कों की सफाई व मरम्मत कराये जाने विषयक जानकारी

53–श्री अमिताभ बाजपेयी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रतन खण्ड योजना, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ में पार्क संख्या 10 व 9 जो लखनऊ प्राधिकरण द्वारा देखा जाता है उसमें सफाई व घास कटाई नहीं हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पार्कों की सफाई व घास की कटाई करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ–

शारदा नगर योजना के अन्तर्गत रतनखण्ड में पार्क सख्या–10 व 9 की सफाई एवं घास की कटाई पूर्व में भी करायी गयी थी एवं सतत् प्रक्रिया के अन्तर्गत समय–समय पर सफाई एवं घास की कटाई करायी जाती रही है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ की रतन कालोनी में आवास सं0–1/148 के सामने टूटी पाईप लाईन ठीक कराने तथा सड़क का निर्माण कराने की मांग

55–श्री अमिताभ बाजपेयी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ की कालोनी रतन खण्ड, शारदानगर योजना, लखनऊ में पार्क संख्या–9 व 10 के उत्तरी सड़क टूटी है तथा आवास सं0–1/148 के सामने पानी की पाइप टूटी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त को ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

जी हां।

प्रश्नगत सेक्टर–रतनखण्ड जो नगर निगम, लखनऊ को हस्तान्तरित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के राजीव नगर कालोनी में स्थित सेक्रड हाई स्कूल के पास अवैध रूप से चला रही डेयरी को चिन्हित कर दण्डित किये जाने की मांग

56–श्री अमिताभ बाजपेयी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम लखनऊ के अन्तर्गत खरीका वार्ड के राजीव नगर कालोनी स्थित सेक्रड हाईस्कूल के पास काफी मात्रा में जानवरों को पाल कर प्रदूषण फैलाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार अवैध रूप से डेयरी चलाने वाले लोगों को चिन्हित कर हटायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नही, तो क्यों ?

सुरेश कुमार खन्ना–

जी हां।

प्रश्नगत क्षेत्र/स्थल नगर निगम एवं कैन्टोमेन्ट बोर्ड सीमा पर स्थित है। नगर निगम द्वारा जब भी पशुओं को पकड़ने/हटाने हेतु कार्यवाही की जाती है, उस समय पशु पालक अपनी दूध डेरियों/पशुओं को कैन्टोमेन्ट क्षेत्र में लेकर चले जाते हैं। फिर भी नगर निगम द्वारा पशु पालकों के विरुद्ध नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा–550 के अन्तर्गत चालान एवं दूध डेरी हटाये जाने हेतु नोटिस भी भेजी गयी, जिसकी प्रतिलिपि सम्बन्धित पुलिस क्षेत्राधिकारी/थानाध्यक्ष को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखनऊ में ट्राफिक जाम की समस्या से निजात हेतु आई0आई0एम0 से गोमती किनारे तक सम्पर्क मार्ग बनवाये जाने की मांग

57–डा0 नीरज बोरा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के लखनऊ उत्तर विधान सभा क्षेत्र में ट्रैफिक जाम की समस्या को देखते हुए पक्का पुल से आई0आई0एम0 रोड तक गोमती किनारे सरकार सम्पर्क मार्ग बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्य नाथ–

सूचना संकलित की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यों के निधन पर शोकोद्गार

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री राम खेलावन का 23 सितम्बर, 2016 को निधन हो गया। वे लगभग 59 वर्ष के थे। श्री राम खेलावन का जन्म 02 अक्टूबर, 1957 को ग्राम ढखवा, जिला उन्नाव में हुआ था। श्री राम खेलावन वर्ष 1993 में निर्वाचन क्षेत्र हसनगंज (अ0जा0), जिला उन्नाव से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री राम खेलावन 10 वर्षों तक ग्राम प्रधान रहे थे। समाज सेवा में उनकी विशेष रूचि थी। श्री राम खेलावन के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री योगेन्द्र सिंह का 03 जनवरी, 2017 को निधन हो गया । वे लगभग 69 वर्ष के थे। श्री योगेन्द्र सिंह का जन्म 10 अक्टूबर, 1948 को ग्राम धर्मखोर करन, जिला देवरिया में हुआ था। उन्होंने इण्टरमीडिएट की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री योगेन्द्र सिंह वर्ष 1996 में निर्वाचन क्षेत्र भाटपाररानी, जिला देवरिया से समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री योगेन्द्र सिंह गन्ना विकास समिति, भाटपाररानी तथा प्रतापपुर के अध्यक्ष रहे थे। जनसम्पर्क में उनकी विशेष रूचि थी। श्री योगेन्द्र सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री छोटे लाल का 06 अप्रैल, 2017 को निधन हो गया। वे लगभग 76 वर्ष के थे। श्री छोटे लाल का जन्म 15 जुलाई, 1941 को हुआ था। उन्होंने साहित्यरत्न की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री छोटे लाल वर्ष 1977 में निर्वाचन क्षेत्र शाहगंज (अ0जा0), जिला जौनपुर से जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री छोटे लाल एक कुशल राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। राजनैतिक विषयों पर विचार–विमर्श तथा उद्योग संबंधी कार्यों में उनकी विशेष रूचि थी। श्री छोटे लाल के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया। उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री बच्चा पाठक का 23 अप्रैल, 2017 को निधन हो गया। वे लगभग 82 वर्ष के थे। श्री बच्चा पाठक का जन्म 01 जुलाई, 1935 को ग्राम खानपुर, जिला बलिया में हुआ था। उन्होंने साहित्य रत्न की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री बच्चा पाठक वर्ष 1969, 1974 व 1977 में कांग्रेस, वर्ष 1980 में कांग्रेस (आई) तथा वर्ष 1991, 1993 व 1996 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र बांसडीह, जिला बलिया से विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री बच्चा पाठक क्षेत्र समिति रेवती के ब्लाक प्रमुख, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री व उपाध्यक्ष तथा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे थे। वे श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री श्रीपति मिश्र तथा श्री कल्याण सिंह मंत्रि–मण्डल में मंत्री भी रहे थे। श्री बच्चा पाठक यू0पी0 कोआपरेटिव बैक के अध्यक्ष तथा कई शिक्षण संस्थाओं के प्रबंधक भी रहे थे। सहकारिता एवं खेलकूद में उनकी विशेष रुचि थी। श्री बच्चा पाठक के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री केशरी लाल का 25 अप्रैल, 2017 को निधन हो गया, वे लगभग 84 वर्ष के थे। श्री केशरी लाल का जन्म 1933 में मूसानगर, ग्राम फत्तेपुर, जिला कानपुर में हुआ था। श्री केशरी लाल वर्ष 1967 में निर्वाचन क्षेत्र भोगनीपुर, जिला कानपुर से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी तथा वर्ष 1974 में निर्वाचन क्षेत्र भोगनीपुर (अ0जा0), जिला कानपुर से भारतीय क्रान्ति दल के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे लोक सभा के सदस्य भी रहे थे। श्री केशरी लाल सोशलिस्ट आन्दोलनों में भाग लेने के फलस्वरूप जेल गये थे। धार्मिक रचनाओं के अध्ययन तथा कृषि सम्बन्धी कार्यों में उनकी विशेष रूचि थी। श्री केशरी लाल के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, श्री राम किशन ददाजू का 31 मई, 2017 को निधन हो गया, वे लगभग 66 वर्ष के थे। श्री राम किशन ददाजू का जन्म 8 अगस्त, 1951 को जिला फिरोजाबाद में हुआ था। उन्होंने स्नातकोत्तर की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री राम किशन ददाजू वर्ष 1991 में निर्वाचन क्षेत्र फिरोजाबाद, जिला फिरोजाबाद से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री राम किशन ददाजू धारा 107/117 के अन्तर्गत जिला कारागार आगरा में बन्दी रहे थे। वे यमुना मार्ग सुधार समिति के संरक्षक, युवा मोर्चा के महामंत्री तथा श्रम प्रकोष्ठ के प्रदेश महामंत्री रहे थे। वे भारतीय मजदूर संघ तथा कांच उद्योग मजदूर यूनियन के सदस्य भी रहे थे। समाज सेवा में उनकी विशेष रूचि थी। श्री राम किशन ददाजू के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, श्री शारदानन्द दीक्षित राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के स्वयं सेवक रहे थे। वे गन्ना कर्मचारी संघ महोली के प्रधान तथा पन्त हायर सेकेन्ड्री स्कूल, बम्भौरा के प्रेसीडेन्ट भी रहे थे। जनसंघ द्वारा चालित काश्मीर आन्दोलन में वे जेल गये थे। अध्ययन तथा खेल में उनकी रुचि थी। श्री शारदानन्द दीक्षित के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

इस आदरणीय सदन के इन माननीय पूर्व सदस्यगणों के निधन से पूरा सदन शोकाकुल है, मैं अपनी ओर से और इस आदरणीय सदन की ओर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह दिवंगत आत्माओं को शान्ति प्रदान करें और उनके शोक–संतप्त परिवारों को इस गहन दुःख को सहन करने की शक्ति दे। मैं इस सदन में व्यक्त शोक–संवेदनाएं मृतकों के शोकाकुल परिवारों तक पहुंचवा दूंगा। आइये, दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिए खड़े होकर 02 मिनट का मौन रखें।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिए अपने–अपने स्थान पर मौन खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)–

माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नों के सम्बन्ध में मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आज की कार्य–सूची में जो नम्बर–1 प्रश्न है, सिंचाई के सम्बन्ध में। इस पर काफी कुछ प्रश्न भी हुए, उत्तर भी आए। मंत्री जी ने भी उसका उत्तर दिया। उत्तर दिया उन्होंने, ठीक बात भी कही, लेकिन ये जो बाढ़ की समस्या है श्रीमन् यह बहुत ही विकराल समस्या हो जाती है बाढ़ के इलाकों में और जो मूल प्रश्नकर्ता थे वह संतुष्ट भी नहीं हो पाये, मैं आपसे आग्रह करूंगा, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें पक्ष और विपक्ष के मा0 सदस्य दिलचस्पी रखते हैं, क्योंकि उनके क्षेत्र के मामले होते हैं, तो कृपया उन पर आपको कुछ अधिक समय देना चाहिए, होता भी रहा है आधा–आधा घण्टा एक–एक प्रश्न पर इस पीठ से प्रश्न करने की और उत्तर आने की अनुमति मिलती रही है। मैं आपसे एक

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आग्रह करता हूं, मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी भी यहां मौजूद हैं, मा0 मुख्यमंत्री जी से बात कर के बाढ़ का मामला बहुत गम्भीर होता जा रहा है, मा0 मंत्री जी ने कह दिया कि बाढ़ खतरे से ऊपर नहीं है और मेरे क्षेत्र में एक गांव कट रहा है, बड़ी बाढ़ से ही कटान नहीं होती है, धारा अगर टकराने लगती है तो उससे भी कटान होने लगती है, तो कटान शुरू हो गयी है और जो मैंने कहा था कि किसी पिछली सरकार और अब की सरकार की यह बात नहीं है, यह बहुत गम्भीर समस्या है, जिसको मा0 मुख्य मंत्री जी ने समस्या का समाधान किया कि नहीं जो बांध के बाहर गांव हैं नदी के बीच में उन गांवों को भी हम कटान से बचाने का काम करेंगे, लेकिन केवल कह देने से तो होगा नहीं, गांव तो कट रहे हैं, पैसा नहीं है विभाग के अधिकारियों के पास और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस बाढ़ के विषय में पूरा एक दिन दो घण्टे की चर्चा मा0 मुख्य मंत्री जी, संसदीय कार्यमंत्री आप मिलकर के दो घण्टे की चर्चा करा दें ताकि सभी सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग जो बाढ़ के इलाके हैं, अपने–अपने क्षेत्र की बातें मा0 मुख्य मंत्री जी के सामने, सरकार के सामने रख सकें और सरकार उसका समाधान करने की दिशा में काम कर सके।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, निश्चित रूप से जैसा माननीय नेता विरोधी दल ने कहा, प्रदेश में बाढ़ की आहट आई है और तमाम गांव घाघरा नदी में, सरयू नदी में, गंगा नदी में कहीं अन्य नदियों में समा रहे हैं, तो निश्चित रूप से मान्यवर, यह एक बड़ी घटना है और प्रदेश के सामने बड़ी समस्या है। हमने मान्यवर, कार्य स्थगन में नोटिस भी दिया है और हम चाहेंगे कि इस पर आप दो घण्टे की चर्चा स्वीकृत कर लें और इस पर चर्चा हो जायेगी तो निश्चित रूप से जो आने वाला खतरा है जो अभी भी खतरा है और आने वाले समय में जब जुलाई महीने में इतना बड़ा खतरा है मान्यवर कि नदियां खतरे के निशान से ऊपर जा रही हैं तो अगस्त महीना अभी पड़ा है।

श्री अध्यक्ष–

आप चर्चा कराये जाने की मांग कर रहे हैं ?

'**श्री लालजी वर्मा**–

जी मान्यवर, मैंने इस विषय पर कार्य–स्थगन में भी सूचना दी है।

'**श्री अजय कुमार 'लल्लू'**–

माननीय अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष ने जो बाढ़ जैसे गम्भीर मुद्दे पर ध्यान आकृष्ट कराया, यह किसी पक्ष और विपक्ष का विषय नहीं है, यह सभी विधायकों से जुड़ा हुआ विषय है और सत्ता पक्ष और विपक्ष तो आता–जाता रहता है, लेकिन हर लोग अपने क्षेत्र के प्रति जवाबदेह और जिम्मेदार होते हैं, केवल अधिकारिक बयान आ जाना और उसको इस सदन में रख देने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है।

श्री अध्यक्ष–

आप भी इसमे चर्चा कराये जाने की मांग कर रहे हैं ?

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

मैं माननीय प्रतिपक्ष महोदय के इस विचार से सहमत हूं और आपसे विनती और आग्रह करना चाहता हूं कि मेरा मूल प्रश्न इसी से सम्बन्धित था, चूंकि हम लोग बाढ़ क्षेत्र से आते हैं, उसकी तमाम टेक्निकलटी को भी इस सदन में रख कर और उस विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं मा0 मंत्री जी को और भी सुझाव देना चाहते हैं जिससे बाढ़ जैसी गम्भीर समस्या से निजात पाई जा सके। तो मैं इस पर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

माननीय अध्यक्ष जी, जो प्रश्न आज मा0 नेता विरोधी दल, मा0 नेता बसपा, मा0 नेता कांग्रेस ने उठाया है, सरकार भी उसके प्रति बहुत गम्भीर है। वर्ष 2017–18 में बाढ़ अनुरक्षण खासतौर से तटबन्ध, कटाव और निरोधक कार्य के लिए मान्यवर, अब तक 169.36 करोड़ रुपया दिया गया है और मान्यवर, आप जानते हैं कि कन्टिंजेन्सी से विशेष परिस्थिति में ही, आकस्मिकता निधि से पैसा दिया जाता है। आकस्मिकता निधि से 85 करोड़ 41 लाख रुपये अभी–अभी दिया है। मान्यवर, ऐसा नहीं है कि सरकार गम्भीर नहीं है। सरकार पूरी तरह से गम्भीर है, तटबन्ध की मरम्मत, निरोधक कार्य के लिए कटान रोकने के लिए सरकार ने व्यवस्था की है। हम पूरी तरीके से सजग हैं और किसी प्रकार की कोई लापरवाही बाढ़ के मामले में नहीं करेंगे। यह मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। जो सवाल आपने उठाया हमने उसका समुचित उत्तर दे दिया, आपने कहा कि पैसे की व्यवस्था कहां है आपने खास तौर से इस बात को कोट किया हमने कहा कि आकस्मिकता निधि से पैसा दिया है। जब हम कन्टिंजेन्सी से दे रहे हैं, कन्टिंजेन्सी से तभी पैसा दिया जाता है जब हम उसकी गम्भीरता को, आवश्यकता को समझते हैं तभी हमने पैसा दिया है और मान्यवर, हमने उसकी फीगर बता दिया और कौन–कौन सी परियोजनाओं में अगर मान्यवर, आप अनुमति दे तो हम वह भी बता दें।

श्री अध्यक्ष–

नहीं उसकी आवश्यकता नहीं है। आपने चर्चा की मांग की है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, आपका समाधान तो मैंने कर दिया।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, गांव में पानी भर रहा है, तमाम गांव कट कर नदी में समा रहे हैं, कई घर समा गये हैं। ऐसी स्थिति में विस्तृत रूप से इस पर चर्चा हो जाये, जिससे उन समस्याओं का निदान सरकार को करने में आसानी हो। मैंने कार्य–स्थगन के रूप में नोटिस भी दिया था। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसकी चर्चा स्वीकार करके इस पर चर्चा करा ली जाये।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता बहुजन समाज पार्टी, माननीय नेता कांग्रेस और अन्य सदस्यों ने जो प्रश्न उठाया कि बाढ़ पर चर्चा हो, तो चर्चा की मांग तो प्रश्नों से उठे विषय पर होती है उस तरह नियमानुसार आज जाये, यहां आ गयी। दूसरी बात यह है कि जो प्रश्न के समय हमने समय नहीं दिया कदाचित यह विषय भी व्यवस्था के प्रश्न के रूप में आया है। मुझे यह निवेदन करना है कि आज बहुत तेज भागने के बावजूद 8 प्रश्न ही हम लोग कर पायें हैं, नवें प्रश्न में माननीय मंत्री जी का उत्तर है, पूरक नही हो पाये हैं तो प्रश्नों को लेकर बड़ी तेज रफ्तार भागने से भी प्रश्न कार्य सूची में पूरे नहीं हो पा रहे हैं, इस दृष्टि से मैंने किया था और जहां तक बाढ़ पर या किसी लोक महत्व के विषय पर चर्चा का प्रश्न है, आज सम्भवतः जैसा कि आपने बताया कि कार्य–स्थगन में भी आया है तो उन नियमों में आगे चलकर विचार कर लेंगे। कार्य मंत्रणा में भी सब सदस्य हैं। जहां कहीं आवश्यक होगा चर्चा की बात पर विचार कर लेंगे।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर एक प्रश्न था प्रश्न नम्बर–9 क्या गन्ना विकास मंत्री चीनी मिल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बन्द पड़ी चीनी मिलों को पुनः चालू करने पर उक्त बन्द मिलों में कार्यरत कर्मचारियों का वेतन भुगतान करने के लिए सरकार ने कोई कार्य योजना बनाई है ? इसमें प्रश्नकर्ता ने पूछा कि बन्द चीनी मिलों को चालू करने में कोई कार्य योजना बनाई है, आपने कह दिया, जी नहीं और जब दूसरे अंश में आते हैं तो पूरी बन्द चीनी मिलों को कार्य योजना में अधिकारियों ने उल्लेख कर दिया है। आप यह उल्लेख पहले भाग में कर देते। उसमें जी नहीं कर दिया। यह अधिकारी इस तरह से करते हैं, मै साफ कह रहा हूं कि मैं कोई प्रतिशोध के भाव से नहीं कर रहा हूं यह जो भाग दो में उल्लेख किया है कि बन्द चीनी मिलों को चलाने की लीज पर व्यवस्था होने जा रही है, हम इसको चलाने का प्रयास कर रहे हैं, आपने मुख्य प्रश्न के उत्तर में कह दिया कि जी नहीं वह हमारी योजना नहीं है। इसलिए मान्यवर, मैं इस पर चाहता हूं कि आप ऐसे अधिकारियों को जो ऐसा जवाब दे रहे हैं इस पर स्पष्टीकरण लेना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, आपने ध्यानाकर्षण कर दिया। अब हम आपकी अनुमति से 301 की सूचनायें लेते हैं। चूंकि आप बहुत वरिष्ठ हैं। अब प्रश्नों पर चर्चा न करिये।

नियम–301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 12–7–2017 को कुल 19 सूचनायें प्राप्त हुईं। जिनमें 15 माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गईं :–

पहली श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल ''कैलाश डेरी वाले'' की जनपद मेरठ के विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत आवासीय कालोनी श्रद्धापुरी फेज–1 में सीवर लाईन की समस्या के निस्तारण के सम्बन्ध में है।

दूसरी डॉ0 अरुण कुमार की जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पस्तौर, खडौवा एवं नदौसी को शहरी फीडर से जोड़ने के सम्बन्ध में है।

तीसरी श्री पूरन प्रकाश, एडवोकेट की जनपद मथुरा के फरहा के पास एन0एच0–2 महुवन टोल टैक्स के आस–पास स्थानीय ग्रामीणों से टोल टैक्स लेने के सम्बन्ध में है।

चौथी श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की लखनऊ नगर निगम सीमा के अन्तर्गत शहर के आवासीय कालोनियों के बीच में चल रही डेरियों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

पांचवी श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा की सीतापुर जनपद की तहसील महमूदाबाद के अन्तर्गत ग्राम शेखपुर बिलौनी से समसाबाद को जाने वाली डामर सड़क के बीच में अलायपुर ड्रेन पर पुलिया निर्माण के सम्बन्ध में है।

छठवीं श्री वीरेन्द्र यादव की जनपद गाजीपुर के ब्लाक करण्डा के कतिपय ग्रामों के गंगा कटान में आने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

सातवीं श्री सुभाष पासी की जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सैदपुर के अन्तर्गत सरकारी इन्जीनियरिंग कालेज के नवनिर्माण के सम्बन्ध में है।

आठवीं श्री मसूद अख्तर की जनपद सहारनपुर के चिलकाना मार्ग पर ग्राम हलालपुर स्थित भाउपुर साधन सहकारी समिति की पुलिया के निर्माण के सम्बन्ध में है।

नौवीं श्री रफीक अंसारी की जनपद मेरठ में राजकीय गर्ल्स इण्टर कालेज हापुड़ रोड में अतिरिक्त कक्षों के निर्माण के सम्बन्ध में है।

दसवीं श्री रत्नाकर मिश्र की जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड छानबे के अन्तर्गत असिंचित भूमि पर सिंचाई की सुविधा मुहैया कराये जाने के सम्बन्ध में है।

ग्यारहवीं श्री बृजभूषण राजपूत की जनपद महोबा के विधान सभा क्षेत्र चरखारी के अनघौरा ग्राम में ब्रम्हानंद बांध के किनारे राठ सड़क पर पुल को ऊंचा कराये जाने के सम्बन्ध में है।

बारहवीं श्री जटाशंकर त्रिपाठी की खड्डा विधान सभा क्षेत्र, कुशीनगर में विद्युत व्यवस्था की बदहाल स्थिति और जिम्मेदार अधिकारियों की उदासीनता के सम्बन्ध में है।

तेरहवीं श्री नितिन अग्रवाल की उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में डाक्टरों की कमी एवं पर्याप्त सुविधाएं न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

चौदहवीं श्री शैलेश कुमार सिंह शैलू की जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र गैसड़ी में कतिपय मार्गों के निर्माण/मरम्मत के सम्बन्ध में, तथा

पन्द्रहवीं श्री रमाशंकर सिंह की जनपद मिर्जापुर में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित सड़क सिन्धौरा घाट से जयहिन्दी पहाड़ी मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गयी :–

1–श्री तसलीम अहमद,

2–श्री मोख्तार अंसारी,

3–डा0 हरगोविन्द भार्गव तथा

4–श्री रोशन लाल वर्मा।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सभी सूचनायें पढ़ी हुई मानी गई)

जनपद मेरठ के विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत आवासीय कालोनी, श्रद्धापुरी फेज–1 में सीवर लाइन की समस्या के निस्तारण के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल–

ख्मान्यवर, मेरठ विकास प्राधिकरण मेरठ की आवासीय कालोनी श्रद्धापुरी फेस–प्रथम का निर्माण वर्ष 1988 में हुआ था। श्रद्धापुरी फेस–प्रथम में सीवर लाइन की समस्या लगातार बनी हुई है। श्रद्धापुरी कालोनी में दो पार्ट में सीवर लाइन डाली गयी। पहली सीवर लाइन 30 फुट गहरी डाली गयी, जिसका वर्ष 2011 तक कोई निकास नहीं था। कालोनी का जलमल पम्प चलाकर खाली भू–खण्डों में डाल दिया जाता था। वर्ष 2011 में दूसरे पार्ट की सीवर लाइन 15 फुट गहरी प्राइवेट कालोनी से होते हुये डाली गयी, जिसके कारण पूरी कालोनी की स्थिति अत्यन्त दयनीय हो गयी है, क्योंकि 30 फुट गहरी सीवर लाइन का पानी 15 फुट ऊंची पाइप लाइन में कैसे जाएगा,यह विशेषज्ञों ने नहीं सोचा, जिसके कारण आज भी समस्त श्रद्धापुरी में जरन–मरन की लाइनें ब्लाक हो चुकी है तथा घरों में पानी बैक हो रहा है। इसी क्रम में मेरठ विकास प्राधिकरण ने इस कालोनी में सीवर ट्रीटमेन्ट प्लांट 9 करोड़ 34 लाख की धनराशि से लगाया गया, जिसमें भी भारी भ्रष्टाचार हुआ, सीवर ट्रीटमेन्ट प्लांट की भी आज तक कोई निकासी न होने के कारण समस्त निकासी वाला पानी पड़ोस के एक बहुत बड़े गड्ढे में डाला जा रहा है जिसके कारण हैण्डपम्प एवं अन्य पेयजल स्रोत दूषित हो गये है। इस सीवर ट्रीटमेन्ट प्लांट के डीजल खपत में भी भारी भ्रष्टाचार/घोटाला हो रहा है। सीवर लाइन प्रारम्भ न होने पर भी नागरिकों को लगातार बिल ब्याज सहित भेजे गये। मेरठ विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा मण्डलायुक्त मेरठ से अनेक बार शिकायत दर्ज कराने पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। श्री राजेश यादव उपाध्यक्ष मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा इसकी जांच करायी गयी, उन्होंने तय किया कि जब तक सीवर लाइन प्रारम्भ नहीं होगी, स्थानीय नागरिकों से सीवर टैक्स नहीं लिया जाएगा।

सीवर लाइन एवं सीवर ट्रीटमेन्ट प्लांट में भारी घोटाला व भ्रष्टाचार हुआ है, जिसकी जांच लखनऊ की उच्च स्तरीय कमेटी से कराया जाना जनहित में होगा एवं जब तक सीवर लाइन प्रारम्भ नहीं होती स्थानीय नागरिकों से सीवर टैक्स न वसूला जाये।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न के माध्यम से कार्यवाही की मांग करता हूं।,

जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र के ग्राम परतौर खडौना एवं नदौसी को शहरी फीडर से जोड़ने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 अरुण कुमार–

ख्मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र 124–बरेली में बहुत से गांव जो शहर विधान सभा (महानगर) में आज से 25 साल पहले जुड़े–पस्तौर, खडौना एवं नदौसी आज भी ग्रामीण फीडर से बिजली प्राप्त हो रही है, जहां के निवासियों को शहर में रहने के बावजूद कम देर बिजली मिल पा रही है। मैं चाहता हूं इन क्षेत्रों को शहरी फीडर से जोड़ दिया जाय ताकि इस क्षेत्र के निवासियों को जो महानगर में रह रहे हैं को शहरी बिजली मिल सके।

अतः नियम–301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुये कार्यवाही की मांग करता हूं।,

जनपद मथुरा के फरहा के पास एन0एच0–2 महुवन टोल टैक्स के आस–पास स्थानीय ग्रामीण से टोल टैक्स लेने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पूरन प्रकाश, एडवोकेट

ख्मान्यवर, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

जनपद मथुरा में फरह के पास एन0एच0–2 महुवन टोल टैक्स लगा हुआ है। इसी टोल के लगभग चार किमी0 आगे पं0 दीनदयाल उपाध्याय की जन्म स्थली नगला चन्द्रभान है। महुवन टोल के आस–पास स्थानीय ग्रामीण लोग अपने ग्रामों से अपनी समस्याओं के निदान हेतु कचहरी वकालत करने/नौकरी करने/कचहरी के कार्यों से/अस्पतालों में इलाज कराने, घरेलू दिनचर्या के कामों से एवं जिला केन्द्र पर डी0एम0, एस0डी0एम0 एवं तहसील अपनी समस्याओं के निदान के लिये अपने स्वयं की छोटी–छोटी कारों से आते–जाते हैं। स्थानीय लोगों से जबरन टोल टैक्स वसूला जाता है। इसी वजह से आये दिन स्थानीय लोगों से टोल पर वसूली के कारण झगड़ा होता रहता है। जबकि यह प्रावधान है कि 20 किमी0 की परिधि में बसे टोल टैक्स न लिया जाय। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश की उ0प्र0 विधान सभा याचिका समिति के समक्ष 23 नवम्बर, 2016 टोल टैक्स प्राधिकरण के अधिकारियों के द्वारा समिति के समक्ष यह कहा गया कि जनहित में 50 रुपये महीने अथवा 250 रुपये छमाही 20 किमी0 की परिधि में रहने वाले स्थानीय लोगों के छोटे वाहनों को पास निर्गत किये जायेंगे। इसी तरह का प्रावधान जनपद मथुरा के बराबर पलवल (हरियाणा सरकार) द्वारा एन0एच0–2 पलवल टोल पर चल रहा है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये जनपद मथुरा के महुवन में स्थानीय लोगों के लिये टोल टैक्स समाप्त कराये जाने की कार्यवाही की मांग करता हूं।,

लखनऊ नगर निगम सीमा के अन्तर्गत शहर के आवासीय कालोनियों के बीच में चल रही डेरियों से उत्पन्न स्थति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

ख्मान्यवर, लखनऊ के पश्चिम विधान सभा क्षेत्र में नगर निगम की सीमा क्षेत्र में डेरियां चल रही हैं। मा0 हाई कोर्ट ने डेयरियों को शहर से बाहर करने का कई बार आदेश दिया है किन्तु यह आदेश नगर निगम की फाइलों पर कागजी कार्यवाही बनकर मात्र रह गया है। इन डेरियों के कारण नाना प्रकार के बीमारियां फैलने की आंशका हो गयी है। क्षेत्र के नाले, नालियां एवं सीवर गोबर से जाम हो गये हैं। जिसके कारण जल भराव की भी गम्भीर समस्या पैदा हो गयी है। लखनऊ निगम के नगर आयुक्त, स्वास्थ्य अधिकारी और सफाई से सम्बन्धित अधिकारियों को मौके पर जाकर कई बार दिखाया भी गया किन्तु अब तक वह कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। जानवरों के खुलेआम आवागमन के कारण दुर्घटनायें भी अक्सर होती रहती हैं। जनहित में यह आवश्यक है कि इन डेरियों को नगर निगम की सीमा के बाहर किया जाय।

अतः नियम–301 के अन्तर्गत इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए मा0 न्यायालय के आदेशानुसार डेरियों को नगर निगम की सीमा से बाहर किये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।,

सीतापुर जनपद की तहसील महमूदाबाद के अन्तर्गत ग्राम शेखपुर बिलौली से समसाबाद को जाने वाली डामर सड़क के बीच में अलायपुर ड्रेन पर पुलिया निर्माण के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

ख्मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व एवं अविलम्बनीय विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। सीतापुर जनपद की तहसील महमूदाबाद के अन्तर्गत ग्राम शेखपुर बिलौली से समसाबाद को जाने वाली डामर सड़क के बीच में अलायपुर ड्रेन पर पुलिया टूटने के कारण रास्ता बन्द है। जिससे स्थानीय जनता को आने–जाने में काफी असुविधा होती है। जनहित में उक्त पुलिया का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद गाजीपुर के ब्लाक करण्डा के कतिपय मार्गों के गंगा कटान में आने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री वीरेन्द्र यादव–

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ख्मान्यवर, जनपद गाजीपुर के ब्लाक करण्डा में धरम्मरपुर सराय मुहम्मदपुर पुरैना वयेपुर कसेरा सुकनी बडहरिया महबलपुर गद्दोगाडा आदि गांव गंगा के कटान में समाहित हो रहा है। इसमें बैकफुट पुरैना सरैया बडहरिया तीन बार विस्थापित हो चुका है। चौथी बार विस्थापित होने के कगार पर है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन के माध्यम से उक्त के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।,

जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सैदपुर के अन्तर्गत सरकारी इन्जीनियरिंग कालेज के नवनिर्माण के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुभाष पासी–

ख्मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोकमहत्व के गंभीर विषय की ओर ले जाना चाहता हूं। महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र 374–सैदपुर, जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत भारी मात्रा में छात्र–छात्रायें शिक्षा के प्रति रुचि रखते हैं। उनके माता पिता भी चाहते हैं कि शिक्षा की उचित व्यवस्था अगर नजदीक रहे तो हम अपने बच्चों को और आगे पढ़ा लिखाकर जिला और प्रदेश और देश का नाम रोशन करने का काम करेंगे। ऐसे में मैं आपके माध्यम से वर्तमान सरकार से सैदपुर में सरकारी इंजीनियरिंग कालेज का नवनिर्माण कराये जाने की पुरजोर मांग करता हूं जिससे आने वाले समय में बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो और देश प्रगति की राह पर आगे बढ़े।,

जनपद सहारनपुर के चिलकाना मार्ग पर ग्राम हेलालपुर स्थित भाउपुर साधन सहकारी समिति की पुलिया के निर्माण के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मसूद अख्तर–

ख्महोदय, जनहित एवं अविलम्बनीय विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए सादर अवगत कराना है कि जनपद सहारनपुर के सहारनपुर–चिलकाना मार्ग पर ग्राम हलालपुर में स्थित भाउपुर साधन सहकारी समिति की पुलिया वर्तमान में क्षतिग्रस्त है, जिससे किसानों को खाद, बीज लेने में बहुत असुविधा का सामना करना पड़ता है। क्षेत्र की जनता को सरकारी सुविधा एवं सब्सिडी का लाभ समय से प्राप्त न होने से आक्रोश है। जनहित में उक्त पुलिया का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।,

जनपद मेरठ में राजकीय गर्ल्स इण्टर कालेज हापुड़ रोड में अतिरिक्त कक्षों के निर्माण के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रफीक अंसारी–

ख्मान्यवर, गत दो वर्ष पूर्व जनपद मेरठ में राजकीय गर्ल्स इण्टर कालेज हापुड़ रोड, मेरठ की स्थापना हुई। विगत दो वर्षों से कालेज में लगभग 1200 से 1300 छात्राएं

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अध्ययनरत हैं। परन्तु उक्त कालेज में छात्राओं की संख्या की दृष्टि से 14 कक्ष बहुत कम हैं। छात्राओं की सुचारू रूप से पढ़ाई हेतु 10 अतिरिक्त कक्षों की एवं कालेज में अन्य स्टाफ लिपिक, चपरासी, सफाई कर्मियों, सुरक्षा गार्ड तथा फर्नीचर आदि की जनहित में नितान्त आवश्यकता है। फर्नीचर न होने के कारण छात्राओं को अपने–अपने घर से टाट–पट्टी लाकर जमीन पर बैठना पड़ता है जो कि बहुत ही निराशाजनक बात है।

अतः मैं लोक महत्व के इस विषय पर नियम 301 के अन्तर्गत शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।,

जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड छानबे के अन्तर्गत असिंचित भूमि पर सिंचाई की सुविधा मुहैया कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रत्नाकर मिश्र–

ख्मान्यवर, मैं आपका ध्यान अपने विधान सभा क्षेत्र मिर्जापुर के विकास खण्ड छानबे के अन्तर्गत छानबे हजार बीघा जो कृषि योग्य भूमि किसानों की है। उक्त भूमि उपजाऊ क्षेत्र है किन्तु वहां पर सिंचाई की सुविधा न होने के कारण इस असिंचित क्षेत्र में किसानों को ऊपज का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

आपके माध्यम से इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त असिंचित भूमि पर सिंचाई हेतु सरकारी नलकूप लगाये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद महोबा के विधान सभा क्षेत्र चरखारी के अनघौरा ग्राम में ब्रम्हानंद बांध के किनारे राठ सड़क पर पुल को ऊंचा कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बृजभूषण राजपूत–

ख्मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र 231–चरखारी (महोबा) दि0 12–07–2017 के अनघौरा गांव में ब्रम्हानंद बांध के किनारे पर राठ सड़क पर रपटा बना है जो बरसात में डूब जाता है। जिससे आवागमन बाधित हो जाता है। जिससे छात्र, मरीज एवं जनता को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जनहित में इस पुल का ऊंचा बनाना अति आवश्यक है। जिससे बरसात के समय इस समस्या का समाधान हो सके।

अतः नियम–301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही करने की मांग करता हूं।,

खड्डा विधान सभा क्षेत्र, कुशीनगर में विद्युत व्यवस्था की बदहाल स्थिति और जिम्मेदार अधिकारियों की उदासीनता के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जटाशंकर त्रिपाठी–

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ख्मान्यवर, मैं इस तथ्य को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि खड्डा विधान सभा क्षेत्र, कुशीनगर में विद्युत आपूर्ति की दशा शासन की मंशा के ठीक विपरीत है और सम्बन्धित अधिकारीगण के निष्क्रिय रवैये से जनता में आक्रोश है। शासन की मंशा के उलट ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में न्यूनतम विद्युत आपूर्ति हो रही है और कमजोर विद्युत अवस्थापना की शिकायतों को अधिकारीगण द्वारा अनसुना कर दिया जा रहा है।

खड्डा विधान सभा क्षेत्र, कुशीनगर में विद्युत व्यवस्था को ठीक कराये जाने के उद्देश्य से मैं माननीय ऊर्जा मंत्री जी से इस समस्या के निवारणार्थ जानकारी की अपेक्षा करता हूं कि खड्डा विधान सभा क्षेत्र, कुशीनगर में खड्डा, रामकोला, पडरौना और कोटवा विद्युत उपकेन्द्रों से 15–30 जून, 2017 के दरम्यान कुल कितने मेगावाट की विद्युत आपूर्ति की गयी ? क्षेत्र के नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में इस समयावधि में तिथिवार कितने घंटे विद्युत आपूर्ति हुई ? क्या शासन की प्रतिबद्धता के अनुसार खड्डा तहसील को 20 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हुई। विधान सभा क्षेत्र के असेवित/गैर ऊर्जीकृत गांवों में संतोषजनक विद्युत आपूर्ति कब तक सुनिश्चित हो पायेगी ? लकड़ी के जर्जर खम्भों, जर्जर तारों तथा परिवर्तक की क्षमता वृद्धि के कार्य कब तक पूर्ण किये जायेंगे ?,

उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में डाक्टरों की कमी एवं पर्याप्त सुविधाएं न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नितिन अग्रवाल–

ख्महोदय, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है उस दिन से प्रदेश के सरकारी अस्पतालों की हालत खस्ता हो गयी है। लोगों को इलाज के लिए दर–दर भटकना पड़ रहा है। डाक्टर समय ये अस्पतालों में बैठते नहीं हैं जिससे मरीजों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

यह भी अवगत कराना है कि :–

1–प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में डाक्टरों की भारी कमी है।

2–प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में अधिकतर डाक्टरों द्वारा बाहर की दवायें लिखी जाती हैं जो काफी मंहगी होती हैं।

3–सरकारी अस्पतालों में अक्सर सस्ती दवाओं का अभाव रहता है।

4–सरकारी अस्पतालों में मरीजों को अल्ट्रासाउन्ड, एक्सरे तथा अन्य जरूरी जांचों के लिए 1 से 2 माह आगे की तारीख दी जाती है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं के चरमराने से मरीजों को मजबूरन प्राइवेट अस्पतालों में मोटी रकम देकर इलाज कराना पड़ रहा है। प्रदेश के अधिकतर सरकारी अस्पतालों में मरीजों का शोषण एवं उत्पीड़न किया जा रहा है।

अतः उपरोक्त अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।,

जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र गैसड़ी में कतिपय मार्गों के निर्माण/मरम्मत के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शैलेश कुमार सिंह ''शैलू''–

ख्मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र गैसड़ी (292) के निम्न स्थानों पर सड़कों का निर्माण कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है :–

1–ग्राम तुलसीपुर–बढ़नी बौध परिपथ मधनगरी मोड़ से रामपुर डीह तक वाया नचौरी प्रेमनगर चौराहा–नथईपुर–जगदीपुर तक मरम्मत का कार्य।

2–ग्राम बिजुलिया गांव से कोडरी मोड़ तक मरम्मत कार्य।

3–वि0ख0 गौसड़ी से बालापुर रोड तक मरम्मत का कार्य।

4–ग्राम परसा जूनियर स्कूल से भदुवा शंकर नगर गांव तक मरम्मत का कार्य।

5–ग्राम पिपरा कढ़ेर मार्ग का मरम्मत का कार्य।

6–ग्राम बौध परिपथ से भगवानपुर खादर रोड का मरम्मत का कार्य।

7–वि0ख0 गौसड़ी बौध परिपथ से ठकुरापुर, विशुनपुर–लुधारी होते हुए जरवा रोड तक मरम्मत का कार्य उल्लेखनीय है कि जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र गैसड़ी की उपरोक्त ग्राम पंचायतों के निवासियों हेतु सड़कों के मरम्मत का कार्य किया जाना अति आवश्यक है।

अतः जनहित में लोक महत्व के इस विषय पर में

विधान सभा क्षेत्र गैसड़ी की विभिन्न ग्राम पंचायतों का सड़कों के मरम्मत कराये जाने हेतु सदन का ध्यान आकृष्ट करता हूं।,

जनपद मिर्जापुर में प्रधान मंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित सड़क सिन्धौरा घाट से जय हिन्दी पहाड़ी मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रमाशंकर सिंह–

ख्महोदय, अवगत कराना है कि जनपद मिर्जापुर में निर्मित प्रधान मंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत बनी सड़क एक वर्ष में खराब हो गयी जिसकी मरम्मत आज तक

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नहीं हुयी। उक्त मार्ग की जांच कराकर दोषी के खिलाफ कार्यवाही की जाय एवं उक्त मार्ग ''सिन्धौरा घाट से जय हिन्दी पहाड़ी'' मार्ग की मरम्मत करायी जाय।,

औचित्य के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 12 जुलाई, 2017 को नियम–300 के अन्तर्गत निम्नलिखित 01 सूचना प्राप्त हुई।

यह सूचना श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा की विधान सभा के गठन को लगभग 4 माह पूर्ण हो जाने एवं अध्यक्ष का निर्वाचन व अधिष्ठाता मण्डल का गठन हो जाने के बावजूद भी उपाध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया अभी तक प्रारम्भ न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

विधान सभा के गठन को लगभग 4 माह पूर्ण हो जाने एवं अध्यक्ष का निर्वाचन व अधिष्ठाता मण्डल का गठन हो जाने के बावजूद भी उपाध्यक्ष का निर्वाचन की प्रक्रिया अभी तक प्रारम्भ न होने से उत्पन्न स्थिति में औचित्य का प्रश्न

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

उत्तर प्रदेश की विधान सभा को गठित हुए लगभग 4 माह हो गए हैं। मा0 अध्यक्ष का निर्वाचन सम्पन्न हो गया, अधिष्ठाता मण्डल का गठन हो गया। 4 माह बाद भी उपाध्यक्ष के निर्वाचन की कोई तिथि आपके द्वारा संसूचित नहीं हुई है। विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 का अनुच्छेद 178 स्पष्ट है उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए और आपको वैसे भी काफी मेहनत करनी पड़ती है। आपको काफी समय देना पड़ता है विधायी कामों में।

श्री अध्यक्ष–

नहीं, आपके साथ अच्छा लगता है।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

हम आपसे विनती कर रहे हैं, आपसे अनुरोध करना चाहेंगे और हम उपाध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया के औचित्य पर आपकी व्यवस्था चाहते हैं।

(श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई' द्वारा खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

आपको इसी विषय में बोलना है न, वैसे उत्तर आ जाता तो ज्यादा अच्छा था। वैसे बताएं।

'श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'–

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 नरेन्द्र वर्मा जी ने अभी अपनी बात रखी। मैं अपने आप को उनसे सम्बद्ध करते हुए यह कहना चाहता हूं कि आप बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, बहुत पढ़ते

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं, बहुत लिखते हैं। आपके पास कई काम रहते हैं। मुझे जो जानकारी मिली है उसके अनुसार रात में कल 4 बजे तक आप पढ़ रहे थे। साढ़े चार बजे आप सोए हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप हमारा काम छीनना चाहते हैं क्या ? हमसे नाराज होकर तो नहीं आए हैं ?

(सदन में हंसी)

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'–

हम लोगों का सौभाग्य है कि आप जैसा विद्वान अध्यक्ष हम लोगों को मिला है और यह नियमावली में भी है और परम्परा भी रही है कदाचित बीच में एक–दो बार परम्पराओं को लोगों ने तोड़ने का काम किया है लेकिन 2003 में...

श्री अध्यक्ष–

जिन्होंने तोड़ा है उनसे नाराज हैं ?

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'–

नहीं, मैं किसी से नाराज नहीं हो सकता। वर्ष 2003 में जब माननीय नेताजी मुख्य मंत्री हुए थे, उन्होंने इस परम्परा का निर्वाहन करते हुए, उस समय मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी थी और उसके सदस्य माननीय श्री राजेश अग्रवाल जी को, जो आज के वित्त मंत्री हैं उनको उपाध्यक्ष बनाने का काम किया गया था। हम समझते हैं कि आप भी परम्परा को मानने वाले लोग हैं। मेरा आपसे आग्रह है माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से भी मेरा आग्रह है, वैसे जब वह अलग मिलते हैं तो हमें बहुत प्यार करते हैं, बहुत सम्मान देते हैं लेकिन सदन में न जाने क्यों बड़ा गुस्सा करते हैं तो मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से भी आग्रह करूंगा आपसे भी आग्रह करूंगा चूंकि यह नियमावली में भी है और परम्परा भी रही है और आप लोग नियमावली के भी मानने वाले लोग हैं और परम्परा के भी मानने वाले लोग हैं और आपका बोझ कुछ हल्का हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए इसलिए मैं चाहता हूं कि उपाध्यक्ष का चुनाव यथासंभव करा दिया जाए। इसी विधान सभा के चुनाव के साथ उत्तराखण्ड की विधान सभा का चुनाव हुआ था केवल एक–दो दिन आगे–पीछे हुआ और वहां पर उपाध्यक्ष का चुनाव करा दिया गया है। मेरा आग्रह है आपसे कि नियमों को भी देखते हुए और परम्पराओं को देखते हुए यथाशीघ्र उपाध्यक्ष का निर्वाचन करा दिया जाए ये मेरी आपसे विनती है।

'संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

माननीय अध्यक्ष जी, वे लोग परम्परा का निर्वाहन करने की बात कह रहे हैं और संविधान की दुहाई दे रहे हैं, जिन्होंने पांच वर्ष जमकर संविधान और परम्पराओं की धज्जियां उड़ाई।

(विपक्ष के सदस्यों के बीच में टोकने पर)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अब हमको कह लेने दीजिए, आपकी बात तो पूरी हो गई। मान्यवर, हमने 2007–2012 भी देखा तब भी मैं इस सदन का सदस्य था और वर्ष 2012–2017 भी देखा, तब भी मैं इस सदन का सदस्य था। इन्होंने भी वर्ष 2012–2017 तक पूरी परम्परा निर्वाह की और संविधान के 178 अनुच्छेद जिसका जिक्र कर रहे हैं उसका भी पूरा पालन किया लेकिन 5 वर्ष तक 2012–2017 तक, जो अभी माननीय सदस्य कह रहे थे, हमें देखने को नहीं मिला कि यहां पर कोई उपाध्यक्ष बैठा हो। मान्यवर, यह सही है कि संविधान में व्यवस्था है और यह भी सही है कि पहले होता भी रहा है लेकिन दुहाई वे लोग दे रहे हैं, जिन्होंने स्वयं न तो संविधान का पालन किया और न परम्पराओं का पालन किया। मान्यवर, वैसे तो आपका अधिकार है कि इसके सम्बन्ध में आगे कार्यवाही बढ़ाएं और अभी तो 4 ही महीने हुए हैं। मुझे नहीं समझ में आता है कि इतना उतावलापन क्यों है, क्या आप लोगों को नाम आ रहा है कहीं पर उपाध्यक्ष के लिए। मान्यवर, इतना उतावलापन नहीं होना चाहिए। वैसे तो जो व्यवस्था आप देंगे वह शिरोधार्य है लेकिन अभी कोई जल्दी नहीं है। आवश्यकता तो है और यह भी सही है कि मान्यवर, आपने अधिष्ठाता मण्डल का गठन किया है और मान्यवर, अभी तो आप पूरी तरीके से सक्षम हैं। बहुत समय भी देते हैं और मन से देना भी चाहते हैं तो मैं नहीं समझता हूं कि किसी प्रकार का आपको कोई कष्ट है और मान्यवर, आवश्यकता जहां होगी वहां पर अधिष्ठाता मण्डल है। मान्यवर, आपने कृपापूर्वक अधिष्ठाता मण्डल का गठन किया है, सब सक्षम हैं और इनके लोगों को भी अधिष्ठाता के रूप में कार्यवाही में भाग लेने का और उस पीठ पर बैठने का मौका मिल जायेगा। वैसे तो आप सर्वोपरि हैं जो निर्देश देंगे हम उनका पालन करेंगे।

'नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने बड़ी खूबसूरती से उसको बताया। इस विधान सभा में प्रश्न आवर होते हैं। हम प्रश्न करते हैं आप जवाब देते हैं, मान्यवर, आपके माध्यम से। कभी–कभी उत्तर में जैसे को तैसा हो जाता है। इनकी बात भी सही है। बीच में यह परम्पराएं टूटी हैं। मुख्य विपक्षी दल होता है, उसका उपाध्यक्ष होता है। यह एक परम्परा है, कुछ ऐसा नहीं है। जब बहुजन समाज पार्टी सत्ता में थी तो सपा भी मुख्य विपक्षी दल थी और जब सपा शासन में आयी तो बसपा मुख्य विपक्षी दल थी तो यह दोनों बार नहीं हुआ, यह बात सही है लेकिन जिनसे हम मांग कर रहे हैं, हमने इनको बनाने का काम किया है। जब भी आप मुख्य विपक्ष में रहे हैं हमने आपको उपाध्यक्ष बनाने का काम किया है और जरा सरल हृदय होइए, अध्यक्ष जी के ऊपर भी बहुत काम है और जब हमने आपको बनाया है तो आपको हमको बनाने में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। यह आपके ऊपर है, चुनाव कराइए, यह संवैधानिक प्रक्रिया है।

श्री अध्यक्ष–

तो क्या आप दोनों के बीच में राजनैतिक समझौता चाह रहे हैं?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, राजनैतिक समझौता नहीं, राजनैतिक समझौता तो हमारा इनसे कभी हो ही नहीं सकता। व्यक्तिगत मित्रता कह लीजिए, समझौता तो सब पार्टियों का होता है क्योंकि इनका, अब छोड़िए वह बात लम्बी हो जाएगी। इसको आप जल्दी से मुख्य मंत्री जी से, अध्यक्ष जी से विचार–विमर्श करके चुनाव करा दीजिए। उत्तराखण्ड छोटा–सा प्रदेश है, वहां चुनाव हो गया है, वहां आप की ही सरकार है। जब छोटे भाई ने आपको रास्ता दिखला दिया तो बड़े भाई को उसको मानने में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। यही मेरा निवेदन है।

'**श्री अजय कुमार 'लल्लू'**–

माननीय अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष की नियुक्ति पर चर्चा इस सदन में नियम–300 के अन्तर्गत हो रही है। हमारे माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने इस बात को बड़ी गंभीरता के साथ अभी कहा कि आप चाहते हैं कि उन परम्पराओं का पुनः निर्वहन हो जिन परम्पराओं का पालन पिछले समय में नहीं हो पाया। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले समय में जब संसदीय कार्य मंत्री जी नेता भारतीय जनता पार्टी थे और इसी सदन में जब अपनी बात को रखते थे तो अक्सर इस उपाध्यक्ष पद के लिए बार–बार सदन में प्रस्ताव लाने का काम करते थे अब जब चूंकि यह सरकार में हैं और सरकार में इनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी भी है। माननीय अध्यक्ष जी, आपके पास भी बहुत सारे काम हैं, उसके साथ–साथ उन कार्यों का भी निर्वहन हो सके इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि इस विषय पर भी गंभीरता से विचार करते हुए आदरणीय उपाध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए।

'**श्री नितिन अग्रवाल**–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बहुत तल्ख हैं।

श्री अध्यक्ष–

वह तल्ख नहीं, मुलायम हैं।

श्री नितिन अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी पिछली सरकार में नेता भाजपा थे और विपक्ष में थे तो काफी विनम्रता से बात करते थे अब हो सकता है कि संसदीय कार्य मंत्री जी की अकेले रहते–रहते तल्खी ज्यादा बढ़ गयी है। परम्पराओं की बात हो रही है, संसदीय परम्पराओं की बात हो रही है, संवैधानिक पदों की बात हो रही है, माननीय अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हम तो उसी पद की मांग कर रहे हैं जो संविधान में सृजित है। संविधान ने पदों का सृजन किया है हम लोग उसी पद की मांग कर रहे हैं। उन पदों पर लोगों को होना चाहिए क्योंकि जिम्मेदारी वाला पद है और संविधान में आया हुआ है। जहां तक परम्पराओं की, संवैधानिक पदों की बात है मैंने कल भी कहने का प्रयास किया था कि सत्तापक्ष ने तो उन पदों पर भी उन लोगों

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को बैठा दिया जिनका संविधान में कोई सृजन ही नहीं हुआ है। उन पदों पर सत्तापक्ष ने शपथ दिलाने का काम कराया और असंवैधानिक काम किया है।

मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

यह असंवैधानिक नहीं है हम उसके लिए बहस को तैयार हैं असंवैधानिक नहीं है यह कहना गलत है यह पूरी तरह से संवैधानिक है।

श्री अध्यक्ष–

आपका विषयान्तर हो गया।

श्री नितिन अग्रवाल–

मान्यवर, हम संवैधानिक पद की बात कर हैं आप असंवैधानिक की बात कर रहे हैं। जो मैंने कल बात उठायी थी वह संविधान में पद ही नहीं था उसकी शपथ दिलाकर करा लिया अगर सरकार चाहती हो तो उस पर बहस करा लीजिए और हम तो यह व्यवस्था चाहते हैं आपसे अनुरोध करेंगे कि जल्द से जल्द उपाध्यक्ष का चुनाव करा लीजिए।

श्री अध्यक्ष–

इस पर आप सबके विचार आ चुके हैं और मैं इस सूचना को अग्राह्य घोषित करता हूं आवश्यकतानुसार आप सबकी जो भावनायें हैं उन भावनाओं पर हम उचित प्रतिष्ठित संस्थायें हैं संवैधानिक, उनके साथ चर्चा कर लेंगे।

कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

अब हम नियम–56 की सूचनाएं लेते हैं। आज दिनांक 12–07–2017 को नियम–56 की कुल 13 सूचनायें प्राप्त हुई जिसमें शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गईं। प्रथम एवं दूसरी सूचना को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा एवं तीसरी, चौथी एवं पांचवी सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। शेष सूचनायें अस्वीकार की जाती हैं।

पहली सूचना श्री सुखदेव राजभर, श्रीमती बन्दना सिंह, श्री आजाद अरिमर्दन की और दूसरी इसी विषय पर श्री अजय कुमार लल्लू, श्रीमती आराधना मिश्रा मोना, श्री मसूद अख्तर, श्री नरेश सैनी, श्री राकेश सिंह, सुश्री अदिति सिंह एवं श्री सोहिल अख्तर अंसारी की सम्पूर्ण प्रदेश एवं जनपद आजमगढ़ के रौनापार में दिनांक 06–07–2017 एवं 07–07–2017 को जहरीली शराब पीने से दो दर्जन से अधिक लोगों की मृत्यु होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, दूसरी सूचना श्री राम गोविन्द चौधरी एवं श्री शैलेन्द्र यादव ललई की जनपद लखनऊ के साउथ सिटी में दिनांक 10/11 जुलाई, 2017 की रात चोरी की घटित घटना के उपरान्त पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, यह सुनी जायेंगी। तीसरी सूचना श्री लाल जी वर्मा, श्री राम अचल राजभर, श्री आजाद अरिमर्दन की उ0प्र0 पूर्वांचल के अनेक जिलों में बाढ़ की प्रचण्ड

विभीषिका के उपरान्त भी राहत कार्य न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, चौथी सूचना श्री सहेन्द्र सिंह की प्रदेश के गन्ना किसानों के बकाये मूल्य का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में और पांचवीं सूचना श्री मनोज कुमार पारस एवं श्री मनोज कुमार पाण्डेय की जनपद बिजनौर में बालावाली चौकी इंचार्ज एस0आई0 श्री सहजौर मलिक की दिनांक 3 जून को निर्ममता से हत्या के उपरान्त पुलिस द्वारा निर्दोष लोगों को परेशान किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है यह ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। निम्नलिखित माननीय सदस्यों श्री प्रभु नारायण सिंह यादव, श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री संजय गर्ग, श्री दुर्गा प्रसाद यादव और इसके साथ डॉ0 संग्राम यादव, श्री नफीस अहमद, श्री उज्जवल रमण सिंह की तथा श्री धर्मराज सिंह उर्फ सुरेश यादव, श्री रफीक अंसारी, श्री संजय प्रताप जायसवाल की सूचनायें अस्वीकार की गईं। नियम–311 में प्राप्त श्री अमन मणि त्रिपाठी की सूचना अस्वीकार की गई।

श्री सुखदेव राजभर–

माननीय अध्यक्ष जी, एक बहुत ही ह्रदयविदारक एवं संवेदनशील विषय पर आपने बोलने का मौका दिया मैं उसके लिए आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और पीड़ित परिवार की तरफ से भी मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि इस सदन में चर्चा कराकर उनके दुख और पीड़ा को और संवेदना को कहीं न कहीं हल्का करने का आपने अवसर दिया है मैं बार बार आपकी सराहना करता हूं और आभार प्रकट करता हूं आज पूरे प्रदेश में अवैध ढंग से निर्मित शराब या मादक पदार्थों का बहुत तेजी से निर्माण हो रहा है और ऐसे गरीब परिवार के लोग जाकर के उसका सेवन कर रहे हैं जिसके असर से उनकी अचानक मृत्यु होती है और यह ज्यादा से ज्यादा मड़इयों और झोपड़ियों में रहने वाले लोग जिनकी औलादों को शाम तक दो रोटी मिलने का इंतजाम नहीं है, के साथ होता है। ऐसी ही घटना हमारे जनपद आजमगढ़ में पूर्व में घटी थी।

हम किसी गांव का उल्लेख नहीं करेंगे, वह नोटिस में है। अब तक मान्यवर, वहां पर 28 लोग मर चुके हैं और अभी 12–14 लोग हास्पिटल में हैं और सिलसिला जारी है। एक–दो लोगों की मृत्यु होने की अभी संभावना है। मैं केवल इतना ही कहूंगा कि इसकी ग्राह्यता पर बहुत लम्बा भाषण देने की जरूरत नहीं है और न मैं उसका शौकीन हूं। केवल मानवीय आधार पर संवेदना और दुख के विषय को आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। आज लगभग 28 विधवायें हो चुकी हैं जो झोपड़ियों में गुजर कर रही हैं। मान्यवर, आबकारी पुलिस निलम्बित हो जाता है, बीट का सिपाही निलम्बित हो जाता है जिसको संसदीय कार्य मंत्री उल्लेख करेंगे, उस क्षेत्र का एस0आई0 या दरोगा निलम्बित हो जाता है लेकिन पूरे मामले में यह पकड़ में नहीं आता कि शराब बना कौन रहा है और वह शराब कहां से आकर गांव में वितरित हो रही है। आज जितने भी लोग जहरीली शराब पी रहे हैं, अभी ऐसे बहुत बड़े रैकेट नहीं पकड़े गये हैं क्योंकि ऐसा धंधा करने वाला कोई प्रभावशाली व्यक्ति ही होता है, वही एक जगह शराब बनाकर के छोटे–छोटे विक्रेताओं के माध्यम से गांव में भेजने का काम करता है। इसलिये आज मैं केवल इस पर इतना चाहूंगा कि हम जो कह रहे हैं वह सत्य है या असत्य है आप उस

पर न जायें बल्कि इसमें विधान सभा की एक कमेटी भेज दें जो वहां जाकर स्थिति देख ले। जिन औरतों के पति मरे हैं, आज वह इस बरसात में प्लास्टिक डालकर जिन्दा हैं, ऐसे मौके पर जो 28 आत्मायें इस धरती से चली गयी हैं जिनके बच्चे आज नंगे–धड़ंगे गांव में गुजर कर रहे हैं उनकी पीड़ा को मैनें चंद मिनटों में रखा है। मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आप इस विषय पर थोड़ा हृदय बड़ा कर लें। बहुत कुछ आप प्रदेश को दे रहे हैं, ले रहे हैं। आप कम से कम हर मृतक परिवार के लिये माननीय मुख्य मंत्री जी से यह घोषणा करा दीजिये, नहीं तो आप खुद सक्षम हैं कि 5–5 लाख रुपया प्रत्येक परिवार को देंगे। मुबारकपुर में पिछले साल 16 लोग मरे थे, हमारे यहां इमली गांव में तीन साल पहले 16 लोग मरे थे, बनारस में 30 लोग मरे थे, अभी मोहनलालगंज में तीन लोग मर गये हैं। इस प्रकार पूरे उत्तर प्रदेश में यह सिलसिला चल रहा है। एक पैरेलेल गर्वन्मेंट चल रही है, एक तरफ डिस्टलरी से शराब बन रही है और दूसरी तरफ माफियाओं की अवैध शराब बन रही है। इस तरह से गर्वन्मेंट की आर्थिक व्यवस्था चरमरा गयी है दोनों तरफ पैरेलेल गर्वन्मेंट चल रही है। मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से कह रहा हूं कि वह इसे गंभीरता से लें, यह सिलसिला बंद नहीं हो रहा है, गांव–गांव में मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है आज जिन गांवों का मैं उल्लेख करूंगा, ये माननीय विधायक भी उसी क्षेत्र से चुनी गयी हैं यह वन्दना सिंह जी, यह उन गांवो में गयी हैं, इनकी आंख में आंसू तक आ गया, कुल मुझको बताते समय भी इनकी आंख भर आयी। मान्यवर, आप खुद संवदेनशील हैं और माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा हल्के तरीके से लेकर केवल अधिकारियों की रिपोर्ट पढ़ने से काम नहीं चलेगा, वह तो रिपोर्ट आप बाचने के लिये तैयार हैं ही। आप इस मामले में मानवीय आधार पर खड़े होइयेगा, इंसानियत के आधार पर खड़े होइयेगा। यह देश जिसे आप मर्यादा पुरुषोत्तम का देश कहते हैं तो आपको ऐसे लोगों का भी साथ देना चाहिये। अगर सरकार संवेदनशील है तो आप इस बात की घोषणा करें और सबसे पहले तो ऐसे रैकेटों को रोका जाना चाहिये, यह केवल एक गांव की बात नहीं है, दसों–पचासों गांव बल्कि पूरे प्रदेश में ऐसे अवैध शराब का धंधा तेजी से चल रहा है। इसलिये ऐसे रैकेटों को चाहे वह कितना ही प्रभावशाली क्यों न हो, उसकी गर्दन दबाने का काम आप करें और इन गरीब परिवारों को 5–5 लाख रुपये देने की घोषणा करें और साथ ही साथ मैं यह मांग भी करता हूं कि चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, हर किसी के यहां यह घटनायें घट रही हैं इसलिये इस पर आप चर्चा भी करा दें, ताकि सभी लोगों का इस पर मत आ जाये। यह जो हदय विदारक घटनायें शराब की वजह से हो रही हैं, उस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोगों के अच्छे–अच्छे सुझाव आ जायें। आप दो नहीं, आधा घन्टे, एक घन्टे की इस पर चर्चा करवा लें। इसलिये मान्यवर, मैं ज्यादा न कह करके मांग करता हूं कि ऐसे बड़े रैकेट वालों को पकड़ा जाय और बीट का सिपाही सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा, एक आबकारी सिपाही को सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा, पूरे रैकेट को समाप्त किया जाय और माननीय मुख्य मंत्री जी की ओर से इन मृतक परिवारों को 5–5 लाख की घोषणा की जाय ताकि इन गरीब परिवारों के

चड्ढी पहनने वाले बच्चों की आंखो के आंसू पोछे जा सकें और साथ ही साथ हो सके तो सभी लोगों के इस पर विचार आ जाएं इसलिए आप इस पर चर्चा करा लें। इसके साथ ही मैं चाहूंगा कि हमारी बहन वंदना सिंह के क्षेत्र का मामला है इसलिए दो मिनट उनको भी सुन लें।

श्रीमती वंदना सिंह–

मान्यवर, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करती हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मान्यवर, जहरीली शराब पीने से हुई मौतों के बाद पीड़ित परिवार के समक्ष खाने–पीने की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गई है। ये परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवार हैं। इन पीड़ित परिवारीजनों की कोई भी सरकारी मदद नहीं की गई है और न ही जीवन और मौत से संघर्ष करने वाले लोगों को कोई सरकारी सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। सरकार की ओर से कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति या मंत्री अभी तक पीड़ित परिवार तक नहीं पहुंचा है। मान्यवर, यह घटना हमारे ही विधान सभा क्षेत्र सगड़ी और पड़ोस के सटे हुए गोपालपुर विधान सभा की है। दोनो जगहों पर 7 जुलाई से 9 जुलाई तक जहरीली शराब पीने से अब तक 28 लोगों की मृत्यु हो चुकी है लेकिन प्रशासन मात्र 12 मौतों को ही जहरीली शराब पीने से बता रहा है जबकि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया 28 मौतों को बता रहा है। मान्यवर, यह जांच का विषय है, इतनी मौतों के जिम्मेदार व्यक्ति को प्रशासन अभी तक गिरफ्तार नहीं कर सका है हमारा निवेदन है कि जहरीली शराब की सप्लाई करने वाले को प्रशासन जल्द से जल्द गिरफ्तार करके जेल में भेजे जिससे मृतकों को न्याय मिल सके। सरकार से मेरी पुरजोर मांग है कि मृतक परिवारों को 5–5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता तत्काल करायी जाए व मृतकों के परिजनों को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ दिया जाए। मान्यवर, उनके परिवार के दुःख हम बखूबी समझ सकते हैं क्योंकि हमारा भी घर उजड़ा हुआ है, इस बात को शायद आप नहीं जानते होंगे लेकिन बाकी लोग जानते हैं। हम उनकी विदारक स्थिति आज यहां बयां कर रहे हैं यह हमारे ही क्षेत्र का मामला है इसलिए हम संसदीय कार्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि उनके परिवारीजनों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए।

'श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

मान्यवर, जहरीली शराब से मौत का मामला ऐसा नहीं है कि केवल इसी साल का है, मैं किसी आलोचना की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं। यह बड़ा संवेदनशील विषय है जैसा कि जनपद आजमगढ़ के रौनापार क्षेत्र में 6 जुलाई को लगभग 28 मौतें हो चुकी हैं और 18 से ज्यादा लोग गम्भीर अवस्था में हैं। अध्यक्ष महोदय, पिछले 2016 में एक–दो जगह का उदाहरण दूंगा, 2016 में एटा में 24 लोगों की मौत हुई, लखनऊ और उन्नाव में 2015 में 42 लोगों की मौत हुई और 2013 में आजमगढ़ के मुबारकपुर में 47 लोगों की मौत हुई, वाराणसी जैसी जगह पर 2011 में 12 लोगों की जानें गईं। इतना ही नहीं कुशीनगर, बहराइच, सीतापुर, सुल्तानपुर में भी मौतें हुईं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

केवल तात्कालिक घटनाओं का उल्लेख कर दीजिए।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

महोदय मैंने इसलिए इन सारे जनपदों को सिलसिलेवार गिनाया है क्योंकि अक्सर लोग इस जहरीली शराब के बारे में सोचते हैं कि यह भठ्ठे की शराब होगी और भट्ठे पर यह निर्मित होती होगी। मान्यवर, ऐसा नहीं है इसके पीछे बहुत बड़ा रैकेट काम करता है, यह शराब बाकायदा टैंकर से आती है। आप जानते होंगे मिट्टी के तेल के जो बड़े–बड़े गैलन आते हैं उसमें इसे रखकर जगह–जगह इसकी सप्लाई की जाती है। पिछले समय में मेरे क्षेत्र में इयरौलीधान में नीचे से गड्ढा खोद करके लगभग 15 से 20 फिट खोदने के बाद कम से कम 10 बड़े गैलन पकड़े गये। किसी ने डी0एम0 को सूचना दी तो भाग करके गये और उसके बाद खुदाई हुई। मान्यवर, पुलिस की सांठगांठ से यह अवैध कारोबार बड़ी तेजी से फल रहा है। यह ऐसा गम्भीर विषय है कि किसी गांव में जाकर पूछें कि दूध की दुकान किधर है तो शायद मेरे क्षेत्र में कोई नहीं बता पायेगा लेकिन अगर हमारे क्षेत्र में कटहवा पूछें, हमारे क्षेत्र में इसे कटहवा कहते हैं।

श्री अध्यक्ष–

कटहवा !

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

यह शब्द देहाती शब्द है। कटहवा, जहरीली शराब स्प्रिट से बाकायदा बनती है। अगर पूछा जाए किसी गांव में हमारे कि कटहवा का दुकान किधर है तो आसानी से एक बालक भी बता देगा। मान्यवर, बहुत ही निम्न क्लास के लोग, जो रोज मेहनत, मजदूरी करते हैं, वो लोग, इन लोगों के सस्ती शराब के जाल में फंस जाते हैं। महोदय, इसमें गम्भीर कदम उठाने की जरूरत है। ऐसे लोगों को बेनकाब करने की जरूरत है जिन्हें राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त है। मैं किसी सरकार की आलोचना नहीं कर रहा हूं, जिन्हें राजनीतिक और आधिकारिक संरक्षण भी प्राप्त है। बहुत बड़े पैमाने पर पूरे प्रदेश, खासकर पूर्वान्चल में अवैध शराब बनाने का धंधा फल–फूल रहा है। इसमें बहुत गम्भीर कदम उठायें और सरकार को संवेदनशीलता जरूर दिखानी चाहिए थी कि इतनी बड़ी संख्या में मौतों के बाद सरकार का एक प्रतिनिधिमण्डल वहां जाना चाहिए था, संवेदना व्यक्त करनी चाहिए थी, और पीड़ित परिवार से मिलकर उनका हालचाल जानना चाहिए था। सारे दलों के लोग वहां गये लेकिन सरकार की तरफ से कोई नहीं गया। यह बड़ा गम्भीर विषय है, पहले कभी अगर एक भी मौत होती थी तो तत्काल उस जिले के जो भी अधिकारी होते थे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती थी। केवल सिपाही और आबकारी इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने से कुछ नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें, आपके दल से आराधना मिश्रा जी कुछ कहना चाहती हैं।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

मान्यवर, एक मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। मैं विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहूंगा कि इस पर सरकार गम्भीरता से एक ठोस निर्णय ले। उन पीड़ित परिवारों को कम से कम 10–10 लाख रुपये मुआवजे के तौर पर उन्हें दे ताकि कम से कम जो गरीब लोगों ने जान गंवाई है उन लोगों को एक छोटी राहत प्राप्त हो सके। ऐसी मेरी मांग है। साथ ही साथ ऐसे नैक्सेस, रैकेट जो लोग बड़े पैमाने पर चला रहे हैं और टैंकर से तमाम जगहों पर जहरीली शराब की सप्लाई करा रहे हैं खासतौर से बार्डर क्षेत्र के इलाकों में, हमारे क्षेत्र में बहुत तेजी से यह फल–फूल रहा है, ऐसे लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, और जो लोग पकड़े जाते हैं उनके खिलाफ एन0एस0ए0 तक की कार्रवाई करने की मैं मांग करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि सदन की कार्यवाही रोककर कम से कम एक या दो घण्टे की चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।

'श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'–

माननीय अध्यक्ष जी, यह जो आजमगढ़ में घटना हुई जिसमें लगभग 40 लोगों की मौत हुई। यह एक ऐसी बड़ी घटना है जिसने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। शायद यह एक बहुत बड़ा संकेत है इस बात के लिए कि हमारी आने वाली जो जनरेशन है उसकी नींव हम कहां डाल रहे हैं ? एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से हम एक उत्तम प्रदेश बनायें, किस तरह से हम स्वर्णिम भारत की कल्पना कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारी नींव पूरी तरह से खोखली होती जा रही है। आज 70 प्रतिशत आबादी हमारी गांवों में रहती है और जिस तरह से अवैध शराब गांवों में बन रही है और जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश के हर गांव में उसकी सप्लायी की जा रही है उससे हर महीने, हर 6 महीने पर बड़ी–बड़ी घटनायें हो रही हैं जिसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो रही है। मैं आपसे इतना कहना चाहती हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी बड़े संवेदनशील हैं और हमारे संसदीय कार्यमंत्री जी बैठे हैं, मैं उनके माध्यम से सिर्फ एक बात कहना चाहती हूं कि अगर इस बड़ी घटना से आज इस सदन में, प्रदेश सरकार को एक बड़ी चुनौती है और इससे सबक लेना चाहिए कि भविष्य में इस तरह की घटना न हो। प्रदेश में जो माफिया कच्ची शराब, अवैध शराब बना रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जैसाकि मा0 अजय कुमार लल्लू जी ने कहा कि उनके खिलाफ सख्त धारायें लगायी जानी चाहिए और तत्काल उनको पकड़ा जाना चाहिए। इस तरह की घटना भविष्य में न हो इसकी नजीर, इस घटना से उत्तर प्रदेश की विधान सभा में तय होनी चाहिए। मैं नियम–56 की इस सूचना पर बल देते हुए आपको धन्यवाद देती हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मनोज कुमार पारस–

मान्यवर, मेरे जनपद की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है उस पर मुझे एक मिनट सुन लें।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। यह मामला हमारे आजमगढ़ जिले का है और अभी माननीय सुखदेव राजभर जी ने इसको सदन के समक्ष रखने का काम किया है। मैंने तो अपनी दूसरी सूचना दी थी, इसको कल देने वाला था। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तरह की जो मिलावटी शराब बनाई जाती है इसको गरीब पीता है और यह प्लास्टिक की थैली में दस रुपये में दी जाती है। जो भी मरा है वह गरीब है, छोटी जाति का आदमी है। हम यही कहना चाहते हैं कि ऐसी घटना पहले भी हुई थी। हम चाहते हैं कि सरकार इसको गम्भीरता से ले। इसमें सबकी मिलीभगत है। चाहे आबकारी विभाग हो या पुलिस विभाग का हो। जिसके खिलाफ कार्यवाही की गई है वह सिपाही है या इन्स्पेक्टर है पर इससे बड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई है। क्योंकि गरीब तबके के लोग शराब पीकर मरे हैं इसलिये हम यह कहना चाहते हैं कि जो लोग मरे हैं उनके परिवार को 5 लाख रुपये से ऊपर मुआवजा देने का काम किया जाय। एक अभियान चलाया जाय न केवल आजमगढ़ में अपितु पूरे प्रदेश के अंदर कि जो इस तरह की नम्बर दो की शराब बनाई जाती है उसमें सख्त से सख्त कार्यवाही की जाय ताकि इस पर अंकुश लग सके। क्योंकि इसमें हमारे पुलिस प्रशासन से लेकर सबकी मिली भगत से यह शराब बेचने का काम किया जाता है। मैं निवेदन करता हूं कि इसको गम्भीरता से लेते हुए इस पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने का निर्देश देने की कृपा करें।

(इस समय 01 बजकर 16 मिनट पर अधिष्ठाता श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव पीठासीन हुए)

'संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

माननीय अध्यक्ष जी, आज जिस घटना की तरफ माननीय सुखदेव राजभर जी ने, माननीय लल्लू जी ने, माननीया वंदना जी ने तथा हमारे दुर्गा प्रसाद और मोना मिश्रा जी ने ध्यान आकृष्ट किया है नियम –56 की सूचना के माध्यम से। यह वास्तव में बहुत दुःखद है मान्यवर। सरकार न तो कोई संख्या छिपाना चाहती है न कोई इसमें तोड़ मरोड़ करना चाहती है, न किसी दोषी को बचाना चाहती है। सरकार की नीति भी स्पष्ट है और नीयत भी। मान्यवर, 6 तारीख को आजमगढ़ के थाना रौनापुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम केवटिया में दिनांक 6–7–2017 को जो हमारी सूचना है मान्यवर, उसके हिसाब से 12 लोग 6 तारीख को व 7 तारीख को तथा 8 तारीख को 5,4,3 कुल 12 लोग इसमें

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रभावित भी हुए और उनकी मृत्यु भी हो गई यह जहरीली शराब पीने से। कहा यह जाता है कि स्प्रिट के माध्यम से कोई ऐसी शराब बनती है जिससे उसकी तीव्रता बढ़ जाती है और जब तीव्रता ज्यादा बढ़ जाती है तो नशे के बजाय उसको मौत दे देती है। बहरहाल यह तो जांच का विषय है मान्यवर, लेकिन यह सही है कि 12 लोग मेरे सामने जो नाम आये हैं उनके बिसरा भी प्रिजर्व किया गया है। केशव पासवान, सोवरी पासवान, श्यामप्रीत निषाद, शिवकुमार, राम नारायण निषाद, राम अवध पासवान, रामकरन, सतई राम, बजरंगी, रवि, बद्री राजभर, प्रमोद शर्मा। उसके बाद मान्यवर, दो लोग जिनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है उनके बारे में जिनके लिये कहा गया उनका भी मान्यवर पोस्टमार्टम करवाया गया है। यह हैं फूलचंद माली यह कस्बा अजमतगढ़ के हैं और मोती डोम यह भी अजमतगढ़ के हैं थाना जी0एन0पुर इनके बारे में इनके घरवालों ने लिखकर दिया है कि इनकी हार्टअटैक से मृत्यु हुई है। हालांकि बिसरा भी प्रिजर्व किया गया है और पोस्टमार्टम भी हुआ है इनका, इसके अतिरिक्त जो अन्य तीन लोग हैं राजेन्द्र पुत्र छबरा, अमरदीन पुत्र फिरतू, मतसब पुत्र शिद्दत यह तीनों भी रोना पार के हैं। गांव भी इनका रोना पार है। इन सभी का बिसरा प्रिजर्व किया गया है जो शासन की सूचना है हमारे पास जो सूचना आई है उसके हिसाब से 12 और 3, 15 लोगों की इस जहरीली शराब के पीने से उनकी मृत्यु हुई है हमने यह तय किया है कि हम और हमारी सरकार के माननीय मंत्री जी वहां जाएंगे उनके पीड़ित परिवारों से मिलेंगे और उनके पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता भी देंगे।

(सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

जहां तक घटना का सवाल है इसमें तीन पुलिस कर्मियों को निलम्बित किया गया है जो रोनापार के थानाध्यक्ष थे उनको तथा दो सब इंस्पेक्टरों को, और जो आबकारी विभाग के कर्मचारी हैं उनको भी निलम्बित किया गया है। ए0डी0एम एफ0आर0 के माध्यम से सम्पूर्ण घटना की मजिस्ट्रीरियल जांच का भी आदेश किया गया है। मान्यवर, जैसे ही यह मामला प्रकाश में आया वैसे ही जितनी सघनता से जांच हो सकती थी वह जांच करवाई गई और जो अपमिश्रित शराब विक्रय करने वाले जो लोग थे उनके खिलाफ मुकदमा भी विभिन्न धाराओं में कायम किया गया। इसमें विशेष रूप से अभियुक्तगण हैं मुन्ना राजभर पुत्र सीताराम निवासी कुकुरसंडा थाना मुबारकपुर, रामकेवल पुत्र स्व0 लेखराज, विक्रम पुत्र रामकेवल निवासीगण खार थाना जी0एन0पुर, रामविलास पुत्र रघुवर, रामदेव पुत्र रामविलास, कोकिला पार थाना जी0एन0पुर और हरिश्चन्द्र पासी पुत्र पूजन निवासी रामगढ़ थाना जी0एन0पुर अवैध अपमिश्रित शराब व उपकरणों के साथ इनको गिरफ्तार भी किया गया है जैसे ही इनकी गिरफ्तारी हुई वैसे ही शासन ने यह निर्देश दिया, हमारी तरफ से निर्देश गया था कि इनके खिलाफ सबूत भी हैं इनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्यवाही की जाए। गैंगस्टर की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है उसमें किसी प्रकार की कोई नरमी का इरादा नहीं है। इसके अतिरिक्त मान्यवर, पूरे जिले में सर्च कराई गई तो अवैध शराब की बिक्री व ट्रांसपोर्टेशन के विरुद्ध जनपद स्तर पर

चलाए गए सघन अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में गठित पुलिस टीमों द्वारा अब तक कुल 1490 लीटर अवैध अपमिश्रित शराब की बरामदगी करते हुए 39 लोगों को गिरफ्तार किया गया एवं 19000 लीटर लेहन सहित 22 शराब की भट्टियों को नष्ट किया गया। उक्त गिरफ्तारी बरामदगी के संबंध में विभिन्न थानों पर अब तक कुल 38 अभियोग पंजीकृत किए गए यह कार्यवाही मान्यवर, की गई। इसके अतिरिक्त मान्यवर, आजमगढ़ में पांच टीमों का गठन किया गया है जो विशेष रूप से अवैध शराब का व्यापार करने वाले व्यक्तियों की गिरफ्तारी बरामदगी के साथ–साथ आम जनों को अवैध शराब के दुष्प्रभावों के संबंध में जागरूक कर रही हैं। दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक कर रही हैं। शासन और सरकार पूरी तरीके से संवेदनशील है इस सम्बन्ध में जैसा कि मैंने कहा कि यह एक गरीब लोगों की जिनके पास क्रयशक्ति नहीं होती है बचपन से संस्कार न होने के कारण शौक लग जाते हैं उन लोगों के साथ यह हादसा होता रहा है। अभी माननीय सदस्य श्री अजय लल्लू जी ने पिछली घटनाओं का भी हवाला दिया मान्यवर यह सही है कि इसमें सामाजिक जागरूकता का अभाव है अगर सामाजिक रूप से लोगों के बीच जागरूकता पैदा हो उनको संस्कार दिए जाएं और उनको इस बुराई से पूरी तरह से अवगत कराया जाय तो इन घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हेागी और यह जितनी ज्यादा मिनिमाइज हो सकती है मिनिमाइज होगी। इसमें कानून के साथ–साथ आवश्यकता इस बात की है कि उन लोगों को संस्कार भी दिए जाएं और उनको इसमें जागरूक करने के लिए समय–समय पर गोष्ठियों आदि के माध्यम से इसके दुष्परिणामों से भी अवगत कराया जाय तभी इस प्रकार की घटनाएं पूरी तरह से रोकी जा सकती हैं। जहां तक शासन और कार्यवाही का सम्बन्ध है सरकार पूरी तरह से सचेत है जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि हम न तो किसी निर्दोष को फंसाना चाहेंगे न किसी निर्दोष के खिलाफ कार्यवाही करेंगे और न ही किसी दोषी को बख्शेंगे। जो भी दोषी प्रकाश में आएगा चाहे वह बिक्री के रूप में हो चाहे ट्रांसपोर्टेशन के रूप में हो चाहे अवैध शराब बनाने के रूप में हो चाहे उसके किसी भी इन्ग्रेडिएंट को सप्लाई करने के रूप में हो उसको पूरी तरह से उसके खिलाफ जो सख्त से सख्त कार्यवाही हो सकती है वह की जाएगी जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा था इस सम्बंध में मुख्य मंत्री जी से बात हो गई थी कि कल से परसों तक एक टीम जाकर इनके परिवार वालों से मिलेगी और वह संवेदना के साथ–साथ दो–दो लाख रुपए देने की बात भी कही गई है उनके परिवार वालों को दो–दो लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। मैं समझता हूं कि इसमें अब किसी प्रकार की कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है न ही कार्य स्थगन की आवश्यकता है न ही चर्चा की आवश्यकता है माननीय सदस्यों ने जो जिज्ञासा जाहिर की है उसका यथासंभव समाधान किया गया है।

(इस समय 01 बजकर 25 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

इसमें आश्रितों के परिवार वालों को पांच–पांच लाख रुपए की सहायता दी जाए।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, इसमें मंत्री जी के जवाब से विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो गई है या तो हम लोग कहीं गलत सूचना पा गए हों या हमारे जनपद के अधिकारियों ने माननीय मंत्री जी को गलत सूचना दी है। हम लोग एथेंटिक कह रहे हैं कि अभी परसों तक सिलसिला है कि लोग मर रहे हैं जो हास्पिटल में थे वह भी मरे हैं इस सदन में हो सकता है कि हम कहीं गलत बोल गए हों 28 व्यक्तियों के मरने की सूचना रोज मीडिया कवरेज कर रहा है टी0वी0 पर आ रहा है प्रिंट इलेक्ट्रानिक मीडिया में आ रहा है उसमें 28 का कवरेज हो रहा है अगर उसको छोड़ भी दें कि यह खबर हमारे पत्रकार भाई दे रहे हैं मैं तो उनकी बात झूठी नहीं मानूंगा 28 की जगह अधिकारियों ने केवल 15 लोगों को बताया 13 लोगों को छिपाया दो लोगों के बारे में घर वालों से दस्तखत बनवा लिए कि उनको हार्ट अटैक हुआ था दारू पीने से नहीं मरे। इतनी जल्दी क्या पड़ी थी अगर वह हार्ट अटैक से मरे हैं तो उसके बारे में प्रमाण–पत्र लेने की क्या जरूरत थी आपने लिखवाकर उसको ले लिया कि थोड़ा संख्या घटाओ। अभी माननीय मंत्री जी किसी को भेज रहे हैं ठीक हैं जाएं देर आए दुरस्त आए जब भी जाएं संवेदनशीलता दिखाते हुए सरकार के मंत्री को तुरन्त जाना चाहिए था इसमें एक विरोधाभास है यह स्थिति कैसे स्पष्ट होगी। इसलिए इसी विधान सभा के पांच सदस्यों की एक समिति बना दें वह कमेटी जाए जिन अधिकारियों ने 15 बताया है उसके बारे में कमेटी जाकर देखे मैं 28 बता रहा हूं लल्लू सिंह 28 बता रहे हैं बहन बन्दना सिंह जी बता रही हैं इतना बड़ा विरोधाभास कैसे हो सकता है अगर यह साबित हो जाए कि जिन्होंने माननीय मंत्री जी के हाथ में 15 की रिपोर्ट भेजी है अगर यह सिद्ध हो जाए तो माननीय मंत्री जी इस बात की घोषणा कर दें कि अगर हम लोगों की बात सिद्ध हो जाए तो उस अधिकारी को निलम्बित ही नहीं उस पर टर्मिनेशन की कार्यवाही करें कि तुमने इस तरह से सदन को गुमराह करने का काम किया है। इससे सरकार की पोजीशन आकुअर्ड हुई है दूसरा ए0डी0एम0 साहब जांच करेंगे मैं तो कह रहा हूं कि इसकी जांच किसी रिटायर जज से करा दीजिए और या तो आयुष से जांच करा दीजिये। ए0डी0एम0 साहब से जांच मत कराइये। संख्या बल पर जो विरोधाभास की स्थिति है, ऊपर वाला अगर संख्या घटा दे तो अच्छी बात है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि 50 मरे या 28 लोग मरे हैं, लेकिन इस विरोधाभास को स्पष्ट करने के लिये मैं यह मांग करता हूं कि विधान सभा के पांच सदस्यों की एक समिति बनायी जाए जिसमें सत्तापक्ष और विपक्ष के सदस्य हों। वह समिति गांव में जाए और गरीब परिवारों में संवेदना भी व्यक्त कर ले और सही स्थिति भी स्पष्ट हो जाए कि 15 लोग मरे हैं अथवा 28 लोग मरे हैं। मान्यवर, यह हमारी जोरदार मांग है। यह अधिकारियों की बदमाशी है। मान्यवर, उसको ठीक करने के लिये आप ही

सक्षम हैं। इसको क्लीयर करने के लिये आप इस सदन की एक समिति गठित करने की घोषणा करवा दें।

श्री अध्यक्ष–

आपने दो विकल्प दिये हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी वाला और एक संसदीय समिति वाला। मा0 मंत्री जी, आप किस वरिष्ठ अधिकारी से जांच कराने जा रहे हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, शुरू में जैसाकि मैंने कहा कि हम किसी भी दोषी को बचाना नहीं चाहेंगे और संख्या कम करने में भी मेरी कोई रुचि नहीं है। एक ए0डी0एम0 स्तर के अधिकारी ए0डी0एम0 एफ0आर0 को जांच सौंप दी गयी है, उसके ऊपर भरोसा होना चाहिये। यह सही है कि लोग मरे हैं और यह भी सही है कि शासन ने अभी तक जिन–जिन लोगों को चिन्हित किया है कि यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है, ऐसे कुल 21 लोगों का पोस्टमॉर्टम कराया गया है, लेकिन शराब से केवल 15 लोगों के ही मरने की सूचना मेरे पास है। अगर कुछ बाकी होगा तो वह जांच में आ जायेगा। जो जांच में सामने आयेगा उसको न तो हम छिपाने में विश्वास रखते हैं और न संख्या कम करने में विश्वास रखते हैं। संख्या कम करने में हमारी कोई रुचि नहीं है। हम आपको यह यकीन दिलाते हैं। मान्यवर, कल मा0 मंत्री जी जायेंगे। कल से परसों तक मा0 मंत्री जी उनके परिवारों से भी मिलेंगे और घटना को किसी भी प्रकार से मिनिमाइज करने का या दोषियों को किसी भी प्रकार से बचाने की सरकार की कोई मंशा कोई नियत नहीं है। हम आपके माध्यम से सदन को पूरी तरह से आश्वस्त करते हैं कि जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

मान्यवर, जिला स्तर के अधिकारी से घटना की जांच की बात हो रही है। जिस जिले में घटना हुई है उसी जिले के ए0डी0एम0 स्तर के अधिकारी से अगर जांच कराई जायेगी तो निश्चित रूप से जांच सही नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष–

मा0 मंत्री जी कल वहां जा रहे हैं।

श्री अजय कुमार 'लल्लू' –

मान्यवर, इतनी बड़ी घटना की जांच अगर ए0डी0एम0 स्तर के अधिकारी से कराई जायेगी तो यह उचित नहीं होगा। आदरणीय श्री सुखदेव राजभर जी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। यह अत्यन्त संवेदना का विषय है, संवेदनशील मामला है। लोगों के जीवन और मृत्यु का मामला है। इस तरह की घटना की फिर से पुनरावृत्ति न हो। मैं आपसे यह मांग करूंगा कि अवैध और वैध क्या, शराब को ही बंद करा दिया जाये। शराब बंद हो जाए। पूरे प्रदेश में महिलाएं आंदोलित हैं कि शराब ही बंद हो जाए जिससे कहीं पर भी इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। वैध और अवैध की क्या बात है, महोदय, मैं यह मांग करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने अभी कहा है कि कल मा0 मंत्री जी जायेंगे और पीड़ित परिवार से मिलेंगे, अध्ययन करेंगे और अगर आवश्यकता हुई तो और वरिष्ठ अधिकारी से जांच करवा लेंगे। अब मैं नियम–56 की इस सूचना को अग्राह्य करता हूं और इस पर सरकार का ध्यानाकर्षण हो चुका है। नियम–56 के अन्तर्गत अगली सूचना श्री राम गोविन्द चौधरी तथा श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई' की जनपद लखनऊ के साउथ सिटी में दिनांक 10/11 जुलाई, 2017 की रात चोरी की घटित घटना के उपरान्त पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

(नेता प्रतिपक्ष श्री राम गोविन्द चौधरी तथा सदस्य श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई' के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

मा0 नेता प्रतिपक्ष, पहले आप बोलेंगे या मा0 शैलेन्द्र जी बोलेंगे।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'–

मान्यवर, मा0 नेता प्रतिपक्ष तो हमेशा बोलते हैं, हम तो कभी–कभी बोलते हैं।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, आप बोल लीजिये।

'**श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'**–

मा0 अध्यक्ष जी, आपने हमें नियम–56 के अन्तर्गत बहुत ही गम्भीर विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये आपको बहुत–बहुत धन्यवाद। पिछले 3–4 महीनों से उत्तर प्रदेश में अपराध की बाढ़ आ गयी है। सरकार ने 100 दिन के अपने सारे कार्यों के बारे में बताने का काम किया, लेकिन 100 दिन के अन्दर उत्तर प्रदेश में कितनी हत्याएं हुयीं, कितनी डकैतियां हुयीं, कितनी छिनैतियां हुयीं, कितने बलात्कार हुये, ऐसी घटनाओं के बारे में सरकार ने बताने का कोई काम नहीं किया। उत्तर प्रदेश में आज हालात यह हैं कि जाति के आधार पर अब अधिकारियों की थानों में नियुक्ति की जा रही है।

श्री अध्यक्ष–

आप विषय पर नहीं आ रहे हैं।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'–

मान्यवर, बस उसी विषय पर आ रहा हूं।

श्री सुरेन्द्र–

माननीय अध्यक्ष जी, यह तो पूर्व की सरकार की नीयत को प्रकट कर रहे हैं। पूर्व की सरकार में जाति के आधार पर लोगों को पद दिये जाते थे, जाति के आधार पर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नियुक्तियां की जाती थीं। उस समय केवल यादव जाति के लोगों को नियुक्ति मिलती थी। यह अपनी नीयत को देखें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य, आप कृपया अपना आसन ग्रहण करिये। कृपया आप बीच में न बोलिये। ललई जी, आप कृपया विषयान्तर मत कीजिये।

श्री शैलेन्द्र यादव ललई–

माननीय अध्यक्ष जी, हो सकता है कि मेरी बात गलत हो। एक माननीय सदस्य ने, जो शायद पहली बार यहां चुनकर के आये हैं जिन्हें मैं पहचानता नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, आप उन्हें न पहचानिये। आप मूल विषय पर आईये।

श्री शैलेन्द्र यादव ललई–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने मेरी बात को नकारा है। मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में और सभी थानों में कौन थानाध्यक्ष है, कौन सी0ओ0 है, कौन एस0पी0 है, कौन एस0एस0पी0 है और कौन जिलाधिकारी है उसकी सूची सरकार जाति सहित सदन के पटल पर रखने का काम करे। मान्यवर, मैं उनके कहने के आधार पर इस बात की मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

आप जातियों के आधार पर विवेचन करने का काम मत करिये। आप विषयान्तर न करिये, आप अपनी सूचना पर बोलिये।

श्री शैलेन्द्र यादव ललई–

माननीय अध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश की हालत बहुत गंभीर है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ की एक घटना का मैं वर्णन कर रहा हूं। जब प्रदेश की राजधानी लखनऊ की यह हालत है, सरे आम डकैतियां पड़ रही हैं, धमकी दी जा रही है। 18–20 की संख्या में डकैत घर में घुसते हैं और जाकर हाथ काटने की, पैर काटने की धमकी देकर डकैती डालते हैं। रेप करने की धमकी देते हैं। यह घटना साउथ सिटी लखनऊ की है। श्री देवेन्द्र सिंह नेगी जो पी0जी0आई0 थाना क्षेत्र के निवासी हैं। 10–11 जुलाई की रात को यह घटना हुई है। जैसा उन लोगों ने बताया एक दर्जन से ज्यादा डकैतों ने वहां पर घर की महिलाओं के हाथ–पैर काटने की धमकी देकर और रेप करने की धमकी देकर डकैती डाली। इस तरह की बार–बार घटनायें प्रदेश की राजधानी में हो रही हैं। यह बहुत ही गंभीर विषय है। यह किसी एक दल, किसी एक व्यक्ति का मामला नहीं है। हम आपसे मांग करते हैं कि लोक महत्व के इस सुनिश्चित विषय पर जो मैं आज अपनी बात रख रहा हूं उस पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराई जाये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने घटना के बारे में तो कम कहा, इधर–उधर की बातें ज्यादा कही। अखबार के माध्यम से अगर कोई घटना जानकारी में आ जाये। अखबार में कोई घटना पढ़ ली जाती है और यहां आकर उसे फौरन नियम–56 में लगा दिया जाता है, तो यह प्रक्रिया भी रुकनी चाहिये। माननीय सदस्य को घटना की जानकारी नहीं है। किसके वहां क्या हुआ यह इन्हें पता भी नहीं है। इन्हें घटना के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन चूंकि अखबार में एक घटना छप गई है तो आप यहां आकर उसको लगा देते हैं।

श्री अध्यक्ष–

आपका इस विषय पर क्या कहना है ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, मेरा कहना सिर्फ यह है कि सरकार पूरी तरीके से इस प्रकार की घटनाओं का संज्ञान लेती है और उस पर एफ0आई0आर0 भी दर्ज होती है। उस पर कार्यवाही भी सरकार करती है। जहां तक इस घटना का सवाल है, तो परिवारवालों ने इस घटना में पांच–छह अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा यह घटना की जानी बताई है। उसी के अनुसार आई0पी0सी0 की धारा–395 में रिपोर्ट दर्ज हुई है। मान्यवर, धारा–395 का मतलब है कि पांच व्यक्ति या पांच व्यक्तियों से ज्यादा मिलकर डकैती डालने अथवा डकैती का जब प्रयास किया जाता है, तो धारा–395 में केस दर्ज होता है। इस घटना में पचास हजार रुपये, चांदी की पायल और मोबाईल भी गये हैं इसकी जानकारी है। जहां तक सरकार की कार्यवाही का प्रश्न है तो हमने अभियुक्तों के स्कैच फोटो बनवाकर सर्विलान्स एवं अपराध शाखा के लोगों को अभियुक्तों की तलाश के लिए लगाया है। इसमें चौकी प्रभारी तथा दो बीट आरक्षी जो साउथ सिटी में आस–पास के क्षेत्र की गस्त करते थे, उन्हें अपने दायित्वों का निवर्हन न करने और लापरवाही बरतने की वजह से निलंबित कर दिया गया है। पूरी तन्मयता के साथ, पूरी संजीदगी के साथ मुल्जिमों की तलाश जारी है। हमारे पुलिस अधीक्षक की भी हमने रिपोर्ट मंगवा ली है और उन्होंने कहा है कि शीघ्र ही हम इस घटना का खुलासा कर देंगें। मान्यवर, घटनाएं होती हैं, लेकिन हम हमेशा पीड़ित के पक्ष में खड़े हैं और हमारी योगी जी की सरकार हमेशा पीड़ित के पक्ष में ही खड़ी होगी और इन अपराधियों के साथ सख्त से सख्त कार्यवाही करने में हिचकेगी नहीं और, मान्यवर हमने यह किया भी है, अभी तक किसी को बचाने की कोशिश नहीं की है। जहां तक मान्यवर इन्होंने दूसरी बात कही तो इस सरकार को इन लोगों के द्वारा प्रशस्ति–पत्र दिया जाना चाहिए। जब यह सरकार में थे तो इन लोगों ने जातिवाद की बात कभी नहीं करी। मान्यवर, इस बात का प्रशस्ति–पत्र यह लोग चाहते हैं और हम प्रशस्ति–पत्र दे देंगे इनको। मान्यवर, इन्होंने कभी जातिवाद की बात नहीं करी। मान्यवर, यह जबान पर नहीं लाये कभी।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविंद चौधरी)–

मान्यवर, जो जातिवादी होता है वह समाजवादी नहीं होता है। श्रीमन्, इन्होंने सही कहा कि हम जातिवादी के पक्ष में नहीं हैं। मा0 अध्यक्ष जी, आप भी पक्ष में रहे हैं और विपक्ष में भी। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी भी पक्ष में रहे हैं और विपक्ष में भी। मान्यवर, मैं भी सब तरफ से देख रहा हूं कि इस सदन में बड़े–बड़े नेता लोग रहे हैं और नियम 56, 51, 301 यह सब मामले सदस्यगण, सबेरे जो अखबार में पढ़ते हैं अधिकांशतः उसी में से बनाते हैं आप भी उसी में से बनाते थे। आज आप अखबार को झुठला रहे हैं जबकि अखबार और चैनल नहीं होते तो न आप यहां आये होते और फिर अगर अखबार और चैनल की कृपा होगी तो फिर आप यहां चले आएंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, अब इनके पास सपने देखने के अलावा और कोई काम नहीं और मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो सबेरे उठकर समाप्त हो जाते हैं। मान्यवर इनको सलाह दी जाए कम से कम सपने देखना तो छोड़ दें।

श्री राम गोविंद चौधरी–

मान्यवर, यह सपना देखकर ही वहां गये हैं। मेहनत आप कर सकते हैं, लेकिन जो मेहनत की वह जनता ही जानती है जो भारी संख्या में लोग चुनकर आए हैं इसमें अधिकांश लोग अपने क्षेत्र का पूरब और दक्षिण नहीं जान पाये हैं। आपने मेहनत करी होगी। गन्ना मंत्री जी ने मेहनत करी होगी। मौर्या जी ने मेहनत करी होगी लेकिन जो अधिकांश लोग जिसको आपने टिकट दिया है बिना मेहनत के भी आये हैं ऐसा नहीं है हम लोगों ने देखा है तो सपना ही सही होता है और आप ही की तरह से दिल्ली में केजरीवाल ने सरकार बनाया अखबार और चैनल के माध्यम से आज उस चैनल और अखबार को वह भी धत बता रहे हैं और इनकी भी सरकार बनी है अखबार और चैनल के माध्यम तो यह भी धत बता रहे हैं। मा0 अध्यक्ष जी अखबार और चैनल आदमी को बहाकर के सत्ता में ले आते हैं और फिर वहीं पटकते भी हैं तो आप यहां न आ जाये आप वहीं बने रहें, लेकिन आपके कर्म ही आपको यहीं ले आएंगे, हमारे कर्म हमें यहां ले आयें, आपके कर्म फिर आपको यहां ले आएंगे (हंसी के ठहाके)। मान्यवर, बेझिझक मानिये तो मैं हमेंशा यहां रहने के पक्ष में हूँ। पार्टी की बात मैं नहीं कहता। व्यक्तिगत हम यहां रहते हैं तो भी ठीक है। आप हमेंशा वहां जाने की चेष्टा करते हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, हमने अखबार और चैनल को गलत नहीं बताया है। मान्यवर, हमने यह कहा कि अखबारी सूचना के माध्यम से यहां पर केवल हमारा नाम अखबार में छप जाये, हमारा नाम मीडिया में आ जाये इसलिए नियम–56 दे दिया।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, इसको निस्तारण करके अगली सूचना ले लें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, चौधरी साहब कहते हैं कि इन्हें क्षेत्र में दूसरी बार जीतना मुश्किल हो जाता है। हम तो आप लोगों की कृपा से आठवीं बार जीतकर आये हैं और यह कहते हैं कि क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति नहीं मालूम।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

यह मैंने आपके लिये नहीं कहा है।

श्री अध्यक्ष–

आपकी तारीफ की है। अब श्री लालजी वर्मा जी बोलें।

'श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, पूर्वांचल में अनेकों जिलों में बाढ़ की स्थिति बन रही है। बहराइच जिले में कई गांव कटान की वजह से संकट में हैं। महसी क्षेत्र के गोलागंज, जमींपुर, कायमपुर, चिरईपुरवा, पचदेवरी गांव में कटान जारी है। मान्यवर, इसी तरह उसी कटान की वजह से गोलागंज बेलहा, बेहरौली तटबंध के लिए भी खतरा उत्पन्न हुआ है। बाराबंकी के भी कई गांव में पानी भरा है। गोण्डा में भी घाघरा नदी के कारण कई गांव कटान से प्रभावित हैं उनको विस्थापित किया गया है। श्रावस्ती जिले में बाकला नदी से मनकापुर, तिलकपुर, सिसरा, मजेहना गांव में कटान जारी है। मान्यवर, इसी तरह से गोरखपुर जिले में भी जहां गोला तहसील में जगदीशपुर पहोरिया में राप्ती नदी के कटान से खतरा उत्पन्न हो गया है। ग्राम बेरूआ सरयू नदी के कटान से प्रभावित है। बारानगर, तुरकौलिया सरयू नदी के कटान से प्रभावित हैं। बलिया और मऊ व बस्ती, सीतापुर में भी मान्यवर, कटान है। तो मान्यवर, इस प्रकार से बाढ़ का खतरा उत्पन्न हुआ है और अनेकों जिले बाढ़ से प्रभावित नजर आ रहे हैं। इस बाढ़ और अतिवृष्टि से अनेकों जानें भी गयी हैं। मान्यवर, यह जुलाई है और सामान्यतः बरसात अगस्त के महीने में ज्यादा होती है। बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए पहले से योजना बनाने की आवश्यकता होती है। मान्यवर, पिछली बार जब सत्र चल रहा था तो उसमें भी तटबंध की चर्चा आयी थी। मा0 मंत्री जी ने स्पष्ट जवाब दिया था कि सारे तटबंधों के लिए सरकार ने योजना बनायी है और उनको पूरी तरह से सुरक्षित करने का काम किया जा रहा है। आज भी मा0 मुख्य मंत्री जी ने इस बात की चर्चा की कि बांधों के कटान को हम पूरी तरह से संरक्षित करेंगे। लेकिन मान्यवर, उसके बावजूद भी तमाम गांव में पानी भर रहा है। आमजन प्रभावित हो रहा है। ऐसी स्थिति में इसमें तत्काल प्रभावित लोगों को राहत दिये जाने की जरूरत है। जो लोग कटान से प्रभावित हैं उनको सुरक्षित स्थान पर ले जाने की आवश्यकता है। यह विषय पूरे प्रदेश से विशेष रूप से पूर्वांचल से विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। नेपाल भी बार–बार जो पानी छोड़ता है उसके कारण भी बड़े पैमाने पर बाढ़ की स्थिति बन रही है। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि इस

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को स्वीकार करके कम से कम दो घण्टे की चर्चा कराने की कृपा करें।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी इस पर उदार हो जाइये। दो घण्टे की चर्चा स्वीकार कर लें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

चर्चा स्वीकारने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जवाब तो दे दें।

मान्यवर, जैसा मैंने अभी कहा भी था कि यह सरकार बाढ़ के प्रति, बाढ़ की आशंका के प्रति, बाढ़ की संभावना के प्रति पूरी तरह से गंभीर है और अगर गंभीर न होते, मान्यवर, हमने वर्ष 2017–18 में 169.36 करोड़ रुपया आवंटित किया और इसमें से 85.41 करोड़ रुपया आकस्मिकता निधि से दिया है, जिससे तटबन्ध की मरम्मत, कटाव को रोकने, निरोधक कार्य करने के लिए यह पैसा आवंटित कर दिया गया है। यह हमारी गंभीरता को, हमारी संवेदनशीलता को जाहिर करता है कि हम इसके प्रति कितने गंभीर हैं, कितने संवेदनशील हैं। तो हर स्थिति में हम बाढ़ की स्थिति का सामना करने में सक्षम हैं और यह सरकार हर सम्भव उपाय करेगी कि किसी भी प्रकार से हमारे नागरिकों को परेशानी न हो। जहां तक मान्यवर, चर्चा की बात है, वह आपका विशेषाधिकार है और आप हमारे संरक्षक हैं, जैसा आप निर्देश देंगे, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन जहां तक मान्यवर, आपके सवाल का जवाब है तो हमने उस वक्त भी कहा था, जीरो ऑवर जब शुरू हुआ था, मान्यवर, संवेदनशीलता इसी बात से जाहिर होती है कि हमने कंटिन्जेंसी से पैसा दिया, कंटिन्जेंसी से पैसा रोज नहीं जारी होता है, कंटिन्जेंसी से पैसा तभी दिया जाता है, जब उसकी आवश्यकता की डिग्री ज्यादा होती है, उसका महत्व ज्यादा होता है, उसकी प्राथमिकता ज्यादा होती है, तभी कंटिन्जेंसी से पैसा दिया जाता है, मान्यवर, आपको मालूम है।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, यह पहले भी हुआ है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, इसीलिए दिया गया, 169.36 करोड़ रुपया, जैसा मैंने बताया, इस वर्ष दिया गया और उसके प्रति किसी प्रकार की हीला–हवाली, कोई कोताही यह सरकार नहीं करेगी। हम पूरी तरीके से सचेत हैं, संवेदनशील हैं और हर प्रकार से हम बाढ़ की स्थिति से, आशंका से भी और संभावना से भी निपटने में सक्षम हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया, इन्हें जो कहना चाहिए, इन्होंने कहा। मान्यवर, बाढ़ और कटान बहुत ही गंभीर समस्या है, चर्चा की इसलिए मांग हो रही है कि हमारे विधायक जो इस सदन में चुनकर आए हैं, किसी

के क्षेत्र में कटान है, कोई बाढ़ से परेशान है, उसको अपने क्षेत्र में जवाब भी देना है। जब चर्चा हो जायेगी तो जो भी सदस्य बाढ़ एरिया के हैं, चाहे वह सत्तापक्ष के हों या विपक्ष के हों, वह अपनी बात कह लेंगे, अपनी समस्या कह लेंगे, इससे कम से कम वह अपने क्षेत्र में कहने लायक तो रहेंगे कि हमने अपनी बात सरकार के सामने कही। उसमें सत्तापक्ष के भी लोग हैं, विपक्ष के भी लोग हैं। मान्यवर, यह परम्परा भी रही है, हमेशा बाढ़ पर हर सरकार में चाहे इनकी पिछली सरकार रही हो, हमारी सरकार रही हो, बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो, बाढ़ पर हमेशा चर्चा हुई है। इसलिए अध्यक्ष जी, मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि इस पर आप दो घण्टे की चर्चा स्वीकार कर लें। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी कह दिया, आप इसके लिए अधिकृत हैं। आप इस पर 02 घण्टे की चर्चा स्वीकार कर लें।

श्री अध्यक्ष–

आज दो मामलों में चर्चा की मांग की गयी, इसके पहले भी चर्चा की मांग हुई थी। सब वरिष्ठ जन हैं, कार्य–मंत्रणा में बैठते हैं, कार्य–मंत्रणा में हम इस पर गंभीरता से विचार कर लेंगे। वर्मा जी, अब तो बात समाप्त हो गयी ?

श्री लालजी वर्मा–

जब आप चर्चा स्वीकार कर लेंगे, तब कार्य–मंत्रणा में यह बात आयेगी कि इसको किस दिन लगाया जाए ?

श्री अध्यक्ष–

वहां पर दोनों बातों पर विचार हो जायेगा।

श्री लालजी वर्मा–

नहीं, मान्यवर, वहां इस बात पर विचार नहीं हो सकता है। आप यहां चर्चा स्वीकार कर लीजिए, कार्य–मंत्रणा में उसका समय तय हो जायेगा, इतना निवेदन है। आप इस चर्चा को बाद में कर लें, चर्चा स्वीकार करने के लिए इसको रिजर्व रख लें।

श्री अध्यक्ष–

अभी तो विषय ओपेन है, कार्य–मंत्रणा में जब जायेगा। विषय ओपेन है, हम लोग बैठकर विचार–विमर्श कर लेंगे।

श्री लालजी वर्मा–

ठीक है, मान्यवर।

श्री अध्यक्ष–

अब तो जितनी सूचनाएं मैंने नियम–56 में स्वीकार की थीं, उससे एक विषय ज्यादा हो गया है।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

अध्यक्ष जी, कुछ सूचनाएं बहुत महत्वपूर्ण थीं, जैसे पारस जी की सूचना थी, बहुत महत्वपूर्ण मामला था, दुर्गा प्रसाद जी का था, बहुत महत्वपूर्ण मामला था, संजय गर्ग जी का भी बहुत महत्वपूर्ण मामला था, आपने उन्हें अग्राह्य कर दिया है। अध्यक्ष जी, कल आप इनकी सूचनाओं को ले लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण मामले हैं, जनता से जुड़े हुए मामले हैं।

श्री अध्यक्ष–

कल ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

हां, कल ले लीजिए।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, कल नियमानुसार दे दें।

श्री रफीक अंसारी–

हमारे मेरठ से जुड़ा हुआ मामला है।

श्री रामगोविन्द चौधरी–

हां, मेरठ का है, इसको भी कल ले लीजिएगा।

श्री अध्यक्ष–

कल नियमानुसार दे देना।

श्री सहेन्द्र सिंह रमाला–

मान्यवर, मेरी सूचना बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मुझे दो मिनट बोल लेने दें।

श्री अध्यक्ष–

आपका ध्यानाकर्षण में है, उस पर हमने सरकार का ध्यान आकृष्ट कर दिया है।

श्री रामगोविन्द चौधरी–

मा0 अध्यक्ष जी, जो दुर्गा प्रसाद यादव जी वाली सूचना है, जो मैंने आपसे आग्रह किया था, मुझको कहना नहीं चाहिए, तो इन्होंने एक दूसरा मामला नियम–56 में अलग से दिया था, लेकिन बहुत ही जनहित का मामला है, तो आज आपने अग्राह्य कर दिया, कल उसको ले लीजिएगा और संजय गर्ग वाला भी कारीगरों से जुड़ा हुआ मामला है जो दिन भर काम करते हैं, मजदूरी पाते हैं अपना परिवार चलाते हैं, ऐसे कारीगरों का मामला है, गरीब लोगों का मामला है। उसको भी आपने अग्राह्य कर दिया है तो जो अग्राह्य हैं उस पर हम लोग कुछ नहीं कहेंगे, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, लेकिन इसको कल दोबारा ले लीजिएगा, यह मैं आपसे आग्रह करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

आज भी हमने एक ज्यादा सुन लिया है इसलिए कि आज बजट तो है नहीं।

श्री रामगोविन्द चौधरी–

जी आपने सुना है, लेकिन कल इसको ले लीजिएगा।

श्री अध्यक्ष–

जो भी विषय हैं, वह कल आप भिन्न–भिन्न नियमों में दे दें तो उचित रहेगा, हम विचार कर लेंगे।

श्री सहेन्द्र सिंह रमाला–

मान्यवर, हमारे बागपत जनपद में छपरौली विधान सभा क्षेत्र में दो शुगर फैक्ट्री आती हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप किस नियम में बोल रहे हैं?

श्री सहेन्द्र सिंह रमाला–

मान्यवर, गन्ना भुगतान के लिए मैंने नियम–56 में सूचना दी है, सिर्फ दो मिनट चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष–

नोटिस तो हमने अग्राह्य कर दिया है। तो आप कल दोबारा दे दीजिएगा।

श्री सहेन्द्र सिंह रमाला–

मान्यवर, सिर्फ एक मिनट मेरी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

जब आप एक मिनट बोलेंगे, तो सरकार भी अपना पक्ष रखेगी, फिर सब लोग अपनी बात रखने का प्रयास करेंगे।

श्री सहेन्द्र सिंह रमाला–

मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, सिर्फ एक ही मिनट लूंगा। मान्यवर, मेरी छपरौली विधान सभा में दो शुगर फैक्ट्री आती हैं, एक कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री है, जिसको अभी विस्तारीकरण के लिए आपने बजट भी दिया और उसका अप्रूवल दिया, उसके लिए मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का और गन्ना मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और आभार प्रकट करता हूं। इसी के साथ में मेरा निवेदन है कि जो दूसरी फैक्ट्री आती है, वह प्राइवेट फैक्ट्री है मोदी जी की फैक्ट्री, इस वर्ष उन्होंने 327 करोड़ के गन्ने की खरीद्दारी की, लेकिन 327 करोड़ के बदले में मात्र 51 करोड़ का भुगतान किया जो कि 15 परसेण्ट है, 85 परसेण्ट अभी तक किसानों का भुगतान नहीं हुआ, इसके लिए मैं गन्ना मंत्री जी से और सरकार से निवेदन करता हूं कि किसानों का शेष भुगतान जल्दी कराने का कष्ट करें, धन्यवाद।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने इसको अग्राह्य कर दिया था तो हमने सूचना मंगाई नहीं, लेकिन अब बात आ गई सदन में तो हमारी भी बात आनी चाहिए। मान्यवर, इस वर्ष 22586 करोड़ रुपये का पेमेण्ट गन्ना भुगतान किया गया है। ये आपके पीरियड से 10 हजार करोड़ रुपये ज्यादा है मान्यवर और यह सरकार पूरी तरह से गन्ना किसानों

के प्रति संवेदनशील है और हमारी यह कोशिश होगी कि गन्ना किसानों को समय पर भुगतान गन्ने का जरूर हो जाय। मान्यवर, अगर पहले से मालूम होता तो हम सूचना मंगवा लेते, आपने चूंकि इनको मौका दिया इसलिए हमारी बात आना जरूरी थी, सरकार का पक्ष आना जरूरी है, मान्यवर सरकार ने इस बार ब्याज भी दिया है गन्ना किसानों का जो देरी से भुगतान किया गया, उसका ब्याज भी दिया गया, तो इसलिए हम आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम पूरी तरीके से संवेदनशील हैं गन्ना किसानों के मामले में और हम जहां कहीं भी उनके हित की बात होगी, हम पूरा उनका हित साधेंगे और उसी तरीके से कार्यवाही भी करेंगें।

नियम–51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 12.07.2017 को नियम–51 के अन्तर्गत कुल 30 सूचनायें प्राप्त हुईं, पहली सूचना श्री राहुल प्रकाश जी की जनपद मिर्जापुर की विधान सभा क्षेत्र छानबे के अन्तर्गत भीषण बारिश के उपरान्त बेघर हुए लोगों को आवास उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' जी की जनपद प्रतापगढ़ के विधानसभा क्षेत्र रामपुर खास मे बाई पास निर्माण के संबंध में है, तीसरी सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की जनपद लखनऊ में फैल रहे डेंगू के प्रकोप से बचाने हेतु अधिकारियों द्वारा बरती जा रही उदासीनता से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, चौथी सूचना श्री जगन प्रसाद गर्ग की जनपद आगरा के सेक्टर 10 के पार्क के सौन्दर्यीकरण व सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के संबंध में है, पांचवी सूचना श्री जटाशंकर त्रिपाठी की उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के निष्पादन के सन्दर्भ में कार्यवाही किये जाने के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई, छठी सूचना श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा की जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण में सी0एन0डी0एस0 एजेंसी द्वारा की गयी अनियमितताओं के संबंध में है, सातवीं सूचना श्री रोशन लाल वर्मा, श्री चेतराम, श्री वीर विक्रम सिंह की जनपद शाहजहांपुर की विधान सभा क्षेत्र तिलहर में 179 किसानों की मृत्यु उपरान्त कृषि दुर्घटना बीमा न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, आठवीं सूचना श्री सीताराम वर्मा की जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर के महत्वपूर्ण मार्गों में बड़े–बड़े गड्ढे होने से हो रही दुर्घटनाओं के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई, नवीं सूचना श्री पूरन प्रकाश एडवोकेट जनपद मथुरा के बल्देव क्षेत्रान्तर्गत राया बाईपास मार्ग का निर्माण कराये जाने के संबंध में है, दसवीं सूचना श्री रामअचल राजभर की जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर में अकबरपुर जलालपुर रोड से मिलने वाली क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुईं।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गयीं, श्री वीरेन्द्र यादव, श्री प्रभु नारायण सिंह यादव, श्री अमिताभ बाजपेयी, श्री आजाद अरिमर्दन, श्री तसलीम अहमद, श्री मसूद अख्तर, श्री संजय गर्ग, डा0 आर0के0 वर्मा, श्री मनोज कुमार पारस, श्री कुलदीप सिंह सेंगर, श्री अगयश राम सरन वर्मा, श्रीमती बिमला सिंह

सोलंकी, डा0 अरुण कुमार, श्री अजय कुमार लल्लू, श्री लालजी वर्मा, डा0 हरगोविन्द भार्गव, श्री नितिन अग्रवाल, श्री बृज भूषण राजपूत, श्री रामचन्द्र यादव, श्री रमाशंकर सिंह।

बहुत धन्यवाद कि हमने बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम लोगों ने कार्य–स्थगन और सभी नियमों को आज डिस्कस किया है अब हम कल 11.00 बजे तक के लिए उठते हैं।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 02 बजकर 03 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
दिनांक 12 जुलाई, 2017

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0–एल0 182 विधान सभा (348) 27–11–2017–813 प्रतियां (कम्प्यूटर)।